खण्ड-441, अंक-5
सोमवार, 30 वैशाख, शक संवत् 1924
(20 मई, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2002)

खण्ड 441 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1–3
प्रदेश की बिजली आपूर्ति के प्रकरण पर, नियम–56 की सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21 मई, 2002 को एक घंटे की चर्चा का निर्धारण	3-4
प्रश्नोत्तर	4-10
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	10-11
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	11-12
नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	12
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	12
वाराणसी नगर को पूर्व की भांति आपात विद्युत कटौती से मुक्त करने एवं मंडुवाडीह 132 के० वी० ए० सब स्टेशन में 20 एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मर को अविलम्ब कार्यशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	12-13
शाहजहांपुर नगर के मुख्य मार्ग घंटाघर से टेलीफोन एक्सचेंज तक के निर्माण हेतु शासनादेश जारी करते हुए धन अवमुक्त कर निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
सम्पूर्ण प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक के कारण नगरीय क्षेत्रों की सफाई मानक के अनुरूप न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर रोड कर अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना	14
जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्रान्तर्गत बड़हवा नाला बाडीघाट पर पुल तथा कर्मनासा नदी पर अर्धनिर्मित पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14-15
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	15
अयोध्या प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परीक्षण के उपरान्त नयी अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर फर्जी हस्ताक्षर का प्रकरण	15-16
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	17-18

विषय	पृष्ठ-संख्या
नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर गुजरात के दंगों से सम्बन्धित संशोधनों पर औचित्य का प्रश्न	18
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	19-26
नेता विरोधी दल द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये संशोधन प्रस्ताव के बिन्दु 1 तथा 3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	26
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	27-66
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध आक्षेपात्मक टिप्पणी किये जाने से विपक्ष द्वारा सदन में शोरगुल करके बाधा उत्पन्न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	66-68
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	68-75
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 20 मई, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	श्रावस्ती	जगराम, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अजय कुमार, श्री	बागपत	जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जितेन्द्र कुमार जायसवाल	
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
अमरमणि, श्री	महराजगंज	देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
आदित्य विक्रम सिंह		धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
(बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर	नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
आलम बदी, श्री	आजमगढ़	नूर मोहम्मद, श्री	सुल्तानपुर
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं	प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर	बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर	बीरेन्द्र सिंह बुन्द भगत राजा, श्री	ललितपुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर	भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत	भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
जगदीस सोनकर, श्री	जौनपुर	माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी

मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह,कुं०	कुशीनगर/ पडरौना
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय कुमार मिश्रा, श्री	संत रविदास नगर भदोही
विजया यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, कुं०	मुरादाबाद
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 मई, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना उठाने का प्रयास

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न–1-पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे कृपा कर 311 के अन्तर्गत सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 की सूचना नहीं है कृपया प्रश्नकाल चलने दें ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने आसन पर बैठ गए)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं की मड़ाई हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की मांग

**1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गेहूं की मड़ाई के लिए ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यद्यपि सम्प्रति ऐसी नीति नहीं है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देश विद्यमान हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह किसानों की सरकार है, कल्याणकारी सरकार है जनता के हितों की दलितों और गरीबों की सरकार है । प्रदेश के किसानों के गेहूं की मड़ाई के लिए अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करेगी ? प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं । उत्तर प्रदेश में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु कितने मिलियन यूनिट की आवश्यकता होगी ? आज की तारीख में इसके सापेक्ष कितने मिलियन यूनिट का उत्पादन हो रहा है ? क्या 10 घण्टे के सम्बन्ध में निर्देश के बावजूद इतनी बिजली मिल रही है इसकी

क्या जांच करायेंगे ? मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4-4, 6-6 घण्टे बिजली मिल रही है तो क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री पाल साहब को बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में विगत वर्षों से बिजली की कमी चल रही है इस सम्बन्ध में किसानों को 10 घण्टे की विद्युत आपूर्ति के आदेश दे रखे हैं वह विद्यमान हैं लेकिन आज की तारीख में 8 घण्टे बिजली किसानों को दे रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसका मतलब उत्तर गलत है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे ध्यान में यह बात आ गई है । मंत्री जी उत्तर में आपने 10 घण्टे की बात कही अनुपूरक में 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति की बात कर रहे हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

अध्यक्ष जी 8 घंटे बिजली हम पूरे प्रदेश में किसानों को दे रहे हैं । कहीं पर लोकल फाल्ट की वजह से कम बिजली आ रही है । बहन मायावती की सरकार इस बारे में बहुत संवेदनशील है । हमने निर्देश दे रखे हैं कि कहीं पर लोकल फाल्ट हों तो उसको ठीक किया जाए व 8 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जाए ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर से एक विसंगति आ रही है । लिखित उत्तर में 10 घण्टे की बात है और अनुपूरक में 8 घण्टे की बात कर रहे हैं ।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मंत्री जी ने ईमानदारी से स्थिति को स्पष्ट किया है 10 घण्टे के निर्देश हैं लेकिन लोकल फाल्ट की वजह से 8 घण्टे बिजली आपूर्ति हो रही है । इस पर उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि फाल्ट दूर किया जाए ताकि 10 घण्टे बिजली आपूर्ति हो ।

श्री अध्यक्ष–

निर्देश 10 घण्टे के हैं वास्तविक आपूर्ति 8 घण्टे की हो रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर में 10 घण्टे का उल्लेख है आपूर्ति 8 घण्टे की कर रहे हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी यह सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का होता है । यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । यह सदन की अवहेलना है । बिजली 8 घण्टे भी नहीं मिल रही है । अभी मैं घर से आ रहा था रास्ते में कर्नेलगंज पड़ता है वहां से बी० एस० पी० के विधायक हैं तो वहां पर 4-4 घण्टे ही बिजली आ रही है । कई-कई दिन तो बस्ती में बिजली आती ही नहीं है ।

मान्यवर, मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछा था कि अगर 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे तो पूरे प्रदेश में कितने मिलियन यूनिट की आवश्यकता है और इस आवश्यकता के सापेक्ष कितना हाइड्रो थर्मल उत्पादन हो रहा है और कितना लाइन लॉस हो रहा है ? मुझे इसका उत्तर चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता है और उसके सापेक्ष आज कितना उत्पादन हो रहा है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में 7370 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता है लेकिन 4300 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर प्रश्न है । उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और बिजली की आपूर्ति के बगैर किसान जिन्दा नहीं रह सकेगा । डीजल से पानी ले नहीं सकता । अभी की सूचना है कि डीजल की कीमत 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ने वाली है । बिजली न मिलने का मतलब यह है कि तकरीबन 78 प्रतिशत जो कृषि और जराय पर निर्भर हैं उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं । सूचना सरकारी यह है कि 10 घण्टे बिजली मिल रही है । संसदीय कार्यमंत्री जी ने मंत्री जी के उत्तर के बारे में कहा कि इन्होंने ईमानदारी से कहा कि 8 घण्टे बिजली मिल रही है । इन दोनों में एक बेईमान है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उत्तर देखा है 10 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश हैं लेकिन वास्तविक रूप से 8 घण्टे बिजली मिल रही है ।

श्री मो०आजम खां–

जाहिर है कि आपको पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी होगी लेकिन मान्यवर, बाजे-बाजे गांव ऐसे हैं कि कहीं एक जगह फाल्ट हो गया है तो 10 गांवों तक बिजली का नामोनिशान नहीं है । प्रश्न यह पूछा गया कि कितना उत्पादन है और कितना खर्च है लेकिन माननीय मंत्री जी के पास उत्तर नहीं है । मेरा यह निवेदन होगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें या फिर इसको चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ।

प्रदेश की बिजली आपूर्ति के प्रकरण पर नियम–56 की सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21 मई, 2002 को एक घंटे की चर्चा का निर्धारण

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास इस विषय पर नियम–56 में तीन सूचनाएं आई हैं निश्चित रूप से विद्युत का जो प्रश्न है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं समझता हूं सदन सहमत होगा, नियम–56 पर कल सूचनायें आएंगी, अगर आप अनुमति दें तो कल एक घण्टे की चर्चा इस पर हम करा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

दो घण्टे करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आवश्यकता होगी तो समय बढ़ा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

प्रश्न प्रहर के बाद दोपहर में चर्चा करा लें, सब माननीय सदस्य भी रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लेंगे । समय बाद में निर्धारित कर लेंगे ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

प्रदेश में दैवी आपदाओं की श्रेणी में आने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

••2–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने दैवी आपदा की श्रेणी में किन घटनाओं को रखा है ? क्या आग लगने की घटनाओं को दैवी आपदा न मानकर सरकार द्वारा इस हेतु क्षतिपूर्ति (अहेतुक सहायता) बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

दैवी आपदा की श्रेणी के अन्तर्गत बाढ़, अतिवृष्टि, अग्निकाण्ड, लू-प्रकोप, भूकम्प भूस्खलन, शीत लहर, ओलावृष्टि, आकाशीय विद्युतपात आदि घटनाओं को रखा गया है । जी नहीं । अग्निकाण्ड की घटना भी दैवी आपदा के अन्तर्गत सम्मिलित है तथा दैवी आपदा पीड़ितों हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की राहत सहायता (अहैतुक सहायता, अनुग्रह, अनुदान व गृह अनुदान) अग्निकाण्ड पीड़ितों के लिये भी अनुमन्य है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो हम चाहते थे इनका वही उत्तर आया है, श्रीमन्, आग से जो लोग मर रहे हैं बलिया जनपद के अधिकारी और कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार ने आग को दैवी आपदा से हटा दिया है। आज तक एक पैसा सहायता पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज तक प्रदेश में जितनी आग की घटनायें हुई हैं उससे जितने परिवारों को क्षति हुई है उनको क्षतिपूर्ति करने के लिए कितने परिवारों के लिए दैवी आपदा की घोषणा की गई है । आज तक जितनी क्षतिपूर्ति की घोषणायें हुई हैं उनको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आज तक जितनी क्षतिपूर्ति हुई है यह तो व्यापक प्रश्न है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं अपने क्षेत्र की बात पूछ लेता हूं । हमारे यहां जयनगर, दैवीनगर, मठिया, पिंगरहा, सहतपार, गंगापाण्डेय का टोला, रामपुर में दो भैंसे 25 हजार, दो गायें 35 हजार और दो बछिया जलकर मर गई ।

हुसैनाबाद में दो भैंस जलकर मर गयीं उनको कोई पैसा नहीं दिया गया । जयनगर में 6 परिवारों के घर जल गए, सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई, गंगा पाण्डेय का टोला है वहां बहेलिया जाति होती है वहां आठ परिवारों का सारा सामान जलकर राख हो गया । यादव ठाकुरों के घर जल गए उनको क्षतिपूर्ति के नाम पर एक पैसा नहीं मिला । पिगरहा में एक पैसा पीड़ित परिवारों को नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मैंने जिन गांवों का उल्लेख किया है हफ्ते भर के अन्दर इनको दैवी सहायता दिलवाने का कष्ट मंत्री जी करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रत्येक जनपद को दस-दस लाख रुपये की राशि राहत कार्यों के लिए भेजी है अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । माननीय सदस्य मुझे लिखित सूचना दे दें तो हम इसमें जानकारी कर लेंगे, जितनी स्वीकृति होगी उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे । माननीय सदस्य मानवीय मुद्दों में हम और आप अलग-अलग नहीं है किसी अन्य सदस्य की भी सूचना प्राप्त होगी तो उसमें भी हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, ओलावृष्टि से जो नुकसान होता है उसमें किसी को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ नहीं मिल पाता है इसमें जो धनराशि दी भी जाती है वह ना के बराबर है मैं अनुरोध करना चाहता हूं फसलों में आग लगती है मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में साढ़े तीन सौ एकड़ का गेहूं जल गया उसको दैवी आपदा में नहीं लिया गया । किसान भूखमरी के कगार पर है क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि फसलों में आग लगती है तो किसान तो तबाह हो जाता है इसके लिए आप कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मानक के अनुरूप जिस-जिस विषय में यह दैवी आपदा सम्बन्धित राशि दी जाती है, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं से अवगत करा दें । हम इसे देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दीजिये ।

श्री अरविन्द गिरि–

अगर फसल जलती तो उसकी व्यवस्था करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, अग्निकांड के सम्बन्ध में अभी पूछा गया था तो मैं बताना चाहता हूं कि अग्निकांड पीड़ित को सहायता दिये जाने का प्राविधान बहुत पहले से है। एक शासनादेश था उस शासनादेश के अनुसार पक्के मकान, कच्चे मकान, टट्टर, फूस, झोपड़ी की पूर्ण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर श्रेणियां बनायी गयी थी। आंशिक में 1100 और पूर्ण रूप से जलने पर 1700 रुपया दिया जाता था। जो नया शासनादेश निर्गत हुआ है उसमें जो श्रेणियां बनायी गयी हैं उसमें पक्के मकान, कच्चे मकान तो हैं लेकिन टट्टर, झोपड़ी नहीं है। भूकम्प में पक्के मकान ज्यादा क्षति ग्रस्त होते हैं और बाढ़ में कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होते हैं। अग्निकांड में सर्वाधिक जलने वाले मकान वह होते हैं जो टट्टर और झोपड़ी वाले होते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस नये शासनादेश के चलते एक व्यतिक्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिला प्रशासन के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा जो राहत दी जाती है वह परेशान हैं। राहत आयुक्त ने यह कहा था कि बदल दिया जायेगा लेकिन अभी तक नहीं बदला गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो झोपड़ी, टट्टर नष्ट हो रहे हैं, मवेशी उसमें जल जाते हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है, क्या उसका समावेश कराकर, पूर्व की भांति समुचित राशि दी जा सके, ऐसा शासनादेश एक सप्ताह के अन्दर निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत होते हुए इसका परीक्षण करा लेते हैं और जो कुछ भी सम्भव होगा उसको शीघ्र ही करा देंगे।

श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिनकी झोपड़ी जल गयी.....

श्री अध्यक्ष–

पहले कमाल यूसूफ साहब को प्रश्न पूछ लेने दें। वे मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री कमाल यूसूफ मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत पुराना कानून है, अब तो महंगाई बढ़ गयी है, बहुत परेशानी हो जाती है। मान्यवर, फरवरी, और मार्च के महीने में जिन लोगों के घरों में आग लग गयी और आदमी मारे गये, जानवर मारे गये, जल गये और उनको सहायता नहीं दी गयी है, तो क्या आप ऐसा कोई आदेश निर्गत करेंगे जिससे उनको लाभ मिल सके ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, 18-4-2002 को कुछ राहतों का स्पष्टीकरण दिया गया था और 20-11-01 को नया आदेश जारी किया गया और अभी दिनांक 1-11-02 को भी एक आदेश.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी दिनांक 20-11-2002 आई ही नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे यह पूछना है कि फरवरी और मार्च के महीने में जो अग्निकांड से पीड़ित परिवार हैं उनकी राहत के विषय में उत्तर नहीं आ रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि जहां अभी तक दैवीय आपदा में वितरण नहीं हुआ है क्या वहां पर उनको दैवीय आपदा राहत देंगे ? और अगर पैसा नहीं था तो टी० आर०–56 में निकालना चाहिए था ।

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, आदेश तिथि 1-11-01 में बल दिया गया है, जो आदेश दिया गया है उसका पालन हो और यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी । हमारे यहां से राहत राशि भेज दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, जो अनुदान है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि यह जो राशि है यह कितनी है और एक परिवार को आप कितना देंगे ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मानक के अनुरूप, जो भी मानक में आते हैं, वह हम सूची सदन को या आप जिसे कहें उसे उपलब्ध करा देंगे ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, यह जो आग लगती है, नुकसान होती है क्या उसको दैवी आपदा मानते हैं । यदि मानते हैं तो उससे जो क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं और अहेतुक सहायता देते हैं । मान्यवर, कभी-कभी एक परिवार के घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में आग लग जाती है और फसलें नष्ट हो जाती हैं तो उसमें जब सरकारी अमले से बात की जाती है तो कहते हैं कि इसमें क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, अहेतुक सहायता का मानक क्या है, किस-किस रूप के लोगों को यह अहेतुक सहायता आप देंगे और किन लोगों को नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

केवल सिद्धान्त की बात बता दीजिये ।

श्री रवि गौतम–

जो भी माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं.....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि इतने लोग अनुपूरक करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर हर सूचना चेम्बर में देंगे तो सदन में बैठने का हमारा क्या औचित्य है ? माननीय मंत्री जी नये हैं हो सकता है कि तैयारी न हो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। दो प्रश्न हैं दो उत्तर आये हैं और हमें कार्यालय बुला रहे हैं यह कार्यालय न बुलायें यहीं पर उत्तर दें।

श्री उदय राज–

मान्यवर, अनुदान के संबंध में, दैवी आपदा की श्रेणी के संबंध में शासन ने इसकी घोषणा पहले कर दी है। मान्यवर, जिस समय किसी गांव में आग लगती है तो जो वहां अनुदान या सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है वह थोड़ा बहुत नुकसान होने पर 600 रु० और अधिकतम 1600 रु० है। जब इस प्रकार का आदेश है तब लेखपाल से सर्वे कराने या कानूनगो से सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उसका सर्वे कराया जाता है तो जो नुकसान लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार की रिपोर्ट पर आता है उतने नुकसान की भरपाई को पीड़ित परिवार को देने का काम किया जायेगा।

जो फसलें जल जाती हैं जिनका इस शासनादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है। क्या ऐसे लोगों को शामिल करके उनका जो नुकसान होता है उनकी भरपाई देने का आदेश शासन द्वारा जारी किया जायेगा ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मानक के अनुरूप यह सारी जिलाधिकारी के पास एक मानक की सूची होती है उसके अनुरूप मानक की विस्तृत सूची है। मा० सदस्य चाहें तो पढ़कर सुना दें, चाहें तो माननीय सदस्य को अलग से अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को यह मानक की सूची प्रेषित कर दीजिये।

श्री रवि गौतम–

मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री उदय राज–

मान्यवर, जो नुकसान होता है क्या उसके अनुसार सरकार अनुदान या सहायता राशि देने का काम करेगी, मैंने यह पूछा था, मैं मानक नहीं पूछ रहा हूं। मंत्री जी हर चीज का मानक बताने की बात कर रहे हैं हर सदस्य को कमरे में बुलाकर जानकारी देने की बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि

जब लेखपाल, तहसीलदार के माध्यम से सर्वे होता है और उसकी साफ-साफ रिपोर्ट जाती है कि अमुक व्यक्ति का इतना नुकसान हुआ है तो वास्तव में जितना नुकसान हुआ है क्या उतनी धनराशि यह सरकार देने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अगर मूल उत्तर देखें तो क्षतिपूर्ति नहीं है यह राहत सहायता है । जो मानक इन्होंने निर्धारित कर दिया है उसके अनुसार राहत सहायता होगी ।

श्री उदय राज–

मान्यवर, इसको बढ़ाने की बात करवा दीजिए ।

श्री कौशल किशोर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से 2 शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं । एक तो प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं तो व्यापक धन हानि, जन हानि होती है । इन प्राकृतिक आपदाओं का नाम दैवी आपदा रखा गया है । दैवी आपदा तो देव के कुपित होने से होती है और देव मंत्रों से ठीक होते हैं तो इसमें क्या सरकार मंत्रों का जाप करवायेगी या सहायता देगी, ऐसे कोपों से बचाने के लिए क्या उपाय करेगी ? क्या सारी प्राकृतिक आपदाओं का नामकरण दैवी आपदा न करके प्राकृतिक आपदा नाम रखने पर सरकार विचार करेगी जिससे प्राकृतिक आपदा का निराकरण मनुष्य कर सके क्योंकि दैवी आपदा का निराकरण मंत्रों से होगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य दैवी आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बीच में अन्तर निकाल रहे हैं कि दैवी आपदा के बजाय प्राकृतिक आपदा शब्द का प्रयोग करके उसमें राहत सहायता की बात करेंगे ।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि जब आग लगती है तो उसमें मकान रिहायशी मकान और गैर रिहायशी मकान में बांट दिये जाते हैं । गैर रिहायशी मकान में अनुदान नहीं दिया जाता है जबकि गैर रिहायशी मकानों में ही सबसे ज्यादा धन हानि, जन हानि होती है उसमें जानवर रहते हैं । हमारे क्षेत्र 54 लखीमपुर में ग्राम कटिया में लल्लू राम का गैर रिहायशी मकान जला जिसमें 8 जानवर जलकर मर गये तो क्या सरकार इसमें अनुदान दिलायेगी या नहीं तथा आगे सभी प्रकार के जले हुए मकानों पर अनुदान राशि दिलाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि अगर कोई विशेष घटनाएं उनके संज्ञान में लाई जायेंगी तो निर्देश दे देंगे तो आप यह घटना माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, आपने नये सदस्य को बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका गृह जनपद जो विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद लगता है जिला गौतमबुद्ध नगर लगता है वहां पर 4 गरीब लोगों के मकानों में आग लगी उनके पशु जले और तमाम नुकसान हुआ तो उनको 1500 रुपये देने की घोषणा हुई है और वह अब तक नहीं मिली है उसका लाखों रुपये का नुकसान हुआ है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1500 रुपये में उस गरीब आदमी की क्षतिपूर्ति हो सकती है जबकि बड़ी फैक्ट्रियों में आग लगती है तो इन्श्योरेंस के माध्यम से लाखों रुपये मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी कार्ययोजना क्या है, जिससे उनको सहायता दी जाय ?

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो मेरे पड़ोसी भी हैं और मित्र भी हैं। यह बात तो वैसे भी कह देते तो समाधान निकाल देते।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मद सं०–2 में कुछ नहीं है। मद सं०–3 में कुछ नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 मई, 2002 की बैठक में दिनांक 20 मई से 23 मई, 2002 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

1–दिनांक 20, 21 एवं 22 मई, 2002 को विशेष परिस्थिति में नियम–56 के अन्तर्गत सूचनायें ली जायें और ग्राह्य सूचनाओं के संबंध में शासन द्वारा अगले दिन स्थिति स्पष्ट की जाय।

2–सदन का 20 मई से 23 मई, 2002 तक का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाय।

मई, 2002

20 सोमवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
21 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
22 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
23 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(नियम–56 के अन्तर्गत सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

संसदीय कार्य वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक, प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के विषय में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप आगे बढ़ गये । अभी आपके सामने अहेतुक सहायता बढ़ाने के संबंध में प्रश्न आया था, कई सदस्यों ने इस संबंध में प्रश्न किये हैं लेकिन एक भी सही उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । आप हमारे संरक्षक हैं, आप बिना कोई सही उत्तर पाये आगे बढ़ गये । विद्युत के बारे में जो सही उत्तर नहीं आया था, उसको आपने चर्चा में ले लिया । जिनके घर जल गये, उनका सारा सामान जल गया लेकिन उनको एक पैसे की सहायता नहीं दी जा रही है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिये मंत्री जी अपने कक्ष में बुला रहे हैं । आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को भी स्थगित करके चर्चा में ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इस संबंध में नियमावली में प्राविधान है, वह चर्चा की मांग कर सकते हैं । अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो चर्चा की मांग करें, उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं लिखकर भेज दूंगा ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय अध्यक्ष जी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी जी का जो प्रश्न था, वह जिन चीजों को अपने प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहते थे, वह स्थिति स्पष्ट हो गयी है उत्तर में । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कुछ क्षेत्रों के बारे में, कुछ जनपदों के बारे में भिन्न-भिन्न स्थितियां माननीय मंत्री जी से जानने की कोशिश की, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं । अन्य सूचनाएं भी हैं, जिन्हें माननीय सदस्यों ने पूछा । अगर इसके उत्तरों में कहीं भी उत्तर नहीं आया । अब जहां तक माननीय सदस्य इस चर्चा का सवाल उठाते हैं, तो इसमें अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नये प्रश्न के माध्यम से पूछे जा सकते हैं । जितना आपने चाहा उतना मैंने स्पष्ट कर दिया । फिर मान्यवर, ये लोग जानना चाहते हैं उसमें बड़ी भिन्नता है, कोई जिले की बात पूछना चाहता है, कोई क्षेत्र की, कोई तहसील की । कोई एकरूपता नहीं और फिर मान्यवर पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई, जितनी आप जानना चाहते हैं । इसलिए मैं समझता हूं इसमें अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अन्तर्गत प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ;

श्री अध्यक्ष–

मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि आप उसकी लिखित सूचना दीजिए तो मैं उस पर चर्चा के लिए विचार करूंगा ।

नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नियम–300 के अन्तर्गत एक औचित्य के प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नियम–300 की सूचनाएं आयी नहीं है जब 300 आयेगा तब करियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है, मान्यवर, जैसा आप चाहें ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की हैं, इसे पढ़ी मान लेते हैं और दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, इसे भी पढ़ी मान लेते हैं । तीसरी सूचना माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है, इसे पढ़ी मान लेते हैं । चौथी सूचना माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, इसे पढ़ी मान लेते हैं । पांचवी सूचना श्री ओम प्रकाश जी की है, जो अनुपस्थित हैं, इसलिए यह सूचना निरस्त हुई ।

श्री उदयराज, श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, इसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाय, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय सदस्यों की रुचि है और उनका अनुरोध भी है इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

उक्त पांचो माननीय सदस्यों की सूच[illegible] मानी जाती हैं ।

अन्य सदस्यों की रुचि पर श्री अध्यक्ष द्वारा श्री ओम प्रकाश [illegible] को सदन के संज्ञान में लाया हुआ घोषित किया गया ।

सदन की सहमति से पांचों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।

वाराणसी नगर को पूर्व की भांति आपात विद्युत कटौती से मुक्त करने एवं मण्डुवा डीह 132 के०वी० ए० सब स्टेशन में 20 एम०वी०ए० के ट्रान्सफारमर को अविलम्ब कार्यशील किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

। महोदय, वाराणसी नगर इन दिनों भयंकर विद्युत कटौती के कारण त्रस्त है । वाराणसी की सांस्कृति, धार्मिक, पर्यटन तथा औद्योगिक महत्व को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्त तथा

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा वाराणसी को आपात विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया था । लेकिन इन दिनों वाराणसी को दो भागों में विभक्त कर दो पालियों में 5 घण्टे की घोषित विद्युत कटौती की जा रही है इसके अतिरिक्त विद्युत उप केन्द्रों के ट्रांसफारमर के ओवर लोड होने के कारण तथा शट् डाउन–ब्रेक डाउन तथा अन्य कारणों से अलग से 2-3 घण्टे की विद्युत कटौती की मार झेलनी पड़ रही है जिससे जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है । मण्डुवा डीह 132 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र में 20 एम०बी०ए० का एक ट्रांसफारमर रखा हुआ है जिसे लगा दिया जाय तो उक्त सब स्टेशन के ओवर लोड होने से मुक्ति मिल सकती है लेकिन खेद का विषय है कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को कष्ट भोगना पड़ रहा है । लगातार विद्युत आपूर्ति न होने से जल संस्थान तथा अन्य ट्यूबवेलों के पम्प नहीं चल पा रहे हैं जिससे पेय जल के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है ।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करते हुए मेरी मांग है कि वाराणसी नगर को पूर्व की भांति अविलम्ब आपात विद्युत कटौती से मुक्त किया जाय, मण्डुवा डीह 132 के०वी०ए० सब स्टेशन में 20 एम० बी० ए० के ट्रांस्फारमर को अविलम्ब कार्यशील किया जाय तथा आपात परिस्थिति में सम्पूर्ण वाराणसी नगर में एक साथ सिर्फ 3 घण्टे की विद्युत कटौती लागू किया जाय । ।

शाहजहांपुर नगर के मुख्य मार्ग घंटाघर से टेलीफोन एक्सचेन्ज तक के निर्माण हेतु शासनादेश जारी करते हुए धन अवमुक्त कर निर्माण कराये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

। मान्यवर, शाहजहांपुर नगर की एक पी०डब्लू०डी० की सड़क जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह मुख्य मार्ग घंटा घर से टेलीफोन एक्सचेंज होता हुआ डान एण्ड डोना स्कूल के सामने से यू०पी०एस०आर०टी०सी० के मुख्य बस स्टैण्ड होते हुए रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर तक का 2.50 कि०मी० का मार्ग 5-12-2001 को पी० डब्लू०डी० को एक शासनादेश के तहत हस्तान्तरित करके करवाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी । इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०डी० विभाग द्वारा इसका औपचारिक अनुमोदन प्रदान करते हुए तत्कालीन सरकार के द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई थी, परन्तु चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण शासनादेश जारी नहीं हो सका था ।

मैं आपके माध्यम से मा० लोक निर्माण मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त सड़क के निर्माण के लिए तत्काल शासनादेश जारी करते हुए धन भेजकर निर्माण कराने का कष्ट करें । ।

सम्पूर्ण प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक के कारण नगरीय क्षेत्रों की सफाई मानक के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगने के कारण नगरीय क्षेत्रों की सफाई मानक के अनुरूप नही हो पा रही है ।

जन स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ा है परन्तु निममित सफाई कर्मचारियों की संख्या ज्यों की त्यों । इस प्रतिबन्ध के कारण दैनिक वेतन (मैन

डेज) पर रखकर कार्य कराने के नाम पर स्थानीय निकायों में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के धन का छलापहरण हो रहा है ।

जब राज्य वित्त आयोग के माध्यम से हम एक निश्चित राशि स्थानीय निकायों को इस प्रतिबन्ध के साथ दे रहे हैं कि इससे पहले वेतन का भुगतान होगा ।

उचित होगा कि जो नगर निगम अपने संसाधनों से वेतन का भुगतान कर सकता है, उसको उतनी संख्या में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर छूट दी जानी चाहिये सम्बन्धित नगर निगम मेन डेज पर खर्च होने वाली वर्ष भर की राशि तथा अन्य संसाधनों से अपने यहां भरती कर ले ।

भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये तथा जिस बाल्मीकि परिवार का एक भी व्यक्ति अभी तक सफाई कर्मचारी के रूप में सेवायोजित नहीं है, को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । नियमित सफाई कर्मचारी रखे जाने लायक धनराशि मेन डेज के रूप में व्यय हो रही है ।

ऐसी स्थिति में मानक के अनुसार कम से कम लगभग 3000 सफाई कर्मचारी मेरठ नगर निगम में भरती किये जाने चाहिए । मृत्यु के फलस्वरूप व सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों पर भरती तत्काल की जानी चाहिए ।

मैं सामान्य जनता में जुड़े इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर रोड कर अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश की रोड कर व्यवधान सत्य से परे है । गाड़ियों पर अन्य प्रदेशों में रोड कर एक प्रतिशत है । हमारे प्रदेश में यह कर 2.5 प्रतिशत है डीजल की कारों पर तो प्रदेश में यह कर 5 प्रतिशत है, इसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रदेश के निवासी अपने उपयोग हेतु कारों को पड़ौसी राज्यों से खरीद कर ला रहे हैं तथा वही फर्जी पतों पर पंजीकृत करा रहे हैं अपने प्रदेश को एक पैसा भी कर की प्राप्ति न होने से भारी राजस्व की हानि हो रही है ।

मैं उपरोक्त विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से समुचित कार्यवाही की मांग करता हूं । ।

जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्रान्तर्गत बडहवा नाला, ताडीघाट पर पुल तथा कर्मनासा नदी पर अर्धनिर्मित पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश–

। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

जनपद–गाजीपुर के अन्तर्गत बड़हवा नाले पर ताड़ीघाट दिलदार नगर में पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है । ताड़ीघाट से दिलदार–गाजीपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर पुल के

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्माण से लाखों-लाख जनों की दैनिक सुविधा होने के साथ ही प्रशासनिक कार्यों के निस्पादन में भी प्रभावी नियंत्रण बढ़ेगा ।

इसके साथ ही कर्मनासा नदी पर देवल गांव के पास अर्धनिर्मित पुल के निर्माण कार्य को तत्काल पूरा कराया जाना जनहित में अपरिहार्य हो गया है । रिवाइज्ड स्टीमेट के अनुरूप बजट एलाट करके उ० प्र० एवं बिहार को जोड़ने वाले मार्ग के इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना अति आवश्यक है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बड़हवानाला पर ताड़ीघाट दिलदार नगर में पुल का निर्माण किये जाने तथा देवल गांव के पास कर्मनासा नदी पर अर्धनिर्मित पुल के निर्माण कार्य को तत्काल पूरा करवाने हेतु सरकार को निर्देश देने के साथ ही सदन में वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इनमें पहली सूचना माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की है, जो कि अनुपस्थित हैं । इसलिए मैं उनकी सूचना को निरस्त करता हूं ।

अयोध्या प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परीक्षण के उपरान्त नयी अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर फर्जी हस्ताक्षर का प्रकरण

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव, श्री अखिलेश सिंह, श्री जगदम्बिका पाल और श्री प्रमोद कुमा की है । ये सूचनाएं भी मैं निरस्त कर रहा हूं और इसलिए निरस्त कर रहा हूं क्योंकि इस सूचना पर एव माननीय सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर हैं । जब शुद्ध हस्ताक्षर आयेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

कल दोबारा सही हस्ताक्षर के साथ सूचना दी जाए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या चारों हस्ताक्षर फर्जी हैं ?

श्री अध्यक्ष–

चारों में से एक के हस्ताक्षर फर्जी हैं ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, क्या जो भी गलत सूचनाएं दी गई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं मान्यवर, आप कल दीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा हस्ताक्षर है, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं पूरी विश्वसनीयता देखता हूं, इसलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा जब कल सही हस्ताक्षर के साथ सूचना आएगी तो मैं विचार करूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

सुनने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह सूचना नियमानुसार नहीं है। फर्जी हस्ताक्षर हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सूचना नियमानुसार है।

श्री अध्यक्ष–

यह न कह दीजिएगा कि हस्ताक्षर सही हैं। अगर यह बात आयेगी तो मैं हस्तलेख विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेज दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं दावे के साथ, बलपूर्वक और चुनौतीपूर्वक कह रहा हूं कि मेरे हस्ताक्षर सही हैं। इसलिए दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दूंगा। अब इस पर मेरा विनिश्चय हो गया है। इसको आप दोबारा दे दीजिएगा।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए लिखा नहीं जायेगा। मैं अनुमति दे रहा हूं कल आप इसको दोबारा दे दीजिएगा।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20-5-2002 को नियम –56 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई । श्री अशोक बाजपेयी एवं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुंवर रेवती रमण सिंह एवं श्री अशोक बाजपेयी एवं श्री शारदानन्द अंचल की सूचना प्रदेश में उत्पन्न अभूतपूर्व बिजली संकट के सम्बन्ध में है ।

सभी माननीय सदस्य अवगत है कि एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लिया है । आवश्यकता होगी तो कल समय एक घण्टे, दो घण्टे बढ़ा दिया जायेगा ।

दूसरी सूचना किरण पाल सिंह जी की सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं न खरीदने के सम्बन्ध में है ।

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की ज्वलन्त समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश के किसानों की गेहूं की फसल खेत और खलिहानों से घर आ गयी है । सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों को समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल दिया जायेगा लेकिन दुःख की बात यह है कि सरकार ने गेहूं खरीद की घोषणा तो कर दी परन्तु गेहूं उत्पादक किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, अन्याय ही नहीं अपमान हो रहा है । प्रदेश में कहीं भी, किसी भी जनपद में सुचारु-रूप से गेहूं की खरीद नहीं चल रही है । केवल नाम मात्र का नाटक गेहूं खरीद के नाम पर सरकार कर रही है । किसी भी जनपद में सुचारु रूप से गेहूं खरीद के लिए न सामान है, न पैसा है, न बोरे हैं और न स्टाफ है, मीलों लम्बी लाइन लगी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी चूंकि इस सूचना पर उत्तर कल आना है जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है, तो क्या आप कल बोलना चाहेंगे या आज बोलेंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, आप सुन लें यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है । एक–एक दिन किसान का मुश्किल हो रहा है उसमें अत्यन्त रोष और आक्रोश व्याप्त है । किसान एक–एक किलोमीटर लम्बी लाइन लगाये हैं और आज 10-10 दिनों से क्रय केन्द्रों पर खड़े हुए हैं । उनका हाल कोई पूछने वाला नहीं है । जिन किसानों का गेहूं तुल गया है उनको आज तक चेक नहीं मिला है । जिस जनपद में पहले 500 क्रय केन्द्र खोले जाते थे वहां पर आज केवल 50 केन्द्र खोले गये हैं । को–आपरेटिव समितियों पर गेहूं खरीदा जा रहा है लेकिन वह उनसे लिया जा रहा है जिन पर समितियों का कर्ज बकाया है और उतना ही गेहूं लिया जा रहा है जिससे उनके कर्जे की अदायगी हो जाय । गेहूं खरीद में बिचौलिये बीच में आ गये हैं । सरकार की बिचौलियों पर कोई रोक नहीं है । बुलन्दशहर जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी जनपद है वहां पर केवल 125 क्रय केन्द्र हैं एक जमाने में वहां पर 1000 केन्द्र 12 सौ केन्द्र हुआ करते थे । सरकार का आदेश है कि ब्लाक हेड क्वार्टर पर क्रय केन्द्र अवश्य होंगे लेकिन मेरे यहां लेखावटी ब्लाक में एक भी क्रय केन्द्र नहीं है । आज यह सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है सारे किसान इससे पीड़ित हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस गम्भीर समस्या से संबंधित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा अवश्य करा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश है, माननीय किरन पाल सिंह की सूचना का उत्तर कल आयेगा उसके बाद ही इस सूचना पर विनिश्चय होगा ।

(श्री गया चरण दिनकर का नाम पुकारे जाने एवं उनके खड़े होने पर ।)

नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर गुजरात के दंगों में संबंधित संशोधनों पर औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । मान्यवर, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्राप्त हुये हैं उसमें हमारे माननीय नेता विरोधी दल का एक संशोधन है जिसका पहला ही बिन्दु है कि "गुजरात के दंगों के परिप्रेक्ष्य में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने तथा इनकी गतिविधियों को देखते हुए शिव सेना, बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद् पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में । " मान्यवर, इस संशोधन का राज्यपाल के अभिभाषण से क्या संबंध है मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं । इस प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र सामान्य है, हिन्दू और मुसलमान एकजुट होकर रह रहे हैं । ऐसा संशोधन लाकर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने और साम्प्रदायिकता को फैलाने का प्रयास है ।

ऐसा संशोधन लाकर इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का यह प्रयास है । क्या इस प्रदेश को गुजरात में इस संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है । इसी तरह से मान्यवर, आगे नम्बर–3 पर माननीय नेता विरोधी दल का संशोधन है "गुजरात दंगों में बेघर व बेसहारा लोगों को रोजीरोटी, मकान व अन्य मदद देने में हमदर्दी का तस्करा करने के संबंध में" तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा का संबंध गुजरात में हुयी घटनायें से कहां है, हम यहां पर मानवीय सम्वेदना तो व्यक्त कर सकते हैं लेकिन बेसहारा लोगों को रोजीरोटी मकान देने के संबंध में यह सदन क्या विचार करेगा । यह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । विश्व हिन्दू परिषद् पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार क्या प्रदेश सरकार को है । मान्यवर, इस प्रकार का प्रश्न उठा कर, ऐसे संशोधनों को लाकर साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का एक सुनियोजित षडयंत्र है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, यह गुजरात में हुये दंगों के परिप्रेक्ष्य में है, उसका उल्लेख हो सकता है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री गयाचरण दिनकर–

अध्यक्ष जी आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी मैं मा० नेता सदन और मा० सदन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2002 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

उत्तर प्रदेश में विधान सभा के आम चुनाव फरवरी, 2002 में सम्पन्न हो गये थे किन्तु आम जनता ने जो फैसला दिया उस फैसले से इस तरह के परिणाम नहीं आ सके कि कोई राजनीतिक दल अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन कर सके। अतः उत्तर प्रदेश की जनता को राष्ट्रपति शासन के हवाले सौंप दिया गया। राष्ट्रपति शासन कभी भी लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है। लम्बा अरसा गुजर गया दो महीने की राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता को विराम लगा और बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर साझा सरकार का गठन किया। 3 मई, 2002 को बहन जी के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने शपथ ली उससे पूरे प्रदेश में महलों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों में खुशी का आलम रहा। वह सरकार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिये गठित हुई। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण से नवगठित सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों का जो खाका उभरकर आया है मैं उनकी संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। सरकार की प्राथमिकता अन्यायमुक्त अपराधमुक्त भयमुक्त विकास युक्त वातावरण प्रदेश में उत्पन्न करना है। हर वर्ग के लोगों का हर क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सदियों से जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित हैं उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव और सामाजिक आधार पर भेदभाव यह सरकार नहीं करेगी। सभी लोग विज्ञ हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर है सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा। अनुत्पादक और अनावश्यक खर्चे ज्यादा बढ़ गये हैं जिससे आय और व्यय का संतुलन बिगड़ गया है परिणामतः विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं इस संबंध में सरकार ने कठोर वित्तीय अनुशासन का फैसला लिया है। अनावश्यक व अनुत्पादक खर्चों में कमी लाई जाएगी। जिससे आर्थिक सुधार होगा व प्रदेश के विकास हेतु अधिकाधिक धन उपलब्ध हो सकेगा। राजस्व वृद्धि के लिये करों में चोरी रोकी जाएगी। कर व्यवस्था को तर्क संगत बनाया जायगा। और राजस्व अभिवृद्धि के उपायों के साथ-साथ इस तरह के उपाय भी किये जायेंगे ताकि जनता पर अधिक दबाव न पड़ सके। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये नीतिगत फैसले लिये हैं।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, यह लिखित भाषण पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं लिखित नहीं पढ़ रहे हैं। बीच में एक आध उद्धरण दे रहे हैं मैं देख रहा हूं।

श्री गयाचरण दिनकर–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि प्रदेश के विकास के लिये सुरक्षा का माहौल होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रदेश का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अपने को विकास की गति से नहीं जोड़ सकता। आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिये अपराधों में कमी लानी है। अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके जनता को विश्वास में लाना होगा। मान्यवर, यह अपराधी और माफिया गिरोह किसी जाति और धर्म के नहीं होते, विकास के कार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं होता इसलिये सरकार ने फैसला लिया है कि जिनका पेशा है अपराध करना, पेशा है लोगों को सताना परेशान करना ऐसे लोगों का स्थान जेल की सींकचों के पीछे है। अपराधों को रोकने के लिये अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा जायेगा। गुन्डागर्दी करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जायेगा।

मान्यवर, अपराध समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं यह किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ते हैं। अपराध करने वाले लोगों से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है इसलिये अपराधों का खत्म होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि अपराध और अपराधियों को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। असामाजिक तत्वों, माफियाओं और गुण्डों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ यह भी विश्वास जनता को दिलाया जायेगा कि जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अपराधी को अपराधी मानकर उसको कठोर सजा दी जायेगी। कानून व्यवस्था की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है कि अपराधियों की सजा की दर में कमी आई है, इसलिये सरकार ने निश्चय किया है विवेचना और अभियोजन तत्परता के साथ हो। विवेचना की गुणवत्ता में सुधार हो जिससे अपराधी को सजा मिल सके। इसके लिये सरकार का प्रयास होगा कि विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आये जिससे अपराधियों को वांछित सजा मिल सके। शासन और प्रशासन की पारदर्शिता बनी रहे इसके लिये सरकार ने कोशिश की है कि प्रशासन पूर्ण दक्षता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करे। जो अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे उनको प्रोत्साहन दिया जायेगा, संरक्षण दिया जायेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि बदनीयती से काम करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त किया जायेगा। जो अधिकारी जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों के अन्दर यह भावना पैदा की जायेगी कि जनमानस की सेवा ही उनका धर्म और कर्तव्य है और जनमानस के कल्याण के लिये वह नीति और नियमों के आधार पर कार्य करें। जिन अधिकारियों के अन्दर सम्वेदनहीनता और कर्तव्यहीनता होगी चाहे वे शासन के हों या प्रशासन के, को बख्शा नहीं जायेगा। अधिकांश समस्याओं का निराकरण प्रशासन के, माध्यम से किया जा सकता है इसलिये राज्य सरकार ने प्रशासन को सम्वेदनशील और जन मानस के अनुरूप बनाने के लिये उसमें गति लाने के लिये कोशिश की है वह जन भावनाओं के अनुरूप जन समस्याओं का निदान कर सके और जनता के करीब पहुंच सके और सरकारी कामों में प्रशासन और शासन की जनता के बीच की दूरी कम हो सके।

मान्यवर, जनता की समस्याओं के निदान के लिए उनकी भूमिका किस प्रकार की हो, अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जायेगा कि उनके द्वारा जनता के प्रति क्या कर्तव्य निभाये गये, क्या उनकी भूमिका रही। मान्यवर, विद्युत समस्यायें प्रदेश का अहम संकट है, ग्रामीण अवस्थापना का एक महत्वपूर्ण घटक विद्युतीकरण है। ग्रामीण रोजगार को पनपने के लिए, ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामों में विद्युत दिया जाना जरूरी है इसलिए सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष

धन उपलब्ध करायेगी । इसमें प्रयास किया जायेगा कि ग्रामीण योजनाओं के सम्पादन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए । इसी के साथ-साथ गांव का विद्युतीकरण हो, पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में बिजली ग्रामीणों को उपलब्ध हो सके, यह प्रयास किया जायेगा । श्रीमन् औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए भी विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है किसानों की खुशहाली के लिए विद्युत का पर्याप्त मात्रा में मिलना आवश्यक है इसलिए सरकार ने यह कोशिश की है और नीतिगत फैसले लिए हैं ताकि ग्रामीणों को रोजगार और किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय विद्युत आपूर्ति हो और उचित दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके । जिससे किसानों में खुशहाली आ सके और किसान आगे बढ़ सकें ।

मान्यवर, विद्युत उत्पादन और वितरण पारेषण व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित किया जायेगा इसके लिए ठोस कदम उठाए जायेंगे । पारीक्षा और ओबरा आदि योजनायें हैं इसमें जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए प्रयास किया जायेगा । विद्युत आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक हजार मेगावाट की अनपरा सी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी । विद्युत चोरी की जहां तक बात है इसको रोकने के इंतजाम किए जायेंगे । विद्युत चोरी में लिप्त विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को राजस्व घाटे से उभारा जाएगा जिससे विद्युत योजनायें सरकार पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहें । उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की गति में पीछे हैं । बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के क्षेत्र हैं । मैं बुन्देलखण्ड की परिस्थितियों से परिचित हूं । बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के लिए अलग से विकास निधि की व्यवस्था की गई है पूर्वांचल निधि और बुन्देलखण्ड निधि की व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है लेकिन सरकार को इसके उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करानी चाहिए, इसका उपयोग स्थलीय हो स्थानीय जनता के हितों में इस निधि का उपयोग किया जाए इसका विशेष प्रबन्ध किया जाएगा । श्रीमन् उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा । महाविद्यालय संस्थान संकाय खुलना चाहिए जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्रों की भागीदारी हो सके और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के संस्थान खुल सकें । राज्य महिला आयोग का गठन किया जाएगा राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ तमाम प्रकार का उत्पीड़न होता है केन्द्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनायें महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही है जिनका कार्यान्वयन किया जाएगा और इन योजनाओं का लाभ आम महिलाओं को मिल सकेगा । इसके साथ-साथ राज्य महिला आयोग के गठन से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जो उनका उत्पीड़न होता था उस उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय पाने का अवसर मिलेगा । यह जो राज्य सरकार का कदम है यह एक सराहनीय कदम है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार संकल्पित है । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, और धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और अनिवार्य रूप से और समान रूप से छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है । इससे वे लोग जो शिक्षा से दूर हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे । ऐसे लोग जो स्वच्छकार परिवार के हैं उनके लिए बालक-बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन तथा मण्डल मुख्यालय पर आश्रम पद्धति विद्यालय की व्यवस्था की जायेगी । जो 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे ऐसे छात्रों को डा० अम्बेडकर निधि से विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ।

तहसील स्तर पर एस० सी० और एस० टी० के छात्रों को छात्रावास की भी व्यवस्था की जायेगी। पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए आवश्यक अवसर दिया जायेगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के सुधार के लिए सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है। जहां विद्यालयों की कमी हैं वहां पर विद्यालय स्थापित किये जायेंगे और शिक्षा की कमी प्रगति में सम्भावित को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षा स्तर कमजोर है, लापरवाही बरती जा रही है उसका सघन परीक्षण किया जायेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा। उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्राविधान भी किया जायेगा। मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु और ग्राम्य विकास द्वारा संचालित और पेयजल सम्बन्धित जो योजना है जिससे ग्रामीण लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके इसको प्राथमिकता के आधार पर बल दिया जायेगा। चीनी उद्योग की तरक्की हेतु राज्य सरकार ने मानक बनाया है। निजी पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जायेगा। ऐसी नीति बनायी जायेगी जिससे चीनी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। प्रदेश में उत्पादित प्याज के भण्डारण के लिए, जो प्याज की क्षति होती है उसको रोकने के लिए, जो 15 जनपद हैं उनमें 90 भण्डारण कक्ष की स्थापना राज्य सरकार करेगी। मान्यवर, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की और प्रदेश की महत्वपूर्ण सड़के हैं उनका सुधार हो और उनका चौड़ीकरण हो। उनके रख रखाव की समुचित व्यवस्था और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें बदलाव की जिम्मेदारी है। मान्यवर, नगरों में शुद्ध पेयजल प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए योजना बनायी गयी है। जन सहभागिता के आधार पर उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया जायेगा। ताकि पर्यावरण असंतुलन उत्तर प्रदेश से हटाया जा सके।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में केवल पांच प्रतिशत ही वन क्षेत्र रह गये हैं। जन सहभागिता के आधार पर पर्यावरण असंतुलन को समाप्त किया जायेगा। मान्यवर, सार्वजनिक हित में समता मूलक समाज की स्थापना समरसता के माध्यम से की जायेगी जिससे समाज में सद्भावना पैदा हो सके। मान्यवर, ऊंच-नीच, जाति और धर्म के आधार पर जो खाई है वह कम हो सके। इस प्रकार राज्य सरकार कृषकों के हित में उनके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य बाजार में मिल सके। यदि बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता है तो राज्य सरकार क्रय केन्द्र खोलकर उन्हें उचित न्यूनतम समर्थित मूल्य दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार का दायित्व है कि कृषकों को परेशानी न उठानी पड़े। इसलिए विपणन की व्यवस्था, भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी। कृषकों को ससमय समुचित और उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति मिल सके इसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इस प्रकार मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संक्षेप में मैंने अपनी बात रखी है। मा० सदन से निवेदन है कि धन्यवाद प्रस्ताव को यथावत पारित करने की कृपा की जाये। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव के समर्थन में श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा विधान मंडल के समवेत सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री गयाचरण दिनकर द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुझे

अनुमति दी है । आप जानते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का द्योतक होता है । सरकार आगामी वर्ष में किन कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता के प्रति अपने लोक कल्याणकारी सरकार होने के दायित्व का निर्वाह करने के लिए किस प्रकार कार्य करने जा रही है इसका द्योतक है । श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आर्थिक सुधारों की ओर जो ध्यान खींचा है उसमें उन्होंने हमारी सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया है । हमारी सरकार अगले एक वर्ष में आय और व्यय के असंतुलन को दूर करके, इसके घाटे को दूर करके प्रदेश की जनता के विकास के लिए अधिक ससाधन जुटाएगी । इसके लिए सरकार ने यह भी संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार कड़े वित्तीय अनुशासन लगा करके अनुत्पादक खर्चों को घटाएगी । किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था अर्थव्यवस्था होती है । हमारी सरकार ने कानून के राज की स्थापना का संकल्प महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त किया है । अपराधियों की जगह जेल में होगी, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई का संकल्प भी अभिभाषण में व्यक्त किया गया है । अपराधियों को जेल में होना चाहिए न कि जनता के बीच, और जो अपराधी जेल जाने के बाद अदालतों से दण्ड पाए बिना छूट जाते हैं इस पर भी सरकार ने दण्ड प्रक्रिया में सुधार लाने का संकल्प व्यक्त किया है । अपराधी के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि वह पुनः जनता के बीच जाकर अपराध न कर सके और यह जनता के सामने नजीर बन सके, प्रदेश की जनता भयमुक्त होकर रह सके इसका भी संकल्प व्यक्त किया गया है ।

हमारी सरकार ने पारदर्शी प्रशासन देने का संकल्प व्यक्त किया है । इसी के साथ-साथ हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार से समझौता न करने का स्पष्ट तौर पर संकेत सदन के समक्ष किया है । इसी के साथ-साथ शासन-प्रशासन जनता के द्वार, जनता की पहुंच में हो, इसको इस अभिभाषण के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है । रोजगार और उद्योग जब कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी तो फिर उसके बाद जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या रोटी की है । हमारी सरकार ने रोजगार और उद्योग के सम्बन्ध में कुछ अपनी नीतियाँ सदन के समक्ष रखी हैं । इसी के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या पर दबाव के आधार पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है । नौजवानों के सामने रोटी का संकट या बेरोजगारी का संकट के बारे में इसमें कहा गया है । इसके साथ ही साथ गांव के लोगों का पलायन रोका जा सके इसके लिए नीति बनाने का संकल्प इसमें व्यक्त किया गया है । इसके साथ ही साथ प्रदेश में नये उद्योग सृजित किये जा सके इसका भी उल्लेख अभिभाषण में किया गया है । उद्योग का विशेष महत्व है, इसका जिक्र अभिभाषण में आया है । यहां विशेष शब्द का इस्तेमाल करके इसका संकेत दिया गया है । प्रदेश में बाहर से पूंजी निवेश हो सके इसका भी उल्लेख अभिभाषण में किया गया है ।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश का अवसर प्राप्त हो और उस पूंजी निवेश के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा सके, इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के लिये रोटी की व्यवस्था की जा सके इसका भी संकल्प हमारी सरकारों ने इस अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त किया है । इंस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिये पूर्व की सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों को और प्रभावी तरीके से लागू करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने का निर्णय सरकार ने लिया है । इसी के साथ-साथ खाद्य प्रस्संकरण इकाइयों को प्राथमिकता देकर उसके माध्यम से औद्योगिक विकास करने का निर्णय शासन ने लिया है । शासन ने बेरोजगारी दूर करने का इस

अभिभाषण के माध्यम से संकेत दिया है। इसी के साथ-साथ यह संकल्प भी व्यक्त किया है कि प्रदेश में उद्यमियों को झंझटमुक्त एवं मित्रतापूर्ण वातावरण मिल सके।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ दिल्ली और आगरा के बीच में आर्थिक गलियारा विकसित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। दिल्ली में मेट्रो योजना का विस्तार आगरा तक किये जाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इसी के साथ-साथ लघु उद्यमियों को, उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान मिल सके इसका संकेत दिया है। सरकार ने यह भी आश्वासन व्यक्त किया है कि इन उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान दिलाने के लिये अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात इस अभिभाषण में व्यक्त की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलें यह संकल्प हमारी सरकार ने व्यक्त किया है।

मान्यवर, औद्योगिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी समस्या वित्तीय संसाधन जुटाने की है। यह चिंता कई बार सदन में व्यक्त की गयी है कि ऋण-जमा अनुपात में निरन्तर गिरावट आ रही है। प्रदेश के उद्यमियों को जितना पैसा ऋण के रुप में मिलना चाहिये जो पैसा बैंकों में जमा हो रहा है वह प्रदेश के विकास के लिये मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, जिससे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार करने का अवसर नहीं मिल रहा है इस पर हमारी सरकार ने चिंता व्यक्त की है। पिछली बार भी इस सदन में यह बात आयी थी पूर्व वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि यदि ऋण जमा अनुपात में, प्रदेश में विकास की गति नहीं आयी तो हम अपना बैंक प्रदेश में स्थापित करेंगे। अगर यह स्थिति है और हम ऋण जमा का अनुपात ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इसमें बैंकों से सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। कृषि एवं ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाने की बात इसमें कही गयी है। इसके साथ-साथ कृषि निवेशों-बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन, कृषि ऋण-समय पर उपलब्ध हो सके इसकी बाबत भी इसमें कहा गया है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में हमारी सरकार 11 लाख किसानों को नये किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायेगी। इसका निर्णय शासन ने लिया है। इसके साथ ही साथ कृषि को उद्योग का दर्जा मिल जाय, हमारा प्रदेश ग्रामीण प्रधान प्रदेश है हमारी 60 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है इससे देहातों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया है जिससे उत्पादकता बढ़ेगी।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ढांचा का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार ने सहकारी ढांचे को सुदृढीकरण और मजबूत करने का संकल्प लिया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का सख्ती से पालन सुनिश्चित करायेगी। कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। विद्युत की दृष्टि से उर्जा का बहुत बड़ा संकट है। उत्पादन और उपभोग में एक बहुत बड़ा अन्तर है। सरकार इससे अवगत होते हुए वर्तमान में उपलब्ध बिजली को बेहतर तरीके से अधिकाधिक मात्रा में जनता को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण को सफल बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। जनता को अधिक से अधिक बिजली बिना लो वोल्टेज के प्रदान करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के घाटे में कमी लाने और सरकार के ऊपर उसकी जो निर्भरता है उसको कम करने का संकल्प व्यक्त किया है इसके साथ-साथ बिजली चोरी के प्रति कड़ाई से कार्य करने का संकल्प लिया है बिजली चोरी अगर रोक दी जायेगी तो आज से 40 फीसदी ज्यादा आपूर्ति की जा सकती है। इसी तरह से प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दृष्टि से भारत सरकार के जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त आये हैं उन सिद्धान्तों को आधार बनाकर उनके अनुरूप काम कर ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे बिजली आपूर्ति करने की कार्ययोजना बनाई गयी है । हमारी सरकार ने 2007 तक 500 की आबादी वाले गांवों को सर्वऋतु उपयोगी सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई है । इससे जाड़ा, गर्मी और बरसात में गांव के निवासी इन सड़कों का उपयोग करके जिला केन्द्र तक आ सकें । इसके लिए 2007 तक उनको सड़कों से जोड़ने का संकल्प प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के माध्यम से किया गया है । गन्ना और चीनी के क्षेत्र में जहां गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, पेराई बढ़ी है और चीनी का उत्पादन बढ़ा है वहीं सरकार ने गन्ना मूल्य समय से बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाई है । अगर क्षेत्रीय असंतुलन की दृष्टि से विचार करें तो पूर्वांचल और बुन्देलखंड समस्याओं से ग्रस्त है हमारी सरकार पूर्वांचल निधि और बुन्देलखण्ड निधि का उपयोग इस प्रकार से सुनिश्चित करेगी ताकि वहां की स्थानीय जनता में भी विकास की किरण पहुंच सके । मान्यवर, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संकल्प किये हैं । पठनपाठन का माहौल सबको मिले । शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उस निजीकरण के माध्यम से बेहतर शिक्षा की सुविधा सभी को उपलब्ध हो सके । जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल कालेज हैं उन स्कूल संस्थानों का उत्पीड़न न हो सके । सरकार ने महिलाओं के विकास की दृष्टि से, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, जनता की पचास फीसदी आबादी को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से प्रदेश के 94 विकास काण्डों में स्वयं सिद्ध परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है । अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग तथा विकलांग में इन समाज के वर्गों को सरकार ने प्राथमिकता निर्धारित की है और छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा देने का निर्णय लिया है । स्वच्छकार वर्ग के लिए आश्रम पद्धति योजना के तहत बारहवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प सरकार ने किया है । भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत विकलांग कल्याण की योजना को लागू करने के लिए सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेगी और प्रदेश में जो विकलांग हैं उनको बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने निश्चय किया है ।

मान्यवर, केन्द्र की पुरोनिधानित योजना की फाइलें संसाधनों के आभाव में बहुत समय तक सचिवालय में पड़ी रहती हैं और उसका लाभ नहीं मिलता था । सरकार ने तय किया है कि केन्द्र से पुरोनिधानित योजना को धन का अभाव नहीं होने दिया जायेगा और उस योजना को जिस क्षेत्र के लिए और जिसके लिए आई है उस क्षेत्र में उसे शीघ्र लागू किया जायेगा और विकास को गति दी जायेगी । मान्यवर, नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों एवं अभिशाप के रूप में, मानवता के धब्बे के रूप में थी उनको मूलभूत भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो इसके लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प हैं । जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण मलिन बस्तियों की विशेष कार्ययोजना बनाकर उनके विकास को प्रकाश की किरण दिखाने का काम यह सरकार करेगी । जब से उत्तरांचल बना दो क्षेत्रों में प्रदेश में कमी आई । पर्यावरण की दृष्टि से और वन क्षेत्र हमारे यहां से समाप्त हो गया और बन क्षेत्र 4.46 प्रतिशत रह गया । सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिए इस अभिभाषण के माध्यम से अपना निश्चय सदन के सामने रखा है । जब पर्यावरण में सुधार होगा तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा । मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद पर्यटन का क्षेत्र भी हमारे यहां काफी कम रह गया हैं । सरकार ने संकल्प किया है कि हम इस प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए

अपने यहां इस क्षेत्र में विकास करायेंगे जिससे कि लोग पर्यटन की ओर आकर्षित हों । मान्यवर, इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव का उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समर्थन करता हूं और पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि इसे बिना किसी संशोधन के स्वीकार करें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रारम्भ करेंगे या किसी अन्य को अवसर देंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

मान्यवर, मुझे ही मौका मिल जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री मो० आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर एक रस्मी बहस पर धन्यवाद के नाम पर सत्तापक्ष की तरफ से शुरू हुई है । मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर उन मुद्दों की तरफ सत्तापक्ष को और अपने सभी साथियों को ले जाना चाहूंगा जिसने राजनैतिक प्रणाली और जम्हूरियत के लिए 100 करोड़ लोगों में.....

श्री अध्यक्ष–

पहले आप संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

श्री मो० आजम खां–

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ सम्वेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2002 को दिया है, अपना विरोध प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जो नत्थी ''ग'' में हैं, पढ़ना पड़ेगा ।

नेता विरोधी दल द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए गये संशोधन प्रस्ताव के बिन्दु 1 और 3 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया । एण्जेण्डा के नत्थी (ग) के बिन्द संख्या । और 3 के बारे में आज व्यवस्था का प्रश्न उठा था, उसको छोड़कर आप शेष पढ़ दीजिए ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मो० आंजम खां)–

मान्यवर, इसे मुझे पढ़ने दीजिए, बाकी आपके अधिकार असीमित हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप पढ़ दीजिए। अगर मैंने विनिश्चय विपरीत किया तो उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से पढ़ें कि मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन कर रहा हूं।

श्री मो० आजम खां–

मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :–

[× × ×]

31–दिन-रात बढ़ रहे जल-प्रदूषण तथा वायु-प्रदूषण से जन सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में।

मान्यवर, मैंने पढ़ दिया है पहली लाइन को पढ़ दिया है और फिर अन्तिम पढ़ दिया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह नत्थी ग में शेष है। इसे पढ़ा मान लिया जाय।

[2–सिमी के नाम पर गिरफ्तार होने वाले बेगुनाहों की रिहाई के सम्बन्ध में।

3–गुजरात दंगों में बेघर व बेसहारा लोगों को रोजी-रोटी, मकान व अन्य मदद देने में हमदर्दी का तस्करा करने के सम्बन्ध में।

4–बिगड़ी हुयी कानून-व्यवस्था को सुधारने की स्पष्ट रूपरेखा के सम्बन्ध में।

5–प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की योजना के बारे में।

6–हर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में।

7–प्रत्येक आदमी को रोजगार देने तथा इसकी कमी पर रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8–नये-नये उद्योग-धन्धे लगाने, उनको चलाने तथा इससे आम-आदमी को रोजगार और तरक्की देने के सम्बन्ध में।

9–पिछली सरकारों की तरह फिजूलखर्ची न होने देने के सम्बन्ध में।

10–प्रदेश में एस०सी०/एस०टी०एक्ट के दुरुपयोग को पूरी तरह से रोकने व दुरुपयोग करने वालों पर शिकंजा कसने के सम्बन्ध में।

11–सरकारी कारपोरेशन्स को उसकी बुनियादी मकसद से हटाकर उन्हें बर्बादी तक पहुंचाने तथा इसके बाद औने-पौने दामों पर बिकवाने के लिये जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

12–सरकारी कर्मियों को पहले मिल रही सहूलियतों में कमी के बाद उनमें व्याप्त असंतोष से पैदा हो रहे गतिरोध के सम्बन्ध में।

13–किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में।

14–हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा तथा आत्म सम्मान की गारन्टी देने व इसमें कसर बाकी रहने पर सीधे सरकार की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में।

15–सरकार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये आवंटित धन को पूरी तरह उसी काम में लगाने के सम्बन्ध में।

16–आम आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अस्पतालों में अंधाधुन्ध बढ़ी दरें घटाने के सम्बन्ध में।

17–साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाले ताकतों को कुचलने तथा जो लोग उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाना चाहते हैं, ऐसे कदमों को काट देने के सम्बन्ध में।

18–प्रदेश के अन्दर तथा खासतौर से सीमावर्ती जनपदों में आतंक फैलाये दस्यु गिरोहों, माफियाओं की समानान्तर सरकार को नेस्तनाबूद करने के सम्बन्ध में।

19–हर किसान को समय पर पानी, खाद, बीज व फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने की गारन्टी के सम्बन्ध में।

20–धान की खरीद में खुली धांधली करने वालों को कोई सजा न मिल [illegible] सम्बन्ध में।

21–पिछली सरकार के समय से बढ़े नकली और घटिया शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

22–प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिए होने वाली खरीद-फरोख्त को पूरी तरह से बन्द करने के सम्बन्ध में।

23–हर आदमी को शुद्ध पेयजल मिलने की गारन्टी लेने के सम्बन्ध में।

24–समाज के हर वृद्ध बेसहारा और विकलांग को अनिवार्य रूप से पेंशन देने के सम्बन्ध में।

25–इस साल गेहूं की फसल पर पूरी तादाद में खरीद सेन्टर खुलवाने तथा किसानों को बिचौलियों की लूट से बचाने के सम्बन्ध में ।

26–महिलाओं को उत्पीड़न व अत्याचारों से बचाने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में ।

27–बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी देने के सम्बन्ध में ।

28–प्रदेश की प्रमुख नदियों, खासतौर से पूर्वांचल में आने वाली बाढ़ से हुए नुकसान की पूर्ण भरपाई कराने तथा इस समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाने के सम्बन्ध में ।

29–कानपुर नगर में 16 मार्च, 2001 को दिल्ली में कुरान शरीफ जलाने की घटना के खिलाफ शान्ति जुलूस में शामिल लोगों पर लाठी चार्ज कराने, जेल में बन्द करने, इसके बाद भड़के दंगे में मारे गये 14 लोगों के लिये जिम्मेदारी तय कराने के सम्बन्ध में ।

30–बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस पर जमीनी हकीकत में पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में । ।

श्री मो० आजम खां–

मान्यवर, दुनियां में जब सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी और दुनियां में एक दूसरे पर पत्थर लेकर लिये खड़े थे, तब समाज का यह मन बना कि हम कोई न कोई रिश्ता साथ लेकर जियेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे । आहिस्ता-आहिस्ता लोग सभ्य होने लगे । लोगों ने अपने हाथों से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया । मान्यवर, यह वह जमाना था जब आदमी नंगा रहता था इस समय अपने शरीर को पत्तों से ढांकते थे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वह समय गुजरता गया । आदमी सभ्यता के रास्ते पर चलने लगा, समय गुजरता गया तो समझ में आया कि हमारा रास्ता सही है ।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए ।)

समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ने लगा हजारों सालों का सफर तय करने के बाद एक ऐसी व्यवस्था कायम करने के प्रति सजग हुए जिसमें एक ऐसी सरकार हो जो लोगों की सरकार हो लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार हो रास्ता तय हुआ । उसे लोक तंत्र कहा । हमारे लिए लोकतंत्र और आजादी बहुत अहम इसलिए हुई कि हमने हजारों साल की गुलामी के बाद निजात पाई थी और वह गुलामी जिसे सात समन्दर पार से अंग्रेज लाए थे । उस वक्त आजादी के लिए लड़ने वाले लोग धर्मों के वर्गों के जातियों के भेद-भाव दूर करके आजादी के लिये एक साथ लड़े थे । 1942 में ऐसा माहौल था हिन्दुस्तान के अंग्रेजों को यह सोचना पड़ा । एक ही मैदान में साथ लड़ने वाले लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया कि उनमें हिन्दू कौन है और मुस्लिम कौन है यह किस के लोग है जो एक ही दस्तर में खाना खा रहे है । 1942 हिन्दुस्तान इतिहास का सुनहरा दौर था लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी शातिराना चाल चली । देश आजाद तो हुआ लेकिन आजादी के साथ जो हमने संकल्प लिया था, बाबा–ए–कौम ने जो वादा किया था । संविधान के बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान के जरिए हर कमजोर को उसके जीने का अधिकार देने का वादा किया था कि यह जो आपके मर के आज एक तस्वीर हमारे सामने लगी है, उनकी सिफारिश और बाबा साहेब जिनके द्वारा निर्मित संविधान की हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत ने पास किया था । जिसमें कहा था कि देश में न कोई छोटा होगा, न

आज के बाद कोई बड़ा होगा, न कोई अमीर होगा, गोरे और काले में कोई भेदभाव नहीं होगा । उसके साथ संविधान में एक ऐसा उच्च पद जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं उसका प्राविधान हुआ और ऐसा तय हुआ कि जब कभी देश पर संकट के बादल छायें और लोकतंत्र में कहीं कोई दरार पड़ने लगे या इसके अलावा कोई ऐसी सूरते हालात पैदा हो कि एक व्यक्ति को पूरा देश चलाने की मजबूरी हो जाए । लेकिन यह बहुत मजबूरी का आलम होगा । उस वक्त सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होंगे । हमारी संवैधानिक व्यवस्था में इस दस्तूरी निजाम में बने और राज्यों में राज्यपाल महोदयों को राष्ट्रपति जी ने अपना दूत बनाकर नियुक्त किया और यह समझा गया कि प्रदेश के राज्यपाल जो कहेंगे और जो करेंगे वह देश की सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे हुये राष्ट्रपति जी का फरमान, उनकी ख्वाहिश और मंशा होगी लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने जो किया है उससे करोड़ों उत्तर प्रदेश के रहने वालों का मन टूटा है । मैं इस वक्त कहना चाहता हूं कि आज जो लोग उधर बैठे हैं और जो इधर बैठे हैं उनके माथों पर कोई पत्थर की लकीर नहीं खुद गयी है न इधर वाले उधर आयेंगे और न उधर वाले इधर आयेंगे । लोग आते जाते रहेंगे । लेकिन स्वार्थ में अंधे लोग सत्ता को मोर अमुल तोड़कर छाती से लगायेंगे । ऐसा सोचा भी न था ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से इन दो दलों के गठबन्धन को सरकार बनाने का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कमजोर और बेउसूली सरकार उत्तर प्रदेश में गठित है । इसने बहुत सी रवायतें और कायदे के बन्धन को तोड़ दिया । उन मिसालों से फायदा उठाया गया जिससे सत्ता पक्ष आज सरकार में है । बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत पुराने इतिहास में नहीं जा रहा हूं, 1996 में मात्र 6 वर्ष पहले की बात है । माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी को भारत के उस समय के राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलायी थी । उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था । 13 दिन के अन्दर यह सरकार खत्म हो गयी थी उसका कारण था एनरान समझौता । उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है । लेकिन यह मिसाल राज्यपाल महोदय ने अपने सामने नहीं रखा । 13 दिन की सरकार अटल बिहारी बाजपेयी की बनी और खत्म हो गयी, अल्पमत की सरकार थी लेकिन यह मिसाल सामने नहीं रखी । श्री नरसिंह राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी, यह मिसाल सामने नहीं रखी । बिहार में नितीश कुमार जी ने सरकार बनायी और यह मिसाल सामने नहीं रखी । मान्यवर, वह मिसाल जिससे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सके उस मिसाल को सामने रखकर समाजवादी पार्टी को जिसे प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिए एक बड़ी गिनती दी थी, उसको सत्ता से पीछे धकेल दिया । याद रहे नापाक समझौतों पर सरकार बन सकती है लेकिन चल नहीं सकती ।

मैंने एक दिन कहा था कि टेढ़ी बुनियाद पर इमारत बन तो सकती है लेकिन टेढ़ी बुनियाद पर बनी हुयी इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकती । मान्यवर, आज जो सरकार सत्ता में है, उसके सामने मंशा क्या है । मंशा यह है कि उधर बैठे हुये विधायकों को डराकर, धमकाकर, उन्हें खौफ जताकर के उनके अन्दर यह भावना पैदा करके, कि हमारे साथ नहीं रहोगे तो मध्यावधि चुनाव करा दिये जायेंगे मिडटर्म पोल से जायेंगे । मध्यावधि चुनाव आ जायेंगे । याद रहना चाहिये, आज सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को कि समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष इसमें एक मत है कि राज्यपाल महोदय अगर ऐसी सरकार को गठित करने का अवसर देते हैं तो यह उनका वे उमूली स्वार्थी फैसला है, लेकिन मान्यवर, जनता ने जो निर्णय लिया है, वह यही है कि जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें सत्ता में होना चाहिये था ।

मान्यवर, यह सही है कि हम दुखी है और इसलिये दुख है कि हम सरकार बनाना चाहते थे, बनाना चाहते हैं और आगे भी सरकार बनाना चाहेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। मान्यवर, हक व सदाकत की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि हम जनता को न्याय दे सकें। इसलिये सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि यह प्रदेश गरीबों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, ऐसा प्रदेश है जहां आज भी बच्चों से काम लिया जाता है, आज भी बूढ़ी महिलायें सिर्फ जिन्दा रहने के लिए काम करती है हालांकि इस प्रदेश की मुख्य मंत्री, सदन की नेता महिला है, इसलिये आपसे कहना चाहता हूं। कभी सोचा उस सच्चाई के बारे में जिसमें मानवता का सर झुक जाता है क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोटरों में चलने वाले लोग, चाहे नेता हों, बड़े लोग हों, जब सड़कों से गुजरते हैं तो आज भी समाज की मां, समाज की बहन, बेटी जो अपनी जरूरतों से फारिग होने के लिये सड़कों के किनारे बैठती है और जब मोटर की रोशनी उसके जिस्म पर पड़ती है तो वो उसी आलम में खड़ी हो जाती है, उसका जिस्म गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस वक्त मेरे जैसे आदमी का 54 साल की आजादी का सपना टूटता हुआ नजर आता है। आज भी हिन्दुस्तान का वो गरीब जो कि छोर पर खड़ा है सरहोज भी समाज की मां, समाज की जवान बेटी, बहन की इज्जत को छुपाने के लिये साढ़े 4 इंच की दीवार भी मयस्सर नहीं हो सकी है। इस जिन्दा दर्द श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिक्र तक नहीं है। उन्होंने यह गठबन्धन क्यों स्वीकार किया है ? सिवाय इनको वाजिद करार देने के और क्या हैं आप भाषण में अपनी इस सोच को सही और वाजिब करार देते हुये अपने अभिभाषण में बार-बार यही कहा है और आधे से ज्यादा अभिभाषण यही साबित करने के लिये है कि यह सरकार क्यों गठित की गई है। मान्यवर, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि यह सरकार इसलिये गठित हुई है कि केन्द्र में बैठी हुयी सरकार और केन्द्र के प्रधानमंत्री की मजबूरी थी कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सहयोग लिया जाय। क्योंकि केन्द्र में बहुत से सहयोगी दलों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी थीं समर्थन वापस लेने की बातें शुरू कर दी थीं, गुजरात के मद्दे पर। इसलिये गिनती बराबर करने के लिये बसपा का समर्थन लेना मजबूरी थी।

मान्यवर, गुजरात का मुद्दा मात्र एक राज्य का मुद्दा था, यह कहकर इसे टाला नहीं जा सकता कहा जाता है यह हमारा अन्दरूनी मामला है जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता है तो कौन उसे गलत क्या कभी मुसलमानों की तरफ से कहता है कश्मीर के आतंकवाद की हिमायत हुई है। अफसोस यह है कि कश्मीर में रहने वाले लोग, कश्मीर से बाहर के मुसलमानों को हमेशा यही दोष देते रहे हैं कि कश्मीर के बाहर रहने वाले मुसलमानों ने कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की हिमाकत नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि 54 साल के अन्दर एक भी बयान किसी मुसलमान नेता का या जनता के किसी व्यक्ति का नहीं दिखाया जा सकता है। जिसमें उसने आतंकवादियों की हिमायत की हो, वह मानता है कश्मीर भारत का हसीन हिस्सा है इसलिये हम आज भी पूरी मजबूरी के साथ आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वह अमेरिका की डब्लू०टी०सी० इमारत से शुरू होता हो या पेंटागन पर खत्म होता हो। कश्मीर के आतंकवाद से सबक सीखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि किसी बेगुनाह को मार देना, रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह मुसाफिरों पर गोलियां चलाना, बूढ़ी औरतों, मर्दों को मार देना, तीर्थयात्रियों को मार देना, अगर कोई यह समझता है कि यह सही है तो ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है और गैर इस्लामिक है। हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, आपको भी इसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा। हमारी साम्प्रदायिकता के खिलाफ तैयारिक लड़ाई है, अगर हम उन लोगों के मारे जाने की नित्य नहीं करेंगे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसे हम हार जायेंगे। दूसरी तरफ अगर मेरे ही धर्म का कोई आदमी बेगुनाह की जान लेता है तो भी हम यह लड़ाई उसी दिन हार जायेंगे, हम मजबूती के साथ

लड़ना चाहते हैं । फासिज्म के खिलाफ हमारा मजबूत नारा है । मजहब और धर्म के नाम पर कोई नारा लगाए "अल्लाह ओ अकबर" का नारा इसलिये लगे कि दूसरी बस्ती में दहशत फैल जाय, बच्चे डर जायें तो इसे इस्लाम का नारा नहीं कहा जा सकता, यह इस्लाम का सिर ऊंचा करने का नारा नहीं होगा । इसी तरह दूसरी तरफ अगर कोई "हर-हर महादेव" का नारा लगाता है कि मुस्लिम समाज डर जाय, फज की अजान न हो सके लोगों में डर फैल जाय बच्चे मां की छाती से लिपट जायें तो यह धर्म का नारा नहीं होगा । इसलिये चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे गुजरात का आतंकवाद हो, अगर यह रोका नहीं जायेगा तो समाजवादी पार्टी का संकल्प है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का संकल्प है कि चाहे हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम कुर्बानी देंगे । हम यह कहना चाहते हैं, इस सदन में और इस सदन से बाहर रहने वाली जनता से, जिन्होंने गलती की है समाज दुश्मनों का पुनः वह आज पछता रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में समाज वादी पार्टी की सरकार यदि होती तो आज गुजरात में नरेन्द्र मोदी मुख्य मंत्री नहीं होते और न ही आज उत्तर प्रदेश की यह हालत होती ।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश का अहित हुआ है उतना अहित पिछले 50 सालों में नहीं हुआ । यह भी एक विडम्बना है कि उन 5 सालों में शुरुआत उन्हीं नेता सदन से हुयी जो आज भी नेता सदन हैं । विधायक खरीदे गये थे, उनका मोल लगा था, आप इंकार कर दीजिये । लेकिन सच्चाई है, वह शर्मनाक दिन को हमने देखा है जो अभूतपूर्व था और वह दिन उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये ऐसा कलंक है जिसको झुठलाया नहीं जा सकेगा । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन चीजों का कोई जिक्र नहीं है जो जरूरी थीं, जिक्र नहीं है कि पिछली सरकार अव्यस्थित थी, सरकार का खर्च इन्हा से ज्यादा था आमदनी बहुत कम थी । नाम लिये बगैर राजनाथ जी पर बहुत कटाक्ष किया गया है । श्रीमन्, बहुत से फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन कुछ फैसले सही भी तो हो सकते हैं । मैंने अखबार में पढ़ा जब आज की नेता सदन को मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना साकार होता दीखने लगा तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी के बारे में बयान देना शुरू किया और जब शपथ दिलवा दी गयी और राजशाही की मुहर लग गयी तो प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राजनाथ जी की पिछली सरकार के गलत फैसलों पर दोबारा फैसला होगा । इससे विरोधाभास सामने आ गया और वह लड़ाई सामने आ गयी जिस पर आज लीपापोती की जा रही है । आज सत्ता पर काबिज लोगों को मैं जिसे टेक्नीकल ग्रुप कहता हूं सिर्फ काम काज चलाने का काम हो रहा है ।

मान्यवर, इस सरकार को प्रदेश के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों के बारे में उनकी जर्जर हालत के बारे में, गेहूं की खरीद के बारे में, कुछ भी नहीं कहा गया है । यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन यह भी सच्चाई है कि जहां इस देश, प्रदेश के 78 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं फिर भी देशवासी भूखे हैं, मान्यवर, 4 फीसदी लोग अमेरिका में खेती का काम करते हैं और खुद खाते, पूरी दुनिया की केवल भूख मिटाते हैं । 4 फीसदी खेती का काम करने वाला देश अपने देश के लोगों की भूख मिटाता है और पूरी दुनियां की भूख मिटाता है वहीं पर 78 फीसदी लोग जो यहां किसानी का काम करते हैं भूखे हैं । कहा जाता है कि गेहूं की बम्पर क्रास हुयी

है। हुआ यह है कि किसान तो समझ रहा था कि उसकी फसल बहुत अच्छी है। वह सोच रहा था, कि मसलन उसके खेत में 3 क्विंटल गेहूं पैदा होगा लेकिन न जाने क्या हुआ, न जाने किसकी नजर लग गयी। राजा बुरा होता है तो जनता का नसीब फूट जाता है किसान का नसीब ही फूट गया और गेहूं का दाना सूखा निकला और एक तिहाई गेहूं की पैदावार हुयी। आज किसान पर दोहरी मार पड़ी है एक तो उसका गेहूं कम हुआ और दूसरी तरफ 50-100 रुपये गेहूं की तौल में बिचौलिये कमीशन खा रहे हैं। इस पर राज्यपाल महोदय की नजर नहीं गयी। राज्यपाल महोदय ने कमजोर वर्गों की तरफ कोई इशारा नहीं किया है जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। गौर करेंगे आज अस्पताल का परचा इस सरकार में 7 रुपये का बनता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं। अगर राज्यपाल महोदय अस्पताल की लाइन में लगे हों तो जरूर एहसास होता, मान्यवर, पहले गुलामों के बाजार लगा करते थे। लोग गुलामों को खरीदा करते थे। कुछ गुलाम भाग भी जाते थे। कुछ गुलाम भागने की हिम्मत करें तो आजाद भी हो सकते हैं।

आज भी जबकि दुनियां बहुत तरक्की कर गई है चांद और सितारों से आगे भी जहां तलाश किया जा रहा है स्पेस में होटल बन गया है, चांद में होटल बन गया है, बुकिंग शुरू हो गई है। ऐसे में भी शहरों में इन्सानी जिस्म लाइन लगाकर खड़े होते हैं काम कराने वाले लोग उनके जिस्म को पसन्द कर काम कराते हैं। जो कमजोर हैं वह वापस लौटाया जा सकता है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वहां पर जो होटल बना उस पर आप रुके हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

आपके लिए व्यवस्था बनवा दें।

श्री मो० आजम खां–

जो गरीब मजदूर वापस लौट जाता है उसके घर चूल्हा नहीं जलता बाकी के लिये रोटी नहीं बन पाती है जिस रोज मजदूर को काम मिलता है उस दिन उसे 40-45 रुपये की पगार मिलती है हमारे पश्चिम की तरफ तो इतना रुपया मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड में तो 15-20 रुपये ही बमुश्किल मिलते हैं। इतने रुपये में बीमार मां की दवा नहीं हो सकती, बीमार पत्नी की दवा नहीं हो सकती, बीमार बच्चे की दवा नहीं हो सकती, बीमार भाई की दवा नहीं हो सकती। यह जिन्दगी की जलती हुई समस्यायें हैं। यह ऐसी बात नहीं है जो सदन में न कही जाए यह ऐसी बात नहीं है जो सदन के स्तर से बहुत नीची हो। अगर पक्ष में बैठे हुये लोग सोचते हैं कि यह बात उनके स्तर से नीची बाते हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे हुए लोग और मेरे जैसे आदमी के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। ऊंचे स्तर वाले बतायें वह सात रुपये में अस्पताल का पर्चा कहां से बनवाएगा। अगर सात इस रुपैमें में वह पर्चा बनवा भी ले तो टी०बी० का मरीज जो गरीब आदमी होता है, रिक्शा चलाने वाला होता है, बीड़ी बनाने वाला मजदूर होता है उत्तर प्रदेश में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की संख्या कम नहीं है। इन मजदूरों को 100% आबादी का ट्यूबरकोलेसिस या कैंसर तो लाज़मी तौर पर होता है। आखिर वह कहां से 15 रुपये उसके थूक टेस्ट व बलगम टेस्ट पर खर्च करेगा। कहां से 35 रुपये एक्सरे पर खर्च करेगा। 120 रुपये अल्ट्रा साउन्ड पर कहां खर्च करेंगे। इतनी कम आय वाला गरीब मजदूर इतना पैसा कहां से लायेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इन करोड़ों लोगों की तरफ इन बीमारों की तरफ

जिनके लिए संविधान में व्यवस्था है कि इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकारों की होगी उस पर कोई नजर नहीं डाली। मान्यवर, नेता सदन मौजूद हैं विदेशों में ऐसा प्रोपोगण्डा चल रहा है कि यहां बहुत से उद्योगों में बच्चे काम करते हैं। जिसमें खास तौर में कालीन उद्योग को निशाना बनाया गया है। मान्यवर, मैं यह राय देना चाहूंगा और ही सकता है कि राय निशाना के लिये बने लेकिन एक सच्ची बात है। जो कही जायेगी। जब मैं श्रम मंत्री था, मैंने खुर्जा के एक कारखाने पर छापा मारा कुछ बच्चों को पकड़कर थाने लाया और रिपोर्ट लिखवाई मालिक के खिलाफ और फिर दिल्ली चला गया। थोड़ी देर बाद मालिकों ने मुझसे सम्पर्क किया, मैंने कहा मुकदमा वापस नहीं होगा। उसके थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माएं मेरे पास आई। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को होटल में भट्टी झोंकना चाहिए। आप जानते है फिरोजाबाद में शीशे का काम होता है। नजाकत देखिये जिस शीशे की नली से बच्चा अपनी सांस आग को फूंकने का काम करता है। हाई डिग्री सेन्टीग्रेट पर जो आग होती है वह सीधी फेफड़ों में जाती है, वह उसको बर्दाश्त तो करता है। लेकिन उसके भयंकर नुकसान होते हैं। फेफड़े खराब हो जाते हैं।

मान्यवर, मानवीय आधार पर बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, मैं इसलिये भी कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी दलितों के नाम पर भाषण नहीं हुआ था, दलितों के नाम पर कोई पार्क या इमारत नहीं बनी थी न बनाने का दावा किया गया था समाज की उस दुखती रग पर उंगली रखी गयी थी जहां जिन्दगी सिसक रही थी। उस सरकार ने बाल्मीकि समाज के लिये प्राविधान किया था जिनकी मांएं और बेटियां हमारे समाज की गन्दगी साफ करने के लिये सुबह से निकल जाती हैं और वह बच्चा जिसे बड़े अरमानों से पैदा किया है, जिसे वह यह नहीं चाहती कि वह भी यही काम करे। जिसे पुशतों से उसके पूर्वज करते आये हैं उसकी बेटी या बेटा अगर बड़ा आदमी नहीं बन सके तो कम से कम किसी कार्यालय में चपरासी या क्लर्क बन जाय। हो सके तो डाक्टर या इन्जीनियर बन जाय। वह छोटे सा छोटा सपना साकार करने की हैसियत में नहीं थी। वह सुबह चली जाती थी उसका बच्चा अपने घुटनों पर खेलते-खेलते स्कूल का दरवाजा देखे बगैर बड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने संशोधन किया था कि बाल्मीकि समाज की इन मां-बेटियों को यह हक होगा कि पहले अपने बच्चे को नहला धुलाकर स्कूल भेजें और आठ बज जायं तब समाज की गन्दगी साफ करने के लिये निकले। इस पर किसी की निगाह नहीं गई। इसलिये नहीं गई कि मसला उनकी समस्याओं को हल करने का नहीं था। उनकी समस्याओं को बनाये रखने का था। समस्याएं बनी रहेंगी तो नेताओं के आगे गरीब लाचार के हाथ फैले रहेंगे। अगर इनका हल हो जायेगा तो फिर नेताओं के आगे लोग मजबूर नहीं रहेंगे। मुझे खेद है इस बात का और मैं यह सुझाव देना चाहता हूं इस मौके पर कि बच्चे काम न करें, बहुत अच्छी बात है। मुझे वह वाकया याद आता है कि उन बच्चों की मां ने मुझसे कहा था और मैं लाजवाब हो गया था। मां ने कहा था आप मत छोड़िये लेकिन यह बतायें कि हम गुजारा कहां से करें ? हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होगा कि या तो हम जहर खाकर मर जायं या फिर हम कोठे पर बैठ जायं। मैंने बच्चों को छोड़ दिया। मेरे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था।

मान्यवर, मैं आज यह आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें मन तो यह करता है कि किसी बच्चे से कोई काम न लिया जाय। उन्हें शिक्षा मिले, खाना मिले। सम्मान मिले अच्छा कल मिले, लेकिन जहां ऐसी महिलायें हैं उन्हें बच्चों की शिक्षा के साथ जिनके पति नहीं हैं, कोई आसरा, सहारा नहीं है उनकी जिन्दगी गुजारने का भी कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसका कोई जिक्र नहीं है श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में बिजली के बारे में कोई जिक्र

नहीं है जिस पर आप सदन के शुरूआत में ही बहस हुई है । मान्यवर, कोई उत्तर नहीं है सरकार के पास बल्कि सरकार ने ऐसा उत्तर दिया है जिससे मालूम होता है कि सरकार अभी तक इस नशे की नींद से जागी ही नहीं है जो नशा शपथ लेते समय पिया था, उस नींद से अभी नहीं जागी है । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को इतना बेहिस न समझें, उसने जो भारतीय जनता पार्टी का अंजाम, जो हश्र किया है उससे बहुजन समाज पार्टी को सबक लेना चाहिए था सत्ता में बैठे हुए लोगों को सबक लेना चाहिए था । किसान के खेतों पर यदि बिजली नहीं होगी, किसान अपने खेतों को बिजली, पानी नहीं दे पाएगा, उसको बिजली पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं होगी तो इस सदन में किसानों के साथ धोखा देने और झूठ बोलने का काम होगा तो और यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश के 78 प्रतिशत लोगों के साथ अन्याय होगा, हो सकता है इस अन्याय का पता आपको जल्दी ही लग जाए । बिजली की समस्या शहर की हो या देहातों की, शहर पर असर इसलिए ज्यादा पड़ता है क्योंकि शहर में हवाओं का बसर नहीं है गर्म सड़कें, गर्म ईमारतें । श्री राज्यपाल महोदय ने माना है कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होने के बाद प्रदेश बंजर हो गया है, प्रदेश तो बंजर है ही, किस-किस चीज को बंजर होने से बचायेंगे । इसमें हरियाली कैसे आए, जिन्दगी कैसे आए, इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कोई सुझाव नहीं दिया है । शहर में बिजली न आने से जो शहर के लोगों की दुर्दशा होगी, शहर में एक वक्त लोगों को भले ही खाना न मिले लेकिन बिजली आनी चाहिए वह बर्दाश्त कर लेगा । बिजली का संकट समाप्त नहीं हुआ है । किसानों को बिजली न मिली तो उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर आ जायेगी । जनता जब सड़कों पर आती हैं तो अपना हक मांगने के लिये किसी भी हद तक जा सकती है, सरकार अपने को जनता का हितैषी कहकर सरकार में बैठी है, दलितों का हितैषी बनकर सत्ता में बैठी है । करोड़ों लोग हैं जो अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर निकलने वालों पर लाठी और गोली का इस्तेमाल करती है ऐसी कमजोर और पंगु सरकार फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजती है । मान्यवर, कहा गया एस०सी०एस०टी० ऐक्ट का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है यह खूबसूरत जुमला बोला तो जा सकता है, इसमें तालियां बज सकती हैं । मेंजे थपथपाई जा सकती हैं लेकिन मान्यवर, नेता सदन को मालूम होना चाहिए, कि लोकसभा सदस्य सी०एन०सिंह जो हमारी पार्टी के हैं और इस सदन के सदस्य रहे हैं उन पर एस०सी०एस० टी० एक्ट का मुकदमा कायम हुआ । श्रीमन् पुरवा संतोषपुर चौबिया पनकटी जसवन्तनगर थाना, बड़कुला और रामपुर में आदि खुद मेरे शहर में इसके तहत बराबर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस पैसा कमा रही है (व्यवधान)

मैंने आपसे पहले भी कहा था सबसे पहले आप प्रदेश को बचाएं । लेकिन आप विपक्ष को दबाने के लिए विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं ।

याद करें समाज, समाज में जो बहुत दुखी और अपमानित को समाजवादी पार्टी ने जज्बाती नारा नहीं दिया था बल्कि असलियत में मजदूरों के लिए उनके कल के लिए उस दलित मां के बच्चें के भविष्य के लिये इंतजाम हुआ था जो समाज की गन्दगी अपने सर पर उठाकर चलती थी उसके पहले स्कूल भेजने का काम किया गया और यह सरकार ढोंग के नाम पर राजनीतिक कारणों से अपने विरोधियों का उत्पीड़न कर रही है । मान्यवर, दलित उत्पीड़न हो और कार्यवाही न हो हम इसके भी पक्षधर नहीं हैं । बल्कि अगर किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ इस नाम पर कोई नाइंसाफी होती है तो यह गुनाह आम गुनाह से बड़ा है और इसकी सजा भी आम सजा से अधिक होनी चाहिए । मान्यवर, जिन्दगी हादसों का नाम है, मिसाल के तौर पर सारा परिवार ट्रेन में जाते हुए अगर कोई हादसा

हो जाय और उसमें खत्म हो जांय, कोई बच्चा जिन्दा बच जाये बच्चे को उतार लिया जाय और कोई उसको पाले, मान्यवर, मैं एक जज्बाती आदमी हूं। मैं सच्चाइयों से जुड़कर रहने और जीने वाला आदमी हूं, मैं बहुत ख्वाईशात वाला आदमी नहीं हूं, सीधी सादी बसर करने वाला आम सा आदमी हूं आम जिन्दगी का तर्जुबा बताना चाहूंगा कि मां की पेट से पैदा होने वाला बच्चा अगर नाजायज है और मां उसे कहीं फेंककर आती है तो यह बच्चा मां को जिन्दगी भर कभी याद नहीं आता। वह यह पता नहीं करती है कि वह कहां पर पला किसने उसकी परवरिश की न ही उसका दिल उसे तलाश करता है। लेकिन अगर कोई मां ट्रेन के उस लावारिस बच्चे को लाती है और पालती है तो यह पहले वाला बच्चा उसका लखते जिगर होता है। वह ट्रेन से उठा लिया गया। बच्चा किसी को नहीं मालूम की वह हिन्दू, सिक्ख, ईसाई या मुसलमान का, किसका बेटा है लेकिन जिस मां ने नौ-दस बरस अपनी छाती में चिपकाये उसकी गन्दगी साफ करके खुशी महसूस की थी उसे पाल पोस कर बड़ा किया था तभी तो यह जिगर का टुकड़ा बना था। मेरी नजर में ये हैं इन्सानियत की कसौटी। मान्यवर, यह जरूरी है कि गुनाह की सजा मिले लेकिन बेगुनाह को सजा मिले क्योंकि वह राजनीतिक विरोधी है तो यह बड़ा पाप होगा। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा। अभी हमारी एक साथी ने मैंने जिन बिन्दुओं की तरफ इशारा किया है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह जोड़ दिया जाय, इस पर उधर से एतराज किया था। उनका एतराज सही हो सकता है अगर ये उन्हें सच्चाइयों का इलम नहीं है लेकिन मान्यवर, हमारे साथी ने इस सदन में कहा कि बाद में कार्यवाही कर लेंगे, 14 मई का अमर उजाला पढ़ा होगा। मैंने शुरू में कहा कि दहशतगर्दी, आतंकवाद।

मान्यवर, जो लोग मुझ पर इल्जामात् लगाते हैं आई०एस०आई० का एजेन्ट कहते हैं। देशद्रोही कहते हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरी जिन्दगी मेरे बाप ने और खुद मैंने अपनी जिन्दगी में, एक बूंद पानी की नाजायज दाखिल नहीं होने दी है। मेरी नजर में इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ नहीं हो सकती। अफसोस सामने बैठे अपराधियों ने सूखा की तपिश रोकने के लिए अपने सरों पर राजनीति की छतरी लगा रखी है।

मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं जानता था पानी वही भरेगा जहां गड्ढा होगा। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि इस सदन में कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर ऐसे संगीन मुकदमें कायम हैं कि उन्हें सदन में आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप दावा करते हैं कि गुण्डाराज खत्म हो जाएगा। अपराधीकरण खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ अपराधियों की ताकत पर सरकार बनायी जाती है। अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है ताकि वे विपक्ष के विधायकों को डरा धमका सकें। जिन सदस्यों ने एतराज किया कि गुजरात का जिक्र यहां नहीं होना चाहिए। गुजरात का जिक्र हमने नहीं किया लेकिन जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश को यकीन दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों और खास तौर से मुसलमानों को कि गुजरात की आग से डरें नहीं। हमारे नेता मा० मुलायम सिंह यादव का यह कहना है कि अगर मुसलमान की जान खतरे में हो तो समाजवादी हिन्दू अपनी जान पर खेलकर मुसलमान की जान बचा लेगा और अगर हिन्दू की जान खतरे में हो तो समाजवादी मुसलमान अपनी जान देकर हिन्दू की जान बचा लेगा। मान्यवर, सच्चे भारत का फैसला जनता कर चुकी है, सच्चाई का फैसला जनता कर चुकी है। जितने सदस्य चुनकर आए हैं समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के, फर्क केवल 10-12 विधायकों का है। फिर भी आप सत्ता में बैठे हैं यह बदनसीबी है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की और

आज वह पछता रही है । हम नहीं चाहते कि मध्यावधि चुनाव हों, हमारी पार्टी और नेता का मानना है कि समाजवादी पार्टी मध्यावधि चुनाव के फैसले को ढेर कर मुखालफत करेगी । अगर मध्यावधि चुनाव होते भी हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा पूर्ण बहुमत होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सत्ता में बैठे हुए सदस्यों की मजबूरी समझ सकता हूं, उनके मन की स्थिति को समझ सकता हूं । वे यहां से बाहर जो बातें करते हैं वह सब हमारी जानकारी में है । मान्यवर, मेरी बात कानून व्यवस्था के बारे में चल रही थी और मैं अपने उन साथी की तलाश कर रहा था जिन्होंने गुजरात में मोदी सरकार पर लगे आक्षेप पर एतराज किया । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर है यहां किसी भी समय माहौल को खराब करने की कोशिश हो सकती है । मान्यवर, 10 हजार युवकों को [x x x]

मान्यवर, यह आधुनिक युग है । ऐसा युग है जहां वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला होता है । एक ऐसा युग है जिसमें दुनियां छः बार खत्म कर देने की ताकत रखने वाले अमेरिका का यह मानना था कि पूरी दुनियां खत्म हो सकती है लेकिन पेंटागन पर कोई हमला नहीं हो सकता । पेंटागन पर एक सायरन लगा हुआ था । जिसकी खूबी यह थी कि 14 कि०मी० के फासले से अगर कोई जहाज या ऐसी वैली चीज आ रही है और यह खतरनाक हो तो सायरन बजने लगेगा । लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर जब हमला हुआ तो दुनियां की सबसे बड़ी ताकत वाला देश यह नहीं जान सका कि हमला कब होने वाला है । पेंटागन की इमारत का सायरन बन्द था वह सायरन नहीं बोल सका । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हुआ पेंटागन पर हमला हुआ उसके बाद जो कुछ हुआ वह भी दुनिया के सामने है । मान्यवर, आज हां दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर को गिराने और पेंटागन को तबाह करने की सलाहियत रखती है उसी दुनिया में आज [× × ×] धारण कराया जा रहा है । इससे हम लोगों को क्या संदेश मिलता है संदेश मिलता है नफरत का दहशत का । मान्यवर, मजहब और धर्म का नारा अगर किसी को दहशत जद्दा करने के लिये लगता है तो यह नारा मजहब और धर्म को सर ऊंचा करने के लिये नहीं है । कोई मुसलमान अगर नारा ए तकबीर बुलन्द करता है इस गरज में कि हिन्दू बेरी और बच्चा दहशत जद्द हो जाये तो यह नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा उसे बदनाम करने वाला होगा । इसी तरह अगर कोई हिन्दू मुस्लिम आबादी में दहशत फैलाने के लिए हर-हर महादेव का नारा लगाता है तो यह भी हिन्दू धर्म का सर ऊंचा करने वाला नारा नहीं होगा । [× × ×] उत्तर प्रदेश सरकार की आंख खुल जानी चाहिए थी । इस [× × ×] प्रक्रिया को रोकना चाहिये था क्योंकि मरने वाले बेशुमार लोग गुजरात में ऐसे लोग हैं जो [× × ×] मारे गया [× × ×] इसके बाद क्या यह सरकार कह सकती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है । इस सरकार को कहने का हक है कि आपसी सौहार्द बना रहेगा । हिन्दू मुसलमान लोगों का आपस में इतहाद बना रहेगा । जिस तरह से बयानात रोजाना अखबारों में पढ़ने को निकले हैं । मान्यवर, मैं सिमी का नाम लूं तो गुनाहगार हूं । क्या कहा था माननीय मुलायम सिंह जी ने यह नहीं कहा था कि सिमी के लोगों का गुनाह बताओ तो कहा तो साबित करो, साबित न करो तो गुनाह सामने लाओ । सिमी के तहत बच्चों को बन्द किया गया नाबालिग बच्चों को उनकी कम से कम चार्जशीट तैयार हो जाती चार्जशीट को तैयार किये बगैर जेलों में डाल देना यह कहां की इन्साफ की बात है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय मुलायम सिंह जी पर यह चार्ज लगाना कि आई०एस०आई० के एजेन्ट हैं। ढोंगी देशभक्तों के चेहरों से नकाब हटाता है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पर गद्दारों का मुकदमा चलाना। इन सबके बाद तो सदन की आंखें खुलनी चाहिये थी जो इस प्रदेश का दो बार मुख्य मंत्री रहा हो देश का रक्षा मंत्री रहा हो उनके भाई के खिलाफ अगर मुल्क की गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता है तो हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में अकलियतों के लिये कौन सा मंसूबा बर्बादी के लिये तैयार होगा यह समझा जा सकता है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के नाम पर अगली बात कहते हुए सरकार को सोचना चाहिए था और अब भी समय है, समय रहते हुये हम चेतना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बहुत कमजोर है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है मंसूबा नहीं है। इस सरकार को उन करोड़ों किसानों, मजदूरों, नौजवानों की चिन्ता नहीं है, कैसे बढ़ते हैं अपराध, अपराधी इसी तरह से बढ़ते हैं जब बड़ी-बड़ी डिग्री लेकर नौजवान काम की तलाश में दर-दर की ठोकरें खाकर वापिस आ जाता है वह अपने बाप से जो कम आय में गुजर कर रहा है, पैसा नहीं मांग सकता है अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए। (इस समय 1 बजकर 30 मिनट) राज्यपाल महोदय ने फरमान जारी कर दिया कि सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत कटौती होगी। राज्यपाल महोदय ने प्रदेश सरकार ने, नेता सदन के भाषण में और आज के भाषण में नौजवानों को रोजगार देने का कोई मंसूबा सामने नहीं रखा गया, इन्हें कर्जे दिये जायेंगे इस पर कुछ नहीं कहा गया, कुटीर उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह नौजवान अगर गलत रास्ते पर जायेगा, यह नौजवान अगर अपराध करेगा तो जाहिर है कि वह सजा भी पायेगा और इस तरह से नौजवान वर्ग का कितना बड़ा नुकसान होगा। पढ़ा-लिखा नौजवान को गलत रास्ता मिलेगा। मैंने कहा था इस सदन में कि कितनी मांग हैं जो अपने बच्चों के साथ सल्फाज की गोलियां खाकर मौत की नींद सो जाती है। हमने कभी उन कारणों पर गौर नहीं किया। मुझे याद है कि कानपुर में नौजवान लड़कियों ने इसलिये फांसी लगाकर जान दे दी कि उनकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनके वालिदौन के पास पैसा नहीं था। आज प्रदेश दिनो-दिन गरीब हुआ है यह समस्या और दिनो-दिन बढ़ी है लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई सुझाव नहीं है।

मान्यवर, शुद्ध पेयजल के बारे में कहा गया है। आने वाले दिनों में पानी का बड़ा संकट केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है। समस्या यह है कि जितना भी बारिस का पानी होता है वह पानी बहकर निकल जाता है जहां नहीं निकलता है तो हमारी मजबूरी होती है हमारी बस्तियां महलों और हमारे शहरों में पानी न भरे। नालों की सफाई नहीं होती है। मान्यवर, पानी बहा दिया जाता है पानी शहरों से दूर ले जाया जाता है। तालाबों का चलन, नदियों का चलन खत्म हो गया, पानी नहीं है और यह संकट आने वाले दिनों में प्रदेश के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने होगा। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ कामयाब तजुर्बे किये हैं। मध्य प्रदेश में एक अधिकारी ने खास किस्म का बोर जमीन में किया और उस बोर में पानी खींचने वाला संयंत्र लगा दिया। वारिस का पानी जमा हुआ और जब वह भर गया ओवरफ्लो हुआ तब पानी उस संयंत्र से जमीन में चला गया। नतीजा यह हुआ कि पानी का लेबिल गर्मी से ज्यादा नहीं गिरा मेरा मशवरा है विधायक निधि का पैसा मिलता है अगर नेता सदन आश्वासन दें पानी की टंकियों को, विधायक निधि से दिये गये पैसे का आधा पैसा सरकार से मिलेगा तो इस समस्या का थोड़ा सा निदान हो सकता है। महिलाओं के विकास के बारे में कहा गया लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि महिलाओं के विकास के लिए कहा गया है, यहां मान्यवर, एक संस्था चलती है लखनऊ में सेवा नाम से उस संस्था को देखने के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को प्रेरणा

मिलती है और इसलिये प्रेरणा मिलती है कि न वह कहीं से विधायक हैं, न वह कहीं सांसद हैं, लेकिन हजारों महिलायें इस प्रदेश की सेवा जैसे संगठन से जुड़ने के बाद अपना भी भला कर रही हैं और समाज का भला भी कर रही हैं। प्रदेश के उत्थान का, गरीबी दूर करने का, पेयजल संकट दूर करने का, गरीबों को रोजगार दिलाने का, नौजवानों को रोजगार मिलने का, अस्पताल का पर्चा मुफ्त हो, जांच मुफ्त हो, दवा मुफ्त हो, क्योंकि यह सरकार ओवरड्राफ्ट पर चल रही है। मैं बताना चाहता हूं कि बीते 31 मार्च, 2002 तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार पर 85,598 करोड़ का कर्जा हो चुका है।

जिस प्रदेश की सरकार पर इतना बड़ा कर्जा हो, उसकी तो नींदें उड़ जाना चाहिए और सबसे पहले तो उसे कोई ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए, जिससे इस कर्ज में कमी आये और इस कर्जे का जो ब्याज है, जो देना जरूरी है, वह ब्याज इतना है कि कोई प्रदेश सरकार इससे अपना बजट चला सकती है। यह भी हमारे सामने संकट है। पिछली सरकार ने इस प्रदेश को किस तरह लूटा है, यह सब जानते हैं। मंत्रियों का एक-एक महीने का जेब खर्च 2-2, 3-3 लाख रुपये का यह समझ में आने वाली बात नहीं है मगर सच है जब हम सत्ता में थे तो हमारा जेब खर्च 800 रुपया महीना या बहुत हुआ तो एक हजार महीना होता था, जबकि मैं बहुत ज्यादा सफर करने वाले मंत्रियों में था। मुझे यह यकीन नहीं हुआ कि पिछली सरकार के मंत्रियों का जेब खर्च 2-2, 3-3 लाख रुपये है, कानों पर यकीन नहीं हुआ तो मैंने फिर पूछा, फिर सोचा शायद मैंने ठीक से न सुना हो या मैं गलत सुन रहा हूं तो फिर पूछा, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि मंत्रियों का जेब खर्च इतना ही है। पिछली सरकार में जिन मंत्रियों ने इतना जेब खर्च लिया है, अगर उनके बैंकों से, उनकी जायदादों से आर० सी० काटकर इस पैसे को वापस लिया जाय तो उत्तर प्रदेश का काफी भला हो सकता है, यह बात राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं नहीं है। मुझे आपसे कहना है कि गोण्डा उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला है, गुजरे समय में यह अक्सर नफरत की आग में जलाया जाता रहा है, पिछले दिनों वहां [× × ×] तब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अमर सिंह तथा शिवपाल जी ने 26 लाख रुपया वहां जाकर बांटा था। पंडित सिंह जी यहां बैठे हैं, सदन के सदस्य हैं, वह जानते हैं। उन्होंने भी आग पर पानी डालने का काम किया था। मैं इस सदन के माध्यम से खासतौर से वहां के हिन्दू भाइयों को बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि गोण्डा जो कभी अपनी साम्प्रदायिकता के लिये जाना गया था, उसी गोण्डा में गुजरे दिनों एक नया इतिहास बनाया गया है, नई रिवायत बनाई गई है और फासिज्म ने जिसे जलाना चाहा था, लेकिन वहां के हिन्दू भाइयों ने हिन्दू जनता ने उस फासिज्म के मंसूबों को नाकाम कर दिया था, इसलिये मेरे इस कथन में बल है कि यह सरकार दिशाहीन है, इस सरकार के पास कोई मकसद नहीं है, यह सरकार न गरीबों की है, न मजदूरों की है, न दलितों की है, न पिछड़ों की है और न अल्पसंख्यकों की है। मान्यवर, इस अभिभाषण से पहले हमने तो यह सुना था "हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई-भाई" मान्यवर, जो क्रम था, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आबादी के अनुपात के इतबार से, मान्यवर, मैं कुछ ऐसा आदमी हूं जो थोड़ी सी नुक्ताचीनी भी कर जाता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में क्रम ही बदल दिया। जिस सरकार ने हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई का क्रम बदल दिया हो उस पार्टी की मानसिकता को समझने में किसी मुसलमान को, देर नहीं लगेगी। उसके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने जो कुछ कहा था, उसके खिलाफ एक नापाक गठबन्धन करके सत्ता हासिल करने के लिए, प्रदेश को लूटने के लिए उनके साथ धोखा किया है। उनसे यह कहा

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

था कि हम तुम्हें न्याय दिलायेंगे । "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी", कहां है हिस्सेदारी ? बहुजन समाज पार्टी की नेता अगर यह बता सकें कि क्या इस प्रदेश और देश में रहने वाले मुसलमानों में कोई देशभक्त पैदा नहीं हुआ, आजादी की लड़ाई में किसी का हिस्सा नहीं था ? किसी एक व्यक्ति के नाम से, "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी", किसी एक मुस्लिम महापुरुष के नाम से एक पार्क भी बनाया गया हो तो इसे वह एक मिसाल बतौर बता दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ व्यवधान)

मान्यवर, किसी सरकार का सबसे बड़ा कारनामा होता है कि वह रोजी-रोटी से जोड़े । हमें याद है, इसी सदन में उर्दू के नाम पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं, दूसरी सरकारी जुबान बनाने की मांग हुई । अकेले मुसलमानों की जुबान नहीं है, "इंकलाब जिन्दाबाद" को बदला नहीं जा सका । मुदई और मुद्दा अलै का बदल तैयार ना हो सका । लोग मुंशी प्रेम चन्द को उर्दू लेखक के नाम से जानते हैं । नरेश कुमार शोध के नाम से उर्दू जानी गयी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से उर्दू जानी गयी । आज तक फिराक के बाद दूसरा फिराक पैदा नहीं हो सका । मिर्जा गालिब के बाद गजल का बादशाह भी आज तक पैदा न हो सकेगा । मैंने मां और बेटे का जिक्र किया था, फिराक साहब लिखते हैं "रहमत का फरिश्ता बनकर, मां देती है सजा । मां ही को पुकारे, मां ही मारे ।" यह फिराक साहब के अलावा और कोई नहीं कह सकता । इसलिए मान्यवर, उर्दू मुसलमानों से नहीं जानी गयी । हिन्दुओं से जानी गयी, कुंवर महेन्दर सिंह बेदी के नाम से जानी गई, इश्क हो जाये किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मुहम्मद पैर इजारा तो नहीं" । मान्यवर, हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे दूसरी जुबान बनाने का काम किया बल्कि इसे रोजी-रोटी से जोड़ा गया और साढ़े पन्द्रह हजार लोगों को रोजी-रोटी दी गयी । जब दूसरी सरकार आयी, तो आज मुख्य मंत्री की कुर्सी पर हैं, उन्होंने भर्ती को रोक दिया । मैं जब बजट भाषण पर बात करूंगा, सुबूत के साथ सदन में हाजिर होऊंगा । केवल फर्जी नारों से किसी गरीब का भला नहीं हो सकता । फर्जी नारों पर सरकारें बन तो सकती हैं कायम नहीं हो सकती मान्यवर, कमजोर सरकारों का यह काम होता है कि ज्यादा-ज्यादा घोषणायें करें और घोषणाओं के पत्थर जो बेजा लगा दिये जाए । शोहरत के पत्थर लगाने में कुछ नहीं होगा । लगाने हैं इमारत की बुनियाद में पत्थर लगाओ । मान्यवर, पत्थरों से ही बुनियाद बनती है और जो पत्थर बुनियाद में चला जाता है उसी के ऊपर पूरी इमारत निर्भर करती है । मेरा यही आपके माध्यम से कहना है कि राज्यपाल जी का अभिभाषण भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नापाक रिश्तों को वाजिब करार देने के लिए था उनका यह अभिभाषण मान्यवर, प्रदेश की जनता की सहूलियतों के लिए नहीं है । मान्यवर, यह सरकार लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को तोड़कर और हमारा दर्द है ये मान्यवर, कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से इस सरकार को शपथ दिलायी है । उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहने वाले करोड़ों उन लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है सरकार बनाने के लिए, उनके सामने लोकतंत्र की जड़ों में जहर डालने का काम किया ।

पचास बरस उ० प्र० को पीछे कर दिया है । मान्यवर, यह चीज हमारे लिए दुःख की नहीं बल्कि चिन्ता का विषय है कि आने वाले समाज में आज का इतिहास पढ़ा जायेगा तो आने वाला जमाना आज के इतिहास में उन पुरुषों का नाम पढ़ेगा जिन्होंने अन्याय किया । जो इंसाफ की बड़ी कुर्सियों पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सके । ऐसा ही राज्यपाल महोदय ने किया है । मैं समझता हूं कि यह अभिभाषण नहीं है और इस अभिभाषण को मेरे जैसे आदमी तो राज्यपाल का अभिभाषण नहीं मानेंगे, एक सरकार

के लिए चाटुकारी की लाइनें मैंने करार दी है और इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है उन्हें स्वीकार किया जाय और राज्यपाल की कार्यवाही का हिस्सा माना जाय।

श्री राम इकबाल–

श्रीमन्, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनवाया है इसको लेकर विरोधी दल में काफी असंतोष है। जिसका कोई कारण यहां समझ में नहीं आता है। श्रीमन्, दो महीने तक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिरोध कायम हो गया था। कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा था। माननीय मुलायम सिंह जी ने एक महीने का टाईम राज्यपाल से चाहा था। एक महीने की जगह दो महीने का समय उन्होंने दिया था लेकिन इतनी अवधि में भी वह कुछ नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में श्रीमन् जब कोई पक्ष होता तब तो हम विपक्ष में बैठ पाते। दो महीने के समय में मुलायम सिंह लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, तोड़-फोड़ करना चाहते थे परन्तु यह साजिश उनकी सफल नहीं हुई, जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने संयुक्त होकर फैसला किया कि उत्तर प्रदेश को चुनाव से बचाने के लिए 16 करोड़ आबादी को चुनाव में सैकड़ों, करोड़ों रुपये बचाने के लिए, इस राज्य में इस गठबन्धन सरकार की आवश्यकता है। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे बिन्दुओं को दर्ज किया है। जैसे वित्तीय अनुशासन की बात उन्होंने लिखकर उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा को जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में यह निश्चय तौर पर कहा जा सकता है कि आज आर्थिक पोजीशन खराब है। आज सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि हम आर्थिक अनुशासन लाकर, अपने संसाधनों का दोहन करके उत्तर प्रदेश को हम विकास के रास्ते पर ले जायेंगे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, भय मुक्त समाज देंगे। कानून-व्यवस्था के सवाल पर उत्तर प्रदेश की भाजपा और बसपा की सरकार किसी से समझौता करने वाली नहीं है और श्री राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है। अपराधियों की जगह जेल के सींखचों के पीछे है, अपराधियों को सड़क पर सीना खोलकर चलने की इजाजत यह सरकार देने वाली नहीं है। इन सब पहलुओं से सरकार की मंशा उजागर होती है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश निश्चित ही एक ऐसा राज्य है जो विकास की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ गया है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाये। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा विकास की गति आम आदमी तक पहुंचना मुश्किल है। सरकार ने यह मंशा दोहरायी है कि कर्मचारियों और अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज जब हमारे विपक्ष के भाई इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र जहां 10 वर्षों से मैं अनवरत क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं। उस क्षेत्र से किसी का कोई बेटा-बेटी गजटेड आफिसर नहीं हुआ उसका कारण है शिक्षा का स्तर गिरा है। जब श्री राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश को नकल से उबारने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया था। उस समय विरोधी दल के नेता और बाद में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने छात्रों को गुमराह किया और यह कहा कि हमारी सरकार बनाइये, 15 सेकेण्ड के अन्दर नकल अध्यादेश समाप्त कर दूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने बहुत हल्का प्रयास किया। आज माता-पिता अपने बच्चों

के भविष्य के लि चिन्तित हैं। उस समय शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया था गांव के गांव शिक्षा से उजड़ गये थे। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो समाजवादी पार्टी दोषी है। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का हथकण्डा न अपनायें और बच्चों को इस तरह का सबक न सिखायें। स्वास्थ्य के सवाल पर राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया है और सरकार की मंशा समझ में आती है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि हर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पर डाक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए, जो आज थोड़ी मुश्किल लगती है। सरकार की मंशा से लगता है कि आने वाले दिनों में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की उपस्थिति होगी और डाक्टर जो आज प्राइवेट अस्पतालों में रिफर करते हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध है कि सरकारी बिल्डिंग में बैठकर उन गरीबों से, उन बच्चों से जिनकी आंखों में कीचड़ बहता है। उनके मां बाप से पहले डाक्टर पैसा लेते हैं फिर देखने का प्रयास करते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाय कि डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें। इसी तरह से प्राइवेट अस्पतालों से गरीबों को बचाने का प्रयास होना चाहिए और इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। विद्युतीकरण के संबंध में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। मैंने भारत सरकार के ऊर्जा मत्री आर० प्रभु का वक्तव्य पढ़ा। जिस गति से बिहार में विद्युतीकरण हो रहा है उस गति से 8 सौ साल लगेंगे विद्युतीकरण में जबकि उड़ीसा जैसे राज्य के 5 घरों के पुरवे भी विद्युतीकृत हो चुके हैं। इसलिये विद्युतीकरण की गति को बढ़ाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में 300 पुरवे ऐसे हैं जिनमें बिजली आज भी नहीं है। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में एक कोडरा गांव है जो टोंस नदी के किनारे है। अगर बरसात के पहले वहां पर बंधे के ठोकर नहीं बनाया गया तो वह गांव नदी में विलीन हो जायेगा। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि आजादी के 54 वर्ष हो गये हैं हमारे यहां लड़कियों का एक भी इण्टर कालेज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस बलिया ने आजादी की लड़ाई में अपने लहू से आजादी का इतिहास लिखा वहां आज भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों का एक भी इण्टर कालेज नहीं है। आज अगर कोई लड़का होमगार्ड भी हो जाता है तो यह बी० ए० पास लड़की शादी करने के लिए मांगता है इसलिए मेरे यहां लड़कियों के लिए राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना होनी चाहिए। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि 5 मिनट का समय निर्धारित है उसके अन्दर अपनी बात समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा कि मुनासिब समझें तो एक माननीय सदस्य उस तरफ के और एक माननीय सदस्य इस तरफ से बुलवायें। एक ही तरफ का क्रम बनाना ठीक नहीं रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने बुला लिया है, उनको बोल लेने दीजिये।

* श्री देव नरायण उर्फ जी० एन० सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय दिनकर जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सरकार की रणनीति है उसका खुलासा है। हमने जो उसको पढ़ा, समझा और सुना उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगभग सभी सेक्टर्स पर प्रकाश डाला गया है। चाहे गरीबों की बात हो चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे औद्योगीकरण की बात हो और चाहे निर्यात की बात हो चाहे मेट्रो सिटी के विकास करने की बात है पूरे अभिभाषण पर चर्चा करना तो कठिन बात है। प्रदेश के सारे सेक्टर को विकास में लिया गया है। मैं सरकार और महामहिम श्री राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्वांचल के लिए उन्होंने अपने दिल में जगह रखी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं पिछले पांच साल से लगातार पूर्वांचल बाढ़ की चपेट में रहा है। पूर्वांचल के विधायकगण उनके दर्द को जानते है। पिछली सरकार में भारत सरकार की तरफ से पूर्वांचल पैकेज मिला था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से पूर्वांचल के पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने वोट आफ कान्फीडेंस के दिन सरकार के कोलीसन पर चर्चा की थी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर फिर वही चर्चा की। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे इधर के विधायक हों या उधर के विधायक हों सबको अपने दिल पर हाथ रखकर देखना चाहिए कितने लोग चुनाव के पक्ष में थे। यह जो जनता का जनमत आया वह दो विचार धाराओं के मिलन का जनमत था चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलती चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दल आपस में मिलते।

समाजवादी पार्टी के लोग जिनके साथ मिलकर सरकार बनाने की बात करते हैं श्री प्रमोद कुमार सदन में नहीं हैं उनकी नेता सोनिया गांधी को इन्होंने विदेशी कहकर देश का प्रधान मंत्री बनने से रोका वह भूल नहीं पायी उस व्यवहार को। मैं जानता हूं कि वह कभी भूल भी नहीं पाएंगी। मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि आज ही कोई रणनीति बना दें। कैसे सरकार बना सकते हैं निश्चित रूप से वह अलोकतांत्रिक व्यवस्था तोड़ फोड़ करके सरकार बना पायेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने एक निर्णय लिया था अटल बिहारी बाजपेयी को शपथ दिलाई थी वह सरकार 13 दिन के अन्दर गिर गई। मैं इस डिसीजन को राइट मानता हूं राज्यपाल महोदय ने जो निर्णय लिया वह ठीक लिया जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया नहीं तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होती। इतने समय के लिए किसी का झूठा मुख्य मंत्री के रूप में नाम दर्ज हो जाता। नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं हमारी बहन मायावती के बारे में कि उनके ऊपर फिर आई० एस० आई० एजेंट होने का चार्ज लगाया जाएगा, मुस्लिम मदरसों पर चार्ज लगाया जाएगा आप पिछला कार्यकाल बहन मायावती जी का देखें एक भी मामले में किसी के ऊपर झूठा केस आई० एस० आई० एजेंट होने का नहीं लगाया गया न ही किसी मदरसे के ऊपर चार्ज लगाया गया। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी के कार्य को देखना चाहिए भविष्य वक्ता नहीं बनना चाहिए। हिन्दू व मुसलमान इस सरकार के कार्यकाल में भाईचारे से रहेंगे। गुजरात की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। कश्मीर की तुलना गुजरात से की गई वहां भिन्न स्थिति है। कश्मीर में आतंकवाद है गुजरात में आतंकवाद नहीं था, एक प्रतिक्रिया थी। इसका हमको खेद है। हिन्दू का घर जला हो या मुसलमान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का घर जला हो । हिन्दू मारा गया हो या मुसलमान मारा गया हो, मैं हिन्दू हूं लेकिन मुझको भी इस घटना पर दुःख है । मेरी भी आँख में आंसू हैं लेकिन यह नहीं कह सकता कि मुसलमान मारा गया है हिन्दू नहीं । दोनों ही सम्प्रदाय के लोग मारे गये हैं और दोनों के लिए हमको हमदर्दी है । हमारी नेता सदन ने इस सदन में शोक संवेदना व्यक्त करके वहां भेजी हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का गुजरात के बारे में दखल कहां तक जायज है । अम्बिका चौधरी जी ने अपने भाषण में कहा था कि 1966, 1977 में भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो रणनीति थी, उस पर प्रकाश डाला गया और कहा कि तब की भारतीय जनता पार्टी और अबकी और 1992 की भारतीय जनता पार्टी में क्या अन्तर है ।

मान्यवर, मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज की सरकार में और आपकी सरकार में बहुत अन्तर है । अयोध्या में मन्दिर के नाम पर हिन्दुओं और मुसलमानों को भड़काने का काम किसने किया ? अभी भी जो इस तरह की भावनाएं भड़काई जाती हैं उस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने सही दिशा अपना कर निश्चित रूप से हिन्दू मुसलमानों की भावनाओं का आदर किया है जिससे कोई दंगा फसाद नहीं हो सके । आप कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है । मैं अपनी बहिन मायावती, मुख्य मंत्री पर विश्वास करता हूं कि कभी भी हिन्दू मुसलमानों की भावनाओं पर कोई ठेस नहीं पहुंचाई जायेगी । सब एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे । मैं एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

भारतीय आंगन का सुमन बचाने हेतु
फैली विषबेल काटने का वक्त आ गया
हिन्दू-मुसलमान में जो बढ़ रही खाइयां हैं
उन खाइयों को पाटने का वक्त आ गया ।
आग और रक्त का ये खेल रोकिये हजूर
प्रेम की मिठास बांटने का वक्त आ गया
भारत की जड़ें जो काटने लगे हैं लोग
उनकी भुजाएं काटने का वक्त आ गया ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । अधिष्ठाता जी, यह राज्यपाल का अभिभाषण जो है इसमें किसानों, मजदूरों, दलितों, छोटे दुकानदारों, बेरोजगारों और गरीबों के बारे में, उनकी किसी समस्या को हल करने का इसमें कोई आश्वासन राज्यपाल महोदय जी ने नहीं दिया है । यह अभिभाषण सरकार की नीतियों का पोथा कहलाता है । यह सरकार जो भेड़ियों और बकरियों की मिली जुली सरकार है । एक तरफ फासिस्ट लोग जनता का शोषण करते हैं, खून पीते हैं वहीं दूसरी तरफ शोषितों और दलितों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुक्ति दिलाने की बात कहते हैं। इसको मैं एक भेड़ियों और बकरियों का संगठन मानता हूं और देखता हूं इन भेड़ियों से यह बहुजन समाज पार्टी के लोग कैसे इन बकरियों की रक्षा कैसे करेंगे। यह दो बार एक्सपेरीमेन्ट भी कर चुके हैं। पहले चार महीने में इन्हें गद्दी दी और फिर गद्दी से उतार दिया। दूसरी बार 6-6 महीने के आधार पर समझौता किया। 6 महीने की सरकार के बाद एक महीने के अन्दर इन फासिस्टों के साथ सरकार आई जो नेता सदन को बर्दाश्त नहीं हुई। दलितों के ऊपर अत्याचार अन्याय करना शुरू किया तो एक महीने के अन्दर इनका अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। इस साढ़े चार महीने की बी० जे० पी० की सरकार में जो सरकारी आंकड़े हैं उनको ही बता रहा हूं उसके अतिरिक्त नहीं बता रहा। जितने दलितों, हरिजनों पर अत्याचार इनके समय में हुए हैं, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, हरिजनों, दलितों की जमीन पर कब्जे किये गये हैं। उनसे जमीन छीनी गयी है पूरे हिन्दुस्तान के दलितों के साथ इतनी बड़ी संख्या में अत्याचार और जुल्म नहीं हुआ यह सरकार के रिकार्ड में है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं भाजपा ने आंकड़े दिये हैं। इस प्रदेश में इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है जिसे मैं सफेद झूठ मानता हूं। मैं बताना चाहता हूं इन फासिस्टों को कि यूरोप की जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है और अफ्रीका जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, यूरोप जबकि बहुत विकसित देश है और अफ्रीका अविकसित है यह उदाहरण है सरकार की सोच है सरकार किस वर्ग की है किस वर्ग के बारे में क्या करना चाहती है। किसका विकास करना चाहती है या किसका शोषण करना चाहती है। इस सरकार के बारे में किसानों मजदूरों, दलितों, दस्तकारों का कोई आशा नहीं करनी चाहिए थी कोई उम्मीद इस सरकार से नहीं करनी चाहिए कि यह सरकार विकास का काम करेगी।

मैं पहला उदाहरण बताऊं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की जनसंख्या में 70 हजार ऐसे लोग थे जो बेघरबार थे जिनके पास कार्य नहीं था। 54 साल की आजादी के बाद भी हमारे प्रदेश में समाज कल्याण, महिला कल्याण, हरिजन कल्याण के द्वारा कितना विकास हुआ है ? कितने लोगों को मकान दिये गये हैं आज कितने लोग बेघरवार हैं ? समाज कल्याण, महिला कल्याण नहीं हुआ। आज हमारे देश की कितनी महिलायें कितनी बेटियां दहेज के कारण उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। महिलाओं पर जितना अत्याचार इन 54 साल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि फासिस्टों और भेड़ बकरियों का मेल नहीं हो सकता है। राज्यपाल महोदय ने इनका असंवैधानिक रूप से अवसर दिया है इसका मैं विरोध करता हूं सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री पूर्णमासी देहाती–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस समय मान्यवर, पूरे प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति दयनीय है। कुशीनगर के भैसहां छितौनी बन्धे पर कटान शुरू हो गया है। बरसात नजदीक है लेकिन कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। एपी तटबंधा खतरे के करीब है कोई कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, कुशीनगर में आजादी के पहले उद्योगों की स्थापना हुई इस समय चीनी मिलों को सरकार ने बंद कर दिया है। छितौनी पडरौना घुंघरी कटकुइया सहित दर्जनों मिलें बन्द हैं बहुत से इलाके हैं जहां गन्ना खेतों में सूख रहा है वहां कोई व्यवस्था इसकी नहीं की गई है। मान्यवर, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, किसान परेशान है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। बाढ़

की स्थिति के बारे में यह है कि पिछले साल भीषण बाढ़ में बहुत से इलाके बह गये । उनके मुआवजे की रकम नहीं मिल पाती है । मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि बाढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा नुकसान होगा । जनपद कुशीनगर को नारायणी नदी की बाढ़ में विलीन होने से बचाया नहीं जा सकता है । मान्यवर, यह सरकार जिस ढंग से बनी है इसके बारे में आपको बताना नहीं है । सभी लोग जानते हैं । जो लोग आज से चार दिन पहले गाली गलौज करते थे आज आपस में गले मिल रहे हैं । हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जनपद कुशीनगर बने पांच सात साल से अधिक हो गया है । वहां पर जिला चिकित्सालय की स्थापना नहीं हो पायी है और हजारों मरीजों की भीड़ होती है लेकिन लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है तो इधर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र नौरंगिया जो नैपाल और बिहार से लगा हुआ है क्षेत्र है वहां पहले से बरवा रतनपुर न्यूरा पी०एच०सी० की स्थापना की गयी थी, करोड़ों रुपया का भवन बना हुआ है लेकिन डाक्टर नहीं है । चितौली में महिला अस्पताल है वहां पर महिला डाक्टर नहीं है वहां पर एक एक्सरे मशीन पड़ी है इसकी कीमत पांच-छः लाख रुपया होगी वह बन्द पड़ी है । पडरौना में एक्स-रे मशीन बन्द पड़ी है । डाक्टर गोरखपुर को रिफर कर देते हैं । हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । आप सरकार को निर्देशित करें । बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जो नैपाल और बिहार का बार्डर है बिहार के इलाके में बाढ़ कटाव के लिए काम हो रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई जानकारी हासिल नहीं की जा रही है । आपसे निवेदन है कि प्रदेश के विशेषज्ञों की टीम भेजकर सर्वेक्षण कराया जाय और विशेष ध्यान दिया जाय । मान्यवर, आपने इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद । मान्यवर, चौदहवीं विधान सभा में दो ढाई महीने तक कोई सरकार नहीं बनी । सभी को इस बात का मलाल था । हमारी पार्टी, बी० जे० पी० और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मिलकर लोकप्रिय सरकार का गठन किया और सभी लोगों को, जिनकी समस्याएं हैं, उनको बोलने का अवसर प्रदान किया । इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । मान्यवर, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का दर्द समझ में आता है । उन्होने बड़े-बड़े विश्वास देकर, बाहर से पैसा प्राप्त किया यह कहकर कि हम भाजपा को रोकने का काम करेंगे, यह कहकर पैसा इकट्ठा किया । उन्होंने यह पैसा प्राप्त किया और कहा कि हम तुम्हारे उल्टे-सीधे काम करायेंगे । आज जब पूछताछ हो रही है तो निश्चित रूप से पीड़ा हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों की हितैषी है तो उन्हें सुश्री मायावती को मुख्य मंत्री बनाना चाहिए था । यह सरकार आम जनता की भलाई के लिए बनाई गयी है । आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है वह आर्थिक संसाधनों को जुटाने की है । आम जनता का जीवनस्तर ऊंचा उठाने की है और रोजगार की समस्या को दूर करने की है ।

मान्यवर, हमारी पिछली बीजेपी सरकार ने जो इकोनामिक जोन बनाने का फैसला किया था आज सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है । इसमें दिल्ली से लेकर आगरा तक इकोनोमिक जोन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बनाने का संकल्प है। दिल्ली से लेकर आगरा तक एक एक्सप्रेस हाइवे बनाने की योजना है। इससे इस क्षेत्र के जो अच्छे किसान हैं उनको अपने उत्पादन को विदेश में भेजने का अवसर मिलेगा और इससे रोजगार बढ़ेगा। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार की भदोही–कानपुर में भी एक्सपोर्ट जोन बनाने की योजना है। आज के समय में इस प्रकार का निर्णय लेना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दो-तीन दिनों से ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए राग अलाप रही है उनको समाज के सब लोगों के बारे में चिन्ता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने जो भी गुजरात के बारे में कहा है उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में अभी जो कुछ हुआ है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। समझ में नहीं आता कि किस आधार पर यह असाम्प्रदायिक समाज की भावना की बात करते हैं। मुसलमान की बात करने को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है और सारे सम्प्रदाय की बात करने को साम्प्रदायिक कहा जाता है। इस प्रकार की भावना को रोकना चाहिए। इससे समाज में विघटन की समस्या पैदा होती है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे नोएडा क्षेत्र में हमारे किसानों की जमीनें अधिग्रहीत हो रही हैं। मेरा कहना है कि अधिग्रहण से पहले जिला प्रशासन और प्राधिकरण एक सर्वे कर लें और जिन स्थानों पर बढ़ा है उसको अधिक ऋण से मुक्त रखें। बहन सुश्री मायावती जी का गांव हमारे क्षेत्र में पड़ता है वहां पर उन्होंने एक डिग्री कालेज की स्थापना की थी वह चल रहा है लेकिन उसका भवन आज तक नहीं बना है और उसमें अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन के पास है हमारा गौतमबुद्धनगर जिला नया जिला है वहां पर कंसोलिडेशन कोर्ट की आवश्यकता है उसको भी जल्दी से बनवाने की व्यवस्था सरकार करें। मान्यवर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जमीनों के मुआवजे के प्रतिकर में भारी अन्तर है। यह मुआवजा ग्रेटर नोएडा में नोएडा के बराबर होना चाहिए। इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री दिनेश सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा क्षेत्र शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर है, यहां गौतम बुद्ध की उस धरती पर जहां से दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश मिला था, उसकी बिजली, पानी और सड़कों की चर्चायें यहां बहुत हुई हैं। मैं भी अपने क्षेत्र और जनपद सिद्धार्थनगर के बारे में कुछ कहूं उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अछूती रह गयी है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमें सुनने को मिलेगा कदाचित् उन्होंने उसे यहां पढ़ा नहीं, एक किताब जरूर अभिभाषण की हमें मिली है। मान्यवर, गौतम बुद्ध की चर्चा शायद इस प्रदेश और इस देश में नहीं होती है और पूरी दुनिया में उनका संदेश चलता है उनके अनुयायी यहां पर आते हैं।

मान्यवर, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। (व्यवधान) जहां हिन्दू मुस्लिम एक करोड़ की संख्या में वहां पर रहते हैं आज वहां पर माओवादियों के नाम पर नेपाल के नागरिकों पहाड़ियों को छोड़कर, जो हमारे मूल के लोग वहां पर रहते हैं, वह किसान जब खेती करके अपनी उपज का पैदावार लेने जाता है तो माओवादियों की सूची पहुंच जाती है कि किसान का अनाज किसान के घर में नहीं जायेगा माओवादियों तक पहुंच जाना चाहिए नहीं तो सिर कलम कर दिया जायेगा और ऐसी घटनायें बहुत घटी हैं जहां सिर हाथ कलम भी हुए हैं। वे लोग वहां से भाग-भाग कर हमारे मुल्क, मेरे जनपद और क्षेत्र की सीमा में पलायन करके आ रहे हैं। जिसने वहां पर अहम सवाल खड़ा कर दिया है। हमें

माओवादियों की चुनौती मिले उसके पहले जो हमारे मुल्क के लोग हमारे यहां वापस आ रहे हैं उस पर विचार की आवश्यकता पैदा हो गयी है कि 10 साल के बाद क्या स्थिति होगी । यह एक संवेदनशील मामला है इसकी संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी । इसमें सरकार संवेदनशील होकर कोई निर्णय ले । अगर इसमें संवेदनहीनता दिखायी गयी तो वहां की जनता हमें माफ करे, या न करे लेकिन सरकार को माफ नहीं करेगी फिर वहां आन्दोलन की बात मजबूरी में तय होगी । हमारे सिद्धार्थनगर की सरजमीं पर जब जनपद बना, माननीय प्रमोद कुमार जी माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय अधिष्ठाता महोदय आप सब गवाह हैं पं० नारायण दत्त तिवारी जी ने उसका शिलान्यास किया था ।

स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह ने उसका उद्घाटन किया था जनपद बना उसमें जो दूसरी सरकारें आई वह पत्थर लगाकर चली गई उन्होंने विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया । वहां पत्थर लगाते-लगाते दीवाले भर गई है । वहां जिला अस्पताल बने 14 साल हो गये एक खुबसूरत इमारत बनी लेकिन वहां डाक्टर टेक्निशियन नहीं है चाहे बेहोशी के डाक्टर हों, चाहे एक्स–रे के हों, चाहे पैथालोजी के टेक्निशियन हो आज वहां कोई नहीं है वह अस्पताल नहीं शमशान बन गया है वहां अव्यवस्था ही अव्यवस्था हो गयी है । मैं आपके माध्यम से बहन मायावती जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । कपिलवस्तु महायोजना सिद्धार्थनगर की भी और इसमें आपने भी जा करके पर्यटक सेन्टर, हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था । आपके उद्घाटन के बाद वह उसी तरह से पड़ा हुआ है तब से आज तक कोई कार्य उस पर नहीं किया गया है बल्कि जो दूसरी सरकारें आई उसमें जो आपने सड़क का खड़न्जा लगवाया था उस सरकार के ठेकेदारों ने उसे उखड़वा लिया । मेरा आपसे आग्रह है कि इस महायोजना की अनदेखी न की जाये और उसका विस्तार किया जाय ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट)

चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूं कि शोहरतगढ़ स्वीकृत चीनी मिल 12 सालों से स्वीकृत है और उसका टेण्डर भी हो चुका है आजतक उद्योगपति ने इस चीनी मिल को लगाया नहीं । मेरी मांग है कि इसको तुरन्त लगाया जाय उस क्षेत्र के गन्ने को नैपाल को स्मगलिंग किया जा रहा है और उसमें गन्ना आयुक्त का आदेश होना बताया जा रहा है गन्ना आयुक्त के आदेश से नैपाल स्थित कनौडिया मिल को गन्ना दिया जा रहा है । इसे स्मगलिंग करार देते हुए तुरन्त गन्ना को जाने से रोका जाय और गन्ने को अपने प्रदेश में पेराई का स्वरूप तय किया जाय ।

बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं कि बाढ़ शोहरतगढ़ में प्रतिवर्ष आती है बंधा कटने से तमाम गांव जलमग्न हो जाते हैं उसके पहले एक कार्ययोजना तय करके कटानों को बन्द किया जाय और बाढ़ से निपटने को पूर्व में ही व्यवस्था की जाय । गांवों में बाढ़ से जो कटान हो रही है वहां पिचिंग और पाइलिंग तत्काल कराई जाय । बालू खनन के बारे में कहना चाहता हूं कि बालू खनन पर रोक लगा दी गयी है । मेरे जनपद में इससे किसान वर्षा के भय से अपनी छत और दीवाल नहीं खड़ा कर पा रहे हैं वह ट्रेक्टर ट्राली और बैलगाड़ी से बालू नहीं ला सकता है इसी क्रम में 12 मई, 2002 को 4 ट्रेक्टर ट्रालियों को थानाध्यक्ष शोरहतगढ़ और एसडीएम शोहरतगढ़ ने बन्द कर दिया और एफ०आई०आर० लिखकर 3 आदमियों को जेल भेज दिया जब कि एक व्यक्ति के पास बालू लाने का ठेकेदार द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी था बावजूद इसके उसे अपराधी दफा में फंसा दिया गया है । किसानों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बन्द होना चाहिए और जो एफ०आई०आर० है उसे वापस लिया जाय । बालू

खनन की रोक को तुरन्त हटाकर बरसात को देखते हुए किसानों को बालू खनन की अनुमति दी जाय या मछुवारा समिति के माध्यम से बालू खनन कराया जाय । हमारे यहां राजकीय अस्पताल, सी०एच०सी० के रूप में बना हुआ है, वहां आज की तारीख में एक भी डाक्टर नहीं है । इसी प्रकार जो गेहूं खरीद केन्द्र खोले गये हैं, चाहे परसा का हो, चिलिहा का हो, चाहे जोगिया का हो, एक भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहूंगा कि इन केन्द्रों को ठीक प्रकार से चलाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो चुका है, मैं कई बार कह चुका हूं । कृपया अब समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, इसी तरह हमारे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के सामने एक तलवार लटका दिया गया है और उनसे कहा जाता है कि तुम लोग सिमी के हो ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, प्रमोद कुमार जी माननीय सदस्य को बैठायें ।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, मुझे आपने मौका दिया, मैं पुनः संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ लिया जाय और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 5 मिनट का समय एक माननीय सदस्य के बोलने के लिये है, 4 मिनट पर पहली बत्ती हो जायेगी, उसके बाद एक मिनट का समय मिलेगा, आप लोग इस समय सीमा का पालन करेंगे तो सभी माननीय विधायकों को बोलने का समय मिल जायेगा । कृपया समय का जरूर ध्यान रखें ।

श्री अली बहादुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 15 मई को माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर माननीय विधायक दिनकर जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । समर्थन के पक्ष में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष की ओर से, जिस दिन से यह सदन चला है, बराबर हमारी सरकार के ऊपर यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि यह गठबंधन नापाक है, बेबुनियाद पर कायम हुआ है । चौदहवीं विधान सभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल जी को सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था और जब राज्यपाल जी ने देखा कि इनके पास सरकार बनाने के विधायक पूरे नहीं हैं तो उन्होंने इंकार कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अगर अपने को सेकुलर मानती है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है तो जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने का इनका दावा ठुकरा दिया था तो यदि यह वास्तव में सेकुलर थे, वास्तव में धर्म निरपेक्ष

थे तो इनको बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहिये था । हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता मान्यवर, कांसीराम जी का बयान भी आया था कि हम किसी भी धर्मनिर्पेक्ष दल के समर्थन से सरकार बनाने के लिये तैयार हैं । अगर यह वास्तव में सेकुलर थे तो इनको उस वक्त कहना चाहिये था कि यदि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक है और हम उसे सरकार में नहीं आने देना चाहते हैं तो इसलिये हम बहुजन समाज पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं यदि इसके बाद हम इनके आमंत्रण को ठुकरा देते तो तब इनका नैतिक आधार बनता था कि यह कह सकते कि यह गंठबंधन नापाक है । इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खुश करने के लिये यह निराधार बातें कर रहे हैं...

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

मैंने जनता के दिल के लिए गठबन्धन किया है, इनका जो आरोप है कि चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी की नेता ने भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के खिलाफ वोट मांगा था, हां, मान्यवर, मैंने मांगा था लेकिन हमारी नेता कुमारी मायावती जी ने चुनाव के दौरान यह भी आह्वान किया था कि हम सरकार बनायेंगे । उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होगी और हम समाज के कमजोर दबे-कुचले लोगों को उनका हक दिलायेंगे, उनका सम्मान दिलायेंगे, मुसलमान भाईयों को हिस्सेदारी दिलायेगे । हमारी नेता ने यह भी आह्वान किया था परन्तु हम पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच सके लेकिन हमारा जो मिशन था कि हम कमजोरों को भागीदारी देने का काम करेंगे, उनका सम्मान दिलायेंगे । इसलिए मैंने यह गठबन्धन किया है । इसमें हमें कोई झिझक की बात नहीं है ।

मान्यवर, बड़ी विडम्बना की बात यह है कि जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं , उन्होंने भी यहां सरकार का विरोध करने का समझौता किया है । कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद ढहाने का काम जो हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने उसी पार्टी से गठबन्धन किया है । बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने से लेकर और ढहाने तक का काम जिन लोगों ने किया था, समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों से गलबहियाँ जोड़े बैठी है । इसलिए इनका भी यह एक नापाक विरोध करने का समझौता है । हम तो कमजोर और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए गठबंधन किए हैं । अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मायावती के शासनकाल में मुसलमानों का कोई कार्य नहीं हुआ । मान्यवर, समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में दो बार सत्ता का सुख भोग चुकी है, उन्होंने कितने मुसलमानों का काम किया है ? केवल यहां पर सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं । हम पूरे मुस्लिम समाज को आह्वान करना चाहते हैं बहन कुमारी मायावती ने दो बार इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से मदद लेकर सरकार बनायी थी । उस दौर में मुस्लिम समुदाय के बहुत से काम हुए हैं । मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के मदरसों को ऐड देने का काम किया पूरे सूबे में कक्षा 1 से 8 तक के मुसलमानों भाइयों के बच्चों को वजीफा देने का काम बहन मायावती जी ने ही किया था । यही नहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार सुश्री मायावती जी जब मुख्य मंत्री बनी थी । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अलग से बनाया था और सभी जिलों में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नियुक्त किए थे । इस प्रकार बहन मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लेकर मुस्लिम समुदाय के हित में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए । जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे , मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार में मुस्लिम भाइयों के कितने काम किए हैं ? यह गठबन्धन की सरकार 5 साल के लिए बनी है । इसमें मुसलमानों को भागीदारी दी जायेगी, पूरी हिस्सेदारी दी जायेगी । आज सारे मुसलमान इस गठबन्धन से खुश हैं । सबको सम्मान मिलेगा । मान्यवर, यह सरकार मुसलमान भाइयों को भागीदारी, हिस्सेदारी देना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया ।

श्री अली बहादुर–

मान्यवर, इसी के साथ मैं राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं बल पूर्वक समर्थन करता हूं और मुसलमान भाइयों को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि पोटा सिमी जैसे कानून जो बनाये गये हैं उनमें मुसलमानों के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होने दी जायेगी । मान्यवर, विपक्ष के हौसले पस्त हैं, ये परेशान है कि यह सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी । इस सरकार में हम मुसलमान भाइयों के काम पूरे दिल-दिमाग से करना चाह रहे हैं और यह परेशान हैं कि उ० प्र० के मुसलमान हमारे हाथ से निकल जाएगा । इसी के साथ मैं अपनी बात समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं ।

डा० पी० के० राय–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये जो आपने अवसर दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और संशोधन के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें नहीं कही गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो यह है कि कल्याणकारी सरकार का दयित्व होता है जन स्वास्थ्य की रक्षा करना । सरकारों का संकल्प रहा है कि सन् 2000 तक सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी लेकिन हालत इसके विपरीत हैं चाहे जिला चिकित्सालय हों, चाहे मेडिकल कालेज हो, सबकी जर्जर हालत है । पूर्वांचल में एक मात्र मेडिकल कालेज बाबा राघव दास मेडिकल कालेज है वह स्वयं में बीमार है, वह किसी बीमार का क्या इलाज करेगा । गम्भीर रोग से ग्रस्त, गरीब मरीज जिसे आवश्यकता है गुर्दा प्रत्यारोपण की, हृदय रोग आपरेशन का लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार का इन्तजाम सरकार द्वारा नहीं किया गया है जिस मरीज के किसी नेता या विधायक से सम्पर्क है संभव है उसको कुछ न कुछ सहायता मुख्यमंत्री कोष से मिल जाय लेकिन जो इस रोग से ग्रस्त है और उसका किसी से सम्पर्क नहीं है वह सिवाय भगवान के भरोसे के अलावा कुछ नहीं कर सकता । कई सदस्यों ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है लेकिन चिकित्सक के नाते मुझे चिकित्सा सेवा को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला है । चिकित्सा इस सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है । ये जिला चिकित्सालय और मेडिकल कालेज धीरे-धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं । हर चीज का दाम वसूला जा रहा है । सरकार स्वयं भ्रम की स्थिति में है कि मेडिकल कालेज सरकारी है प्राइवेट है या समिति के अधीन है स्पष्ट होना चाहिए कहीं कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रख कर उन गरीब मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाय । दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं जिसे संशोधन में जोड़ दें, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह जिला इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बिहार का समीपवर्ती क्षेत्र है । स्वर्गीय गेंदा सिंह जी का क्षेत्र सेवरही जिसका नाम है जिसे गन्ना गन्डक गरीबी का पर्यायवाची कहा जाता है उस क्षेत्र में नदी करीब 60 हजार की आबादी वहीं रहती है । वहां आजादी की एक किरण भी आज तक नहीं पहुंची है, वहां न सड़कें हैं, न बिजली है, न अस्पताल है । हर साल नारायणी (गण्डक) नदी में बाढ़ आने से वहां भारी तबाही मचती है लेकिन समय रहते वहां उस क्षेत्र में नदी पार जाने क्यों बचाव कार्य नहीं किये जाते । उस समस्या को लेकर जब मैं जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के पास पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि मैंने लिख करके शासन को भेज दिया है और स्पष्टतया कह दिया है कि

अभी काम नहीं लगाया गया तो बन्धे बच नहीं पायेंगे । सरकार के पास संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, आर्थिक तंगी से सरकार गुजर रही है इसके बावजूद कम पैसे में मजबूती के साथ जो काम किया जा सकता है उस काम को समय रहते नहीं किया जाता है । बाढ़ आने पर काम लगाया जाता है और सरकारी धन की लूट नेता अफसर एवं ठेकेदार करते हैं ऐसा लोगों का विश्वास है दूसरी बात पारदर्शिता की बात सरकार करती है, यह पारदर्शिता की बात तब तक बेमानी होगी जब तक जबावदेही और उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया जायेगा अन्यथा यह पारदर्शिता केवल कागजों पर रहेगी दिखायी नहीं देगी । ऐसी विश्वसनीयता के संकट के दौर में सरकार को प्रमाण देना होगा केवल नारे लगा देने से हालत में सुधार होने वाले नहीं हैं । भ्रष्टाचार निवारण की बात कही जाती है लेकिन कोई मानक नहीं निर्धारित किया जाता है । आज जो लूट हो रही है चाहे सन्तरी हो या मंत्री हो किसी भी स्तर पर किसी के खिलाफ जबावदेही निर्धारित नहीं की जाती । जब तक जबावदेही निर्धारित नहीं की जायेगी हालात बदलने वाली नहीं है ।

मान्यवर, पूर्वांचल गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है । ब्रितानियां हुकूमत के दौरान क्षेत्र में गन्ना मिलें मिलीं उसके बाद से एक भी गन्ना मिल नहीं मिली । हालत यह है कि पूर्वांचल में चीनी उद्योग पिछड़ रहा है व बदहाली की स्थिति में है । सरकार यह स्वीकार करती है कि गन्ने का उपज बढ़ा है, चीनी उत्पाद बढ़ी है लेकिन फिर भी सरकार अरबों रुपये गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाती । सेवरही में "स्वर्गीय गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन और अनुसंधान संस्थान" है । मान्यवर, यह सर्वविदित है कि जहां कहीं पर भी संस्थान होता है, इंस्टीट्यूट होता है वहां पर डायरेक्टर की पोस्ट हुआ करती है लेकिन वहां से डायरेक्टर का पद हटा दिया गया । एक तरफ सरकार कहती है कि रिकवरी का परसन्टेज कम है । इसलिए गन्ना मिलें घाटे में जा रही हैं । दूसरी तरफ उस रिकवरी को बढ़ाने के लिए एक संस्थान बना हुआ है उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अन्त में केवल इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि बाढ़ बचाओ राहत कार्य में अविलम्ब कदम उठाना चाहिए, दैवी आपदा में भी जो हो सकता है अविलम्ब किया जाना चाहिए जिससे समाज में जो विश्वास फैल गया है कि अन्त में कदम इसलिए उठाये जाते हैं ताकि सरकारी धन की लूट दोनों हाथों से किया जा सके । इस विश्वास को तोड़ने का काम सरकार करेगी । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रिजवान अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता सदन और साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसी नीयत वैसा फल । जैसी नीयत होती है वैसा फल मिलता है । आप बार-बार यह शिकायत करते हैं कि सरकार कैसे बन गयी । हमारी नीयत अच्छी थी, अच्छी नीयत वालों की यह सरकार बनी है । अभी 17 तारीख को जब हमारे याकूब साहब बोल रहे थे तो उनकी बेइज्जती की गयी जबकि पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की ठेकेदार बनती है लेकिन यहां पर उनको एक मुसलमान का बोलना बर्दास्त नहीं हुआ इसका बहुत बड़ा दुख है । सरकार उस आदमी की बनती है जिसकी तरफ अल्लाह होता है । अल्लाह बहिन मायावती की तरफ है और बहिन मायावती की सरकार तीसरी बार बनी । उनकी किसी मामले में बेइमानी या बदनीयती को हमने नहीं देखा है । वह धर्म जाति के चक्कर में कभी नहीं पड़ीं, इंसानियत के चक्कर में वह पड़ीं । जिस इंसान को या मजहब को वह अच्छा समझती है उसको पूरा सहयोग और साथ देती है । इसी वजह से बी०जे०पी० ने बहिन जी को समर्थन दिया और खुद–ब–खुद दिया यह अल्लाह का हुक्म था । आपको किसी ने समर्थन नहीं दिया और आप सरकार नहीं बना सके ।

मैं नेता सदन का एहतराम करता हूं । मैं नेता विरोध पक्ष की बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि वह कहते हैं कि मैं जजबाती आदमी हूं मुस्तकिल दिमाग से नहीं बोलता । इसलिये हम उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे । जवाब देने को हम जवाब दे सकते हैं लेकिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह मुस्तकिल मिजाज नहीं है । हमने देखा है कि वह बी०एस०पी० का विरोध करते हैं । लेकिन बी०जे०पी० का विरोध नहीं करते हैं । हम बी०जे०पी० का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जब किसी की सरकार नहीं बन सकती थी, उन्होंने बी०एस०पी० का साथ दिया और सरकार बनवा दी । हम लोग राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और आप लोगों की बात का बुरा नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि आप जजबाती लोग हैं ।

श्रीमती गीता सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, हम बराबर यह देख रहे हैं कि आप सब कमजोर वर्गों की बात तो रख रहे हैं लेकिन किसी ने भी उन तमाम मजबूर लोगों की बात कहीं नहीं रखी जिनको आपकी मदद की ज्यादा जरूरत है । आप जातीय समीकरण और वोटों की राजनीति की बात करते हैं । आप इनजस्टिस, गलत डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मानवीय दर्द को नहीं देखा है उसकी ओर नहीं झांका है जिन्हें आज हमदर्दी की जरूरत है । हम अगर उस बिरादरी में नहीं आते हैं जो रिजर्वेशन में आती है । तो क्या हमारे जीने का अधिकार इन्सानी रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता है । हम कहां हैं हम आज आकर कहां पर रुक गए हैं । आप लोग हंस रहे हैं हंसना तो आसान है हंसना मुझे भी आता है मैं भी बहुत अच्छा हंस लेती हूं । सब के साथ कोई मान्यवर तो है नहीं जो इस कुर्सी पर पहुंच जाता । मेरा यह कहने का इरादा नहीं है मैं तो कहना चाहती हूं मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा 30 पृष्ठ में 3 लाइनें भी नहीं हैं जो मतलब की हों । इस प्रदेश में 8 हजार आदमी का प्रति वर्ष मर्डर या सड़क दुर्घटना में 10,000 से अधिक हो जाता है । इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है चाहे पुलिस हो, पी०ए०सी० हो सब तैनात हैं लेकिन उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता । बड़ी घटना हो जाती है तो कमिश्नर भी वहां पहुंचता है लेकिन छोटे लोगों की मौत पर कोई नहीं जाता । छोटे आदमी की मौत पर क्या किया जाता है ट्रकों आदि से 2 करोड़ लिया जाता है लेकिन स्थिति यह है कि 61 जिलों में एक सिपाही इंचार्ज होता है । 9 जिलों के कवाल टाउन में एक डिप्टी एस०पी० की पोस्ट है लेकिन मरते हुए व्यक्ति को कोई अस्पताल तक नहीं पहुंचाता है । आप सत्ता में बैठे हैं लेकिन हम मजबूर हैं हमारे पास इरादे हैं आपके पास सिर्फ वायदे हैं आप वायदों वाले लोग हैं आप झूठे वायदे बांटते हैं हम जनता की चिन्ता करने वाले लोग है इसलिए विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते । हम इन्सानी रिश्तों को मानवीय रिश्तों को समझते हैं । हम जाति व बिरादरी के आधार पर काम नहीं करते हैं । जो सड़क पर पड़ा मर रहा है उसकी जाति व बिरादरी नहीं देखी जाती है । वहां अगर जाति बिरादरी देखेंगे तो वह खत्म हो जाएगी । हमारी कालोनी में एक लड़का घायल पड़ा था लेकिन उसको कोई उठाने को तैयार नहीं था हम वहां गए मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि जवाबदेह कौन है । ऐसी व्यवस्था है । ऐसे घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए महोदय आपसे अनुरोध करूंगी इसकी तरफ अधिकाधिक ध्यान दिया जाए । आप तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहते हैं लेकिन स्कूल कालेजों में जो बच्चे पड़ते हैं उनको मार दिया जाता है उनको उठा लिया जाता है इस घटनाओं को रोकने के लिए एक सिपाही मौजूद नहीं होता है । आप प्रायोरिटी उनको भी दीजिए । उनको भी जीने की जरूरत है, आगे बढ़ना है उनको भी वे किसी का सपना है । आपके इन झूटे वायदों, सपनों का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है ? आप मौका देते रहेंगे तो समाज की

सच्चाइयों को आपके सामने रखेंगे तो इनके चेहरे देखने के काबिल होंगे । इन्हीं के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे संशोधन के प्रस्ताव पर बल देती हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पर और उसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । श्रीमन्, मेरे द्वारा रखे गये और मेरे कांग्रेस दल के द्वारा तथा प्रतिपक्ष के द्वारा रखे संशोधन पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । अधिष्ठाता महोदय, मै लगातार अपने माननीय सदस्यों की भावनाएं सुन रहा हूं और जो हमारे नये सदस्य आये हैं निश्चित तौर से जो नजीर बनेगी इस विधान सभा की कार्यवाही का जो दस्तावेज तैयार होगा वह भविष्य का इतिहास होगा । परम्परा रही है, इस सदन में अधिकारी दीर्घा और राज्यपाल दीर्घा का संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन यह परम्परा रही है कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है श्रीमन्, तो सभी विभागों के अधिकारी दीर्घा में रहते हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये सन्दर्भों का संज्ञान लेते हैं और उनके समाधान के लिए विभागीय कार्यवाही करते हैं ।

मान्यवर, आज मैं देख रहा हूं कि अधिकारीगण मौजूद नहीं है । जब माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर गई तो अधिकारी भी उनके पीछे-पीछे चले गये । जिस तरह से माननीय सदस्य सदन में खड़े हैं अपनी बात कह रहे हैं उनकी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही है । जनता का विश्वास अर्जित करके वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिये सदन में आते हैं । यह कोई कल्पना नहीं होती है वह अपने दायित्वों का, जिम्मेदारियों का, जो जनता के प्रति उनकी है, उसका निवर्हन करते हैं ताकि शासन प्रशासन उसको गम्भीरता से लेकर उस पर कार्यवाही करे । आज शायद ही कोई मंत्रीगण इस समय बैठे हों । संसदीय कार्य मंत्री क्या पूरे मंत्रि-परिषद् की बेंचें खाली हैं ।

श्री किरणपाल सिंह–

बी०जे०पी० के एक भी मंत्री सुबह से नहीं बैठे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय किरण पाल जी ने जो कहा है वह ठीक कहा है । अगर एक मंत्री बी०जे०पी० के बैठे हैं तो वह भी बहुजन के रंग में रंग गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात शुरू करिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं शुरू करने जा रहा हूं, आपकी अनुज्ञा है । अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात बड़ी गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि विश्वास मत में कई बातें आईं । हम लोगों ने कुछ कहा और अन्य दलों ने कुछ कहा । किसी ने इसको नापाक गठबन्धन कहा, बेमेल का ताल-मेल कहा । विश्वासमत हासिल करने के बाद उन बातों की पुनरावृत्ति हो तो यह जनता के साथ न्यायोचित नहीं है । आज जब सच्चाई यह है कि विश्वास मत हासिल करके यह प्रदेश की सरकार हैं जो जनता के प्रति इनकी कुछ जवाबदेही है । माननीय सदस्य खड़े हो रहे है अपनी बात कह हरे है । यह कुछ परम्परा भी हो गयी है कि मुसलिम, दलित इस तरह की बातों को लोग रखकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं । इन सबसे इस सरकार का भला होने वाला नहीं है न प्रदेशवासियों का । इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों को लगा कि राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ है जो कि किसी लोकप्रिय सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है । अगर लोकप्रिय सरकार बनी है तो आज प्रदेश के वह लोग जो मेहनतकश हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर गेहूं का उत्पाद किया है उसकी खरीददारी सुनिश्चित होगी, भुगतान सुनिश्चित होगा या नहीं । वह चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो या दलित वर्ग का हो इन सबसे ऊपर वह किसान है तो इन मेहनतकश लोगों के लिए आपने क्या किया मैं समझता था कि यह सरकार करोड़ों लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस बात को लेकर आएगी उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन जब से हुआ, श्रीमन्, किसान तो हमारी प्राथमिकतायें हैं, हमारा वह लक्ष्य होने चाहिये, अगर यह कहा जाता कि यह मेहनतकश किसान हमारा लक्ष्य है इस पर चर्चा होती तो हमें यह सवाल न उठाना पड़ता । किरनपाल सिंह जी को किसानों के क्रय केन्द्र के बारे में सवाल न उठाना पड़ता यह स्वयं ही बता दें इस विषय में इन्होंने कितना कहा, खरीद का कितना लक्ष्य रखा है कितना भुगतान कर दिया है सेन्टर के पूल कितने होंगे, हम क्या जानते नहीं हैं कि सरकार की क्या नीतियां होनी चाहिए थीं । मैंने जानकारी की फोन से मेरी बात हुई उत्तर प्रदेश सरकार का 25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है खरीद का, और इन्होंने खरीद 10,22,182 मीट्रिक टन की है, 637 करोड़ के देय बनते हैं 389 करोड़ 65 लाख का भुगतान किया गया है लेकिन 389 करोड़ का आधा पैसा किसानों की जेब में नहीं गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी तो मैंने शुरू किया है श्रीमन्, सहारनपुर से बलिया के लोग किसान क्रय केन्द्रों पर जाते हैं उनका गेहूं वापस कर दिया जाता है कभी कहा जाता है नमी है कभी बोरा नहीं है और फिर उसको बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता है आप बतायें कितने क्रय केन्द्र के लोगों को आपने सस्पेंड किया है बिचौलियों के द्वारा खरीदारी गेहूं की नहीं हो रही अगर सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो यह कह देंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा । श्रीमन् किसान अपने घर में गल्ला नहीं रख सकता है इसके भुगतान पर वह किसी को पैसा देता है अपनी बेटी का गौना करता है सारी व्यवस्थायें उसको करनी पड़ती है उसमें इसको रखने की क्षमता नहीं है उसे तो भुगतान की आवश्यकता होती है । इस सरकार ने किसानों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया है । सात मार्केटिंग एजेंसियां जो गेहूं खरीद रही है इनको कितना पैसा पूल में दे रखा है । स्टेट गवर्मेन्ट का उपभोक्ता सहकारी संघ है, पी०सी०एफ० तथा अन्य क्रय केन्द्र हैं यहां 25 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी कैसे होगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसानों की गाढ़ी कमाई की खरीदारी कैसे होगी, इस सरकार की क्या प्राथमिकता होगी । मैं गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं

गन्ने के मूल्यों का जो आफिसों में रिकार्ड है वह 4,854 करोड़ रुपया है यह 30 तारीख तक बता रहा हूं और इस समय भुगतान हुआ है तीन हजार तीन सौ बयासी करोड़ इक्तालीस लाख । आज भी प्रदेश के किसानों का 1471.66 लाख मूल्य बकाया है जो कि तीस प्रतिशत है । यह नये गन्ना मंत्री बन गये हैं पुराने वाले चले गये । वो फिर भी इनसे अच्छे थे । पिछली बार 23 प्रतिशत बकाया था अबकी बार तीस प्रतिशत बकाया है । पिछली बार आज की तारीख में 906.65 लाख था और आज 1471.66 लाख रुपया बाकी है । मान्यवर, गन्ना मूल्य का बकाया हजारों में होता है लाखों में नहीं होता है । छोटे-छोटे काश्तकार होते हैं । हमारी कुछ प्राथमिकताएं हैं .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी हम दो बिन्दु पर ही बोले हैं । हमें दो मिनट और दे दें । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के लाखों किसानों की, आखिर, उनकी भी अपेक्षाएं हैं । महामहिम श्री राज्यपाल के शासन में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया था । एन० टी० पी० सी० ने पैसा मांगना शुरू कर दिया था । महामिहम श्री राज्यपाल जी ने कहा कि हम नहीं देंगे । फलस्वरूप कटौती शुरू हो गयी । लखनऊ में; वी०वी०आई०पी० क्षेत्र में, जहां कटौती नहीं हुई आज वहां पर भी कटौती हो रही है । और शहरों और गांवों की तो बात ही जाने दीजिये । आज पचहत्तर लाख मिलीयन यूनिट का उत्पादन हो रहा है और हमें आवश्यकता है 95 लाख मिलीयन यूनिट की । आज 20 लाख मिलीयन यूनिट हम आयात कर रहे हैं । सुबह जब हम पांच बजे घरों में स्नान आदि करने को होते हैं तो पता लगता है कि बिजली ही नहीं है । गांवों में बिजली की बड़ी दुर्दशा है । वहां पर तो बिजली आती ही नहीं है । हमारे क्षेत्र में नहीं आती । आपने इसके लिये क्या उपाय किये ? बिजली को समान रूप से बनाने के लिये एन० टी० पी० सी० से आयात करने की जब आवश्यकता पड़ती थी तो आयात भी करते थे । आपने क्या किया ? मैं सुखदेव राजभर जी से अनुरोध करूंगा कि–

हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन भी हो सकता है,

अंग्रेजी दवाएं हैं रिएक्शन भी हो सकता है ।

सियासत नकली नोटों की तरह धोखे से चलती है,

जिसे रहबर समझते हैं वहरहजन भी हो सकता है ।"

दामन किसी का हाथ से जब छूटता रहा,

शीशा तो वह नहीं था, मगर टूटता रहा ।

पर किस्मत तो देखिए हिन्दुस्तान की,

जो आया इस चमन को वही लूटता रहा ॥

आपने दो बार धोखा खाया लेकिन फिर भी सरकार बना ली । पहली बार में आदमी मूर्ख कहलाता है, दूसरी बार में महामूर्ख कहलाता है लेकिन फिर तीसरी बार गठबन्धन कर लिया और सरकार बना दी ।

(शोर)

काजी साहब सुन लें । बयान आया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उनमें नजर रखी जाय । आखिर आजादी सबका हक है । इस प्रकार अपना जमीर बेचकर रहना यहां ठीक नहीं है । यह कहते कि सबको बराबरी का हक है । पोटो कानून बना डाला ।

संसदीय कार्य मंत्री, (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, पाल साहब ने कहा कि धोखा खाए वे लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि धोखा खाना उतना बड़ा नहीं है जितना धोखा देना होता है ।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । नये आए हुए 100 सदस्यों में से आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह हमारा सौभाग्य है कि हम नये लोगों को माननीय त्रिपाठी जी जैसा संरक्षक और नेता सदन और साथ ही साथ पक्ष में बैठे हुए वरिष्ठ नेता श्री टण्डन जी, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री राजनाथ जी और विपक्ष में बैठे हुए श्री आजम साहब और श्री प्रमोद कुमार जी और श्री कल्याण सिंह, जगदम्बिका पाल जी सरीखे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ है । हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के लिये धन्यवाद दे रही है कि हमने उसे तुरन्त चुनाव के बोझ से बचा लिया । जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है वे नाम तो ले रहे हैं राज्यपाल जी का लेकिन वास्तविकता यह है कि वे वास्तव में कहना चाहते हैं उसको कह नहीं पा रहे हैं । वजह यह है कि जहां से दर्द मिल रहा है वहां वह दर्द दे चुके हैं । इसलिये वे दर्द का इजहार नहीं कर रहे हैं । राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की योजनाओं का पता चलता है इसे पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि गांव की वेदना को बड़ी अच्छी तरह से निखारा गया है । एक चीज पर नहीं बल्कि 15-15 प्वाइंट पर ध्यान दिया गया है । गांव में डाक्टर की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं अम्बेडकर गांवों वहां पर कर्मचारियों को पहुंचाने की व्यवस्था करना, इतना ही नहीं पूर्व में चयनित अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत आई शेष योजनाओं को पूरा करना, कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, उपज, उर्वरक, कीटनाशक, रसायन सबकी चिन्ता तथा सिंचाई की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करना यह सारी चिंताएं राज्यपाल जी के अभिषाण में हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहराइच में बाढ़ की विभीषिका होती है और इसे रोकने के लिये वहां पर बांध बना हुआ है लेकिन हर वर्ष बाढ़ आने पर बंधा टूट जाता है, यह सही समय है उसको ठीक करने का इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाए । हमारे विपक्ष के नेता अक्सर बहराइच और गोंडा का नाम लेते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि दो महीने पहले बहराइच में हुई घटना को लेकर उन्होंने कोई एक शब्द भी नहीं कहा । बहराइच में एक मजार पर साजिशन चद्दर जला देने को लेकर एक वर्ग के लोग लगभग 20 हजार की संख्या में इकट्ठे हो गये जिसमें सपा विधायक डा० वकार अहमद शाह भी मौजूद थे । एक भी हिन्दू जनता नहीं थी । उस भीड़ द्वारा ग्यारह मंदिर तोड़ दिये गये । कुछ नहीं कहा इसके बारे में क्या यही नेता प्रतिपक्ष का सच है ?

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, जहां तक श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का प्रश्न है, चिन्ता करने की दृष्टि में इसमें कोई बिन्दु नहीं छोड़ गया है, समाज के एक वर्ग को भी नहीं छोड़ा गया है । सम्पूर्ण प्रदेश के विकास की दृष्टि से इसमें कोई बिन्दु नहीं छोड़ा गया है । सम्पूर्ण प्रदेश के विकास की दृष्टि से इसमें सोचा गया है इसके लिये मैं इसका समर्थन करता हूं । विपक्ष के सभी सदस्य इसमें चिन्तन कर सहयोग प्रदान करें यही प्रदेश के विकास के लिये अच्छा होगा । धन्यवाद ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । महामहिम राज्यपाल ने अपने पूरे अभिभाषण में, जहां किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर, हम सभी मा० सदस्यों के वोट मांगें थे, इन सब बातों को आगे बढ़ाने के लिये, समस्याओं के निदान के लिये कोई ठोस कदम नहीं दर्शाया है । मान्यवर, हमारा प्रदेश भारतवर्ष में चीनी उद्योग के नाम पर सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है । आज यह बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनी है, यह सरकार 1996 में भी बनी थी और उत्तर प्रदेश की वह चीनी मिलें जो हिन्दुस्तान की आजादी के पहले हमारे प्रदेश में उद्योग के नाम पर किसानों के विकास के नाम पर लगी थी, इन चीनी मिलों को 1977 में निजी क्षेत्रों के मालिकों से यह कहकर सरकार ने अधिग्रहीत किया था कि अब निजी क्षेत्र के लोग चीनी मिलों को नहीं चला पायेंगे किसानों को गन्ने का दाम नहीं दे पायेंगे ।

1977 में प्रदेश की निजी मिलों को निगम में ले लिया गया । जब 1996 में बी०जे०पी० बी०एस०पी० की सरकार बनी तो इसमें सरकार की योजना बनी जिसमें निगम की प्रदेश में प्रथम चरण में बरेली, नबाबगंज, बाराबंकी और नन्दगंज आदि चीनी मिलों को बन्द किया गया और दूसरे चरण में रामपुर, मेरठ, मुण्डेरवा, हरदोई, चितौनी, धुधली चीनी मिलों को बन्द किया गया । समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, आन्दोलन किया । भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आयी रामकोला पडरौना में गोली चलायी गयीं । वरिष्ठ सदस्य जगदम्बिका पाल जी ने बताया कि प्रदेश में 147। करोड़ रु० गन्ने मूल्य का बकाया है । पूर्वांचल के सवाल पर महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहीं किसानों की भलाई की बात नहीं कही है । यह चीनी मिलें कैसे चलेंगी अरबों रु० किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया है वह कैसे मिलेगा । मान्यवर, मैं जिस जनपद से चुनकर आता हूं उस जनपद में 90 प्रतिशत लोग गन्ने की खेती करते हैं परिवार के सदस्यों की दवाई, बच्चों की पढ़ाई सभी आवश्यकताओं पर किसानों की गन्ना आपूर्ति पर निर्भर करती है । वह जनपद है कुशीनगर पडरौना जहां के छोटे से जनपद में 9 चीनी मिलें हैं । उन चीनी मिलों पर वर्तमान सरकार में एक अरब 11 करोड़ रुपया आज भी बाकी है । यह जो सरकार बनी है मान्यवर, किसानों का जहां अरबों रुपया गन्ना मूल्य का बाकी है वहां किसान 5 हजार 10 हजार की राजस्व वसूली में जेल में कैद किया जाता है । यह सरकार इस पर संवेदनशील नहीं है । अगर बकाया गन्ना मूल्य किसानों को नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से किसान एक बड़े आन्दोलन की रूपरेखा तैयार करेगा । वर्तमान समय में एक योजना बनाई गयी है अभी इसको लागू नही किया गया है । 8 चीनी मिलों को पुनः यह सरकार बन्द करने जा रही है यह चीनी मिलें हैं भटनी, देवरिया, शाहगंज, बुढवल, पिपराइच, रामकोला, लक्ष्मीगंज, और वैतालपुर । मान्यवर, मैं आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यम से बड़ी गम्भीरता के साथ सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इन चीनी मिलों को बन्द करने की कोई योजना बनाई, जैसा भाजपा की हुकूमत में पडरौना के गन्ना किसान अपना हक मांगते हुए शहीद हो गये, रामकोला में भाजपा ने गोली चलवाई अगर आपने चीनी मिलों को बन्द किया और गन्ना मूल्य नहीं दिलवाया गया तो निश्चित रूप से एक आन्दोलन सरकार झेलेगी ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं यह बात नहीं दर्शायी गयी है कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा । जहां तक गेहूं की खरीद की बात है आप जिलों से सूची मंगा लें कि कितनी खरीद की गयी है अभी पिछले वर्षों का धान का भी पैसा बाकी है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पिछले वर्षों का धान का पैसा बाकी है वह किसान को दे दिया जाय । गेहूं की खरीद में जो बिचौलिया गेहूं खरीदकर क्रय केन्द्रों को ले जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाय । अभी एक साथी ने हरिजन ऐक्ट की बात कही है । 3 मई को जब पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है मान्यवर, दलित लोगों के ऊपर अत्याचार हो, जुल्म हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये उसकी जांच होनी चाहिये लेकिन हरिजन एक्ट के तहत जो फर्जी मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं वह बिना जांच किये दर्ज न किये जायं, महमाहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दर्शाया गया है कि सरकार के नेकनीयती से काम करने वाले अधिकारी को संरक्षण देगी । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की सूची मंगा ली जाय जितने नेक, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं उन लोगों को जिले से बाहर और ऐसी जगह पर भेजा जा रहा है जहां पर उनकी उन्नति नहीं पदावनित हो रही है । यह सरकार जब से बनी है एक जाति विशेष के अधिकारियों जिसमें प्रमुख रूप से ठाकुर बिरादरी के अधिकारी, यादव बिरादरी के अधिकारी, ब्राह्मण बिरादरी के अधिकारी जो नेक ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम किये हैं उनको ऐसी जगह भेजा गया है और जो लूटने वाले अधिकारी हैं उनको जिलों में भेजा गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण हैं उस पर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं साथ ही अपने सभी वरिष्ठ सदस्यों का अभिवादन करता हूं । मान्यवर, जिस दिन से लोकतंत्र के इस मंदिर के पवित्र द्वार खुले हैं, पूरे प्रदेश की जनता इस गठबंधन का, इस सरकार का स्वागत कर रही है । आज नेता प्रतिपक्ष के भाषण को जिस शालीन और शिष्ट भाषा में हम लोगों ने सुना, उससे मैंने सोचा था कि हम लोगों के लिये नये आयाम खुलने वाले हैं, हम लोग भी कुछ सीख सकेंगे । लेकिन जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और जिस तरह उसका विरोध किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, वह हम लोगों के लिये कतई प्रेरणादायक नहीं है, बल्कि यह हम लोगों के लिये नई चिन्ता का विषय बना हुआ है । हम लोग नये विधायक हैं और इस बार 100 से ज्यादा सदस्य इस विधान सभा के ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आये हैं । वर्तमान व्यवस्था में आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव कितना महंगा हैं । पिछली बार 5 साढ़े 5 साल के बाद चुनाव हुये, लाखों-करोड़ों रुपया इस प्रदेश सरकार का खर्च हुआ और एक विधान सभा सदस्य को चुनाव में तमाम बातों के बावजूद भारी खर्च आता है । इसके बाद क्षेत्र के लोगों की तमाम आकांक्षायें अपेक्षाएं होती हैं जो अपने विधायक से जुड़ी रहती हैं । लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा विधान सभा सदस्य वहां जाकर उनकी समस्याओं को उठायेगा और उनके समुचित हल का उचित प्रयास करेगा ।

जब यह नई सरकार भाजपा-बसपा गठबंधन की बनी तो इसके संबंध में नई-नई बातें, नये-नये विश्लेषण कहे गये, किसी ने कहा कि यह नापाक गठबंधन है, किसी ने कहा कि यह तीसरा निकाह है। इस तरह की अमर्यादित भाषा सुनने को मिली है। ऐसा सुनकर बहुत अफसोस होता है। मान्यवर, यह नेता विपक्ष नापाक शब्द का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार प्रमोद कुमार जी बहुत माननीय हैं, बहुत सम्मानित हैं, उन्होंने भी इसे निकाह बताया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिये ? क्या इस तरह नई संसदीय परम्परायें पड़ सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी के लोग जरा आंकलन करके देखें, इससे पहले कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है, अन्य दल भी कर चुके हैं, लेकिन अब सब बाहर का रास्ता देख चुके हैं और आज आप लोगों को सत्ता में रहने की पीड़ा सताती है। आप सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन गणित का सवाल था, 148 की संख्या में काफी विधायक और चाहिये थे, कांग्रेस ने आपको मना कर दिया था, अन्य दल नकार चुके थे तो किसके दम पर आप सरकार बनाना चाहते हैं। अभी मत विभाजन हुआ, 37 मतों का अन्तर था, उसके बाद भी आपको तकलीफ होती है, कि हमको सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। जब आपके पास संख्या बल नहीं हैं, विधायक नहीं है तो कैसे मिलता मौका। आप जोर-जबरदस्ती करना चाहते हैं, हल्ला बोल करना चाहते हैं, यह सब अब नहीं चलने दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होने दिया जायेगा। मा० रेवती रमण सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आज हम लोगों को अवसरवादी बताते हैं। मान्यवर, आप 20 अक्टूबर की कार्यवाही देख लें, माननीय नेता समाजवादी पार्टी आपके बारे में कहा कि "सूप तो सूप बोले लेकिन छलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद।" इसका मतलब रेवती रमण जी खुद बता सकते हैं, उस समय भी सदस्य थे, आज भी सदस्य हैं। इसी तरह प्रमोद कुमार जी कभी इधर मिलते हैं, कभी उधर मिलते हैं, आ[illegible] इनकी स्थिति खराब हो चुकी है, इतना ज्यादा आप बिक गये कि आज कोई पूछने वाला नहीं है। इतना बुरा हाल किसकी वजह से हुई। आप अपनी नीतियों का अवलोकन कीजिये, अपने अन्दर झांकिये कि कौन सी कमी थी। इस सरकार के बारे में बहुत सी बातें कही गयी। कहा गया कि गरीबों की बात नहीं हुई। कौन कहता है गरीबों की बात नहीं हुई। पिछली बार हमारी सरकार ने 6 माह के कार्यकाल में 5 हजार अम्बेडकर गांवों का चयन किया, 5 हजार गांवों में सड़क और बिजली पहुंचायी भगवान बुद्ध ने न्याय का रास्ता दिखाया है। हम लोग भगवान बुद्ध का अनुसरण करने वाले हैं, सम्राट अशोक और बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम समाज में भेदभाव नहीं चाहते हैं, समरसता चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें इन्सान को इन्सान समझा जाये, गरीब की रक्षा की जाये। मान्यवर, हमारी सरकार ने 6 महीने के कार्यकाल में ही हजारों गुण्डों को सलाखों के पीछे भेजा था। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय राणा साहब को बधाई दूंगा। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि हम कई दल-बदल कर आये हैं, जरा अपना ज्ञान वर्धन कर लें। मैंने कोई दल नहीं बदला।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने आपको सम्बोधित करते हुए कहा है, आप स्वयं देख सकते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं बताना चाहूंगा कि आज तक 30 साल के राजनीतिक जीवन में कभी दल-बदल नहीं किया है। राणा जी, मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं और हमारे मित्र भी हैं। आप अपने ज्ञान को ठीक कर लीजिए कि मैंने कई दल बदले हैं। मैंने कोई दल नहीं बदला है। इसको आप शुद्ध कर लीजिये। आप पहले व्यक्ति हैं जो आरोप लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा–

आप 20 अक्टूबर, 1990 की कर्यवाही पढ़ सकते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप पता नहीं भाजपा के सदस्य हैं। आपके भाजपा के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा और तमाम [xxx] को मंत्रिमंडल में लेने का काम किया था।

श्री अधिष्ठाता–

कुंवर साहब इस बात को आप गम्भीरता से न लें। सभी लोग आपके बारे में जानते हैं। आप वरिष्ठतम सदस्य हैं।

डा० सुशील चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों का आदर करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के लिये कोई एक शब्द नहीं कहा गया। माननीय अधिष्ठाता जी 14 वर्षों से इस प्रदेश में कांग्रेस से अलग सरकारें बनीं लेकिन एक किलोवाट विद्युत का उत्पादन नहीं बढ़ा सकीं। मैं यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी से कि आप किस प्रकार से विद्युत की व्यवस्था बढ़ायेंगे, जब आपके पास उत्पादन ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से नेता सदन से यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर आपके क्षेत्र हरोड़ा में बिडवी शुगर मिल पड़ती है और जनवरी से आज तक लगभग 25 करोड़ रुपये बकाया है। जहां तक गन्ना मंत्री की बात है प्राइवेट मिलों पर आदेश जारी करते जा रहे हैं लेकिन जो सरकारी, निगम की मिलें हैं उन पर कोई अंकुश नहीं किया। कृपया कम से कम मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के किसानों का भुगतान दिलवाये जायें। दूसरी बात गेहूं और गन्ने का पूरे प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने आया है, उसके पेमेण्ट के बारे में सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं दिखाई जा रही है और मान्यवर, पिछले सरकार के समय में पूरे प्रदेश में 16 शुगर मिलें बिक गई उनके बारे में कोई व्यवस्था आपने नहीं की। उनकी जगह दूसरे किसानों की गन्ना आपूर्ति हो जाएगी। मान्यवर, उत्तराखण्ड आपके प्रदेश से अलग हुआ। बिजली की तमाम परियोजनायें उत्तराखण्ड में चली गई, उनकी प्रतिपूर्ति के लिये कोई दिशा

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निर्देश इस अभिभाषण में नहीं है । उत्तराखण्ड बनने में इस प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड में चले गये हैं । इन विश्वविद्यालयों की क्षतिपूर्ति के लिये राज्यपाल के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गयी है । तो मैं नेता सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सब बातों को अभिभाषण में देखते उनके ऊपर कार्यवाही की जाय और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । तथा धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मा० आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण में प्रस्तुत संशोधन पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मेरी समझ से यह अभिभाषण कोरा है क्योंकि इसमें कोई टाईम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं दिया है कि उनको सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर क्या काम करेगी और कब तक करेगी । इसका कोई आंकड़ा नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि बिना संशोधन के प्रस्ताव नहीं पास होना चाहिये । मान्यवर, 1993 मे जब मैं इस विधान सभा का मेम्बर था उस समय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी । उस जमाने में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मेरे क्षेत्र में आठ सड़कें स्वीकृत की थीं सात साल बीत जाने के बाद भी एक भी सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ चरौलिया से नोनखारा, मेउढ़ा से भदार, नयागांव से बम्हरापुर, चिल्लौर लमकन से महितापुर, खरगपुर से ऊंचागांव, खरगपुर से बड़ा गांव खरगपुर से राजासाहबर खद्दीपुर, पलिया से बेड़ीजोर की सड़कें जो स्टेट सेक्टर से स्वीकृत हैं तथा अधूरी बनी हैं । नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना स्वीकृत हुई थी कि जैसे कुण्डा नदी पर दहलिया व बेडीजोर गांवों के मध्य पैटून ब्रिज बनाये जाने जो 3 फरवरी, 1995 को इसी विधान सभा द्वारा नियम–301 में स्वीकृत की गई दर आज तक सात साल बीत जाने के बाद भी उस सूचना का पता न हीं चला । मान्यवर, कितनी रोडवेज की बसें चलती थी मुलायम सिंह की सरकार में लेकिन आज वह सारी बसें चलनी बन्द हो गई हैं एक भी रोडवेज बस हरदोई से नहीं चलती है । उस जमाने में हरदोई से बिलग्राम वाया सांडी, हरदोई से चौसार वाया हरपालपुर, हरदोई से खरगपुर वाया हरपालपुर से रोडवेज की बसें चलती थी आज चलना बन्द हो गई है । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं बसें चलाई जा रही हैं ? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्वास्थ्य के बारे में कोई टाइम बाउण्ड कार्यक्रम नहीं दिया गया है कि क्या काम हो रहा है ? मान्यवर, हरपालपुर में एक सी० एच० सी० की बिल्डिंग बनी खड़ी है, वहां पर एक्सरे की व्यवस्था नहीं की गयी है । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पक्की डामर सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिये । हमारे क्षेत्र में मानक के अनुसार सी० एच० सी० की व्यवस्था नहीं की जा रही है । कस्बा सांडी में महिला अस्पताल बना खड़ा है । वहां पर कम्पाउण्डर व दवायें नहीं है । महिला के नाम पर इतना शोर मच रहा है लेकिन महिला अस्पतालों की दशा बहुत खराब है । इसको सुधारा जाना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है । बिलग्राम में गवनर्मेंट बालिका हाईस्कूल चल रहा है वह बहुत जर्जर भवन में है, स्थिति यह है कि पता नहीं वह भवन कब गिर पड़े और उसमें बच्चे दबकर मर जायं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन लिखित में दिये हैं उन सारे संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।

मान्यवर, हमारा बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र 5-5 नदियों से घिरा है जो कटाव करती हैं । नदियों के [illegible] को कैसे रोका जायेगा इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । यदि पत्थरों के डालने की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो आदमी और पशु बर्बाद हो जायेंगे । इन कटावों में काफी जमीन जा रही

है । इससे परेशान होकर तमाम लोग फर्रुखाबाद और मैनपुरी जाकर बस गये हैं । कुण्डा, राम गंगा व गर्रा नदियां हैं जिससे लोग बर्बाद हो जाते हैं । सांडी कस्बा है उसके किनारे गुर्रा नदी बहती है, और हर साल उसको काटने का काम करती है, लोग परेशान हैं । मान्यवर, जो नदियां गांवों को और शहरों को काट रही हैं कम से कम ऐसी जगह सरकार की ओर से पत्थर डालने का काम किया जाये ताकि नदियों के कटाव को रोका जा सके । नीलगाय जिन्हें बनरोज कहा जाता है । ये नीलगाय आये दिन किसानों की फसल बर्बाद करते हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, किसान इनसे बहुत पीड़ित हैं । सरकार इन नीलगायों से किसानों की फसल बरबादी को रोकने के लिये कारगर व्यवस्था करे । मान्यवर, गंगा कटरी तथा अन्य भी इलाकों में जंगली गाय घूमा करती है यह भी किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद करती है । इनसे भी निपटने की व्यवस्था की जाय । जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और मा० भगौती सिंह जी वनमंत्री थे तो एक योजना बनायी गयी थी कि इन गायों को रोका जायेगा 16 लाख रुपये की योजना थी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने जो संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं उनको जोड़ा जाये । क्योंकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अधूरा है और बिना संशोधनों के पूरा नहीं हो सकता । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अब्दुल कलाम (सन्त कबीर नगर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । माननीय नेता प्रतिपक्ष जो प्रस्ताव लाये हैं मैं उसको बल देता हूँ । माननीय अधिष्ठाता महोदय आज जीवन में रोटी–कपड़ा और मकान यह सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं लेकिन इनका इस अभिभाषण में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है । आज उत्तर प्रदेश की जो 40 फीसदी आबादी हमारे बुनकरों की है जो कपड़े बनाने का काम करते हैं उनकी हालत बहुत खराब है । अगर इंसान के शरीर पर कपड़े न हों और वह नंगा टहले तो उसे लोग पागल कहेंगे । खेती की समस्या जैसे महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार से बुनकरों की समस्या महत्वपूर्ण है लेकिन बुनकरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है यह सरकार जो अपने आपको कल्याणकारी सरकार कहती है उसने बुनकरों का कहीं जिक्र नहीं किया है । आज बुनकर भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है । उसको बिजली नहीं मिल रही है, सूत नहीं मिल रहा है उसका जो कपड़ा है उसका निर्यात बंद पड़ा हुआ है । आज बुनकरों में हाहाकार मचा हुआ है । आज हालत यह है कि जिन बुनकरों को माननीय मुलायम सिंह यादव ने 18 घंटे बिजली दी थी उन्हीं बुनकरों को बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में 6 घंटे बिजली नही जाती है । कभी कभी तो 24 घंटे और 48 घंटे बिजली नहीं जाती है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम गांधी वादी होने की बात करते हैं । गांधी जी चरखा चलाकर सूत कातने का काम करते थे और आज बुनकर जो सूत से कपड़ा बनाने का काम करता हूँ वह बापू के देश में रहकर आज बरबाद हो रहा है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है । बुनकर जो कपड़ा बनाता है उससे लोग तन ढंकते हैं लेकिन उसकी कहीं पर चर्चा नहीं की जाती है ।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे कुछ साथी अकलियत के कुछ साथी बहुत तेज लफ्जों में मुसलमानों की बात करते हैं उनकी बात सुनकर अफसोस होता है और हंसी भी आती है क्योंकि जब हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो 5 हजार उर्दू अध्यापकों को नियुक्त करने का काम किया गया था और 15 हजार उर्दू अनुवादकों को नियुक्त करने के लिये फाइल बनकर आयी थी लेकिन जैसे ही बहिन मायावती की सरकार आयी उस फाइल की स्वीकृति न होकर उसे कूड़ेदान में डालने का काम किया गया। "अल्लाह अकबर" का नारा लगाकर आप आये हैं, अगर आप मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं तो खलीलाबाद की मस्जिद में जहां जुमे की नमाज 3 साल से नहीं हो रही है आप यह एलान करें कि इसी हफ्ते वहां पर नमाज होगी तो मैं यह समझूंगा कि आप कौम परस्त हैं। 169 फाइलें अरबी मदरसों की पड़ी हुयी हैं, आप बड़े हमदर्द हैं तो आप बहुत बड़े कौम परस्त हैं तो आज ही नेता सदन से कहिए कि वह ऐलान करें कि जितनी फाइलें यहां पेंडिंग पड़ी है। हमारे नेता जी के समय जितनी फाइलें आई थी वह सारी फाइलें स्वीकार करें। आज हर जगह हमारे जितने अरबी अदारे हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां आई०एस०आई० के एजेंट रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, सिमी के लोग रहते हैं मैं अकलियत के लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बन्द कमरों में जो [×××] उस पर प्रतिबन्ध लगाने का काम किया जाएगा ? इस सरकार ने उन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया है ? हर जगह अरबी अदारों को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी गृहमंत्रालय से यह ऐलान होता है कि अरबी अदारे आई० एस० आई० के एजेंट हैं।

आजमगढ़ की मजिस्द को नमाजियों के लिए बन्द कर दिया गया है। वहां जो नमाजी थे वह दीन का काम कर रहे थे उसको कैसे बन्द कर दिया गया यह कभी आप लोगों ने उठाया। आज जो धार्मिक स्थल का संशोधन जो चल रहा है उसके हिसाब से कोई मस्जिद, मदरसे, नहीं बना सकेगा। जो सरकार ने कानून पास किया है उसके अनुसार अगर कोई मस्जिद बनाए तो पहले कलेक्टर से अनुमति ले तब मस्जिद बनाए सत्तापक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि वह अपने मदरसे व मस्जिद नहीं बना सकते हैं। खलीलाबाद की मस्जिद ढाई साल से बन्द है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं यह पूर्वांचल क्षेत्र बाढ़ से घिरा हुआ है। करमैनी, बिलौली बांध कई जगह टूटे हैं। इस अभिभाषण में कहीं बाढ़ के बारे में चिन्ता नहीं व्यक्त की गई न ही बिजली व पानी के बारे में अभिभाषण में जिक्र हैं। इन शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द ।

श्री ददू प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 26 फरवरी, को इस प्रदेश की विधान सभा का गठन हुआ प्रदेश में जबसे नए विधायक चुनकर आये हैं उसके बाद से प्रदेश में अनिश्चितता का वातावरण था उस अनिश्चितता को पैदा करने के लिए दो माननीय नेता जिम्मेदार हैं एक माननीय नेता जिनका नाम लेना इस सदन में मुमानियत है वह नेता और उनके दल के बगल में बैठने वाले दूसरे नेता जी उनका एक लक्ष्य है कि इस प्रदेश में सत्ता बने तो हमारी बने नहीं तो किसी की न बने और इसीलिये उन नेता जी के ऊपर एहसान है माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का। उनके एहसान के कारण वे नेता विरोधी दल बने और इस

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रदेश के नेता के रूप में सामने आये । 1989 में मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के एहसान के कारण नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को और वह देख भी नहीं सकते थे । जसवन्त नगर में 1991 में उनके जीतने की कोई हालत नहीं थी । यह मान्यवर, कांसीराम जी का विराट हृदय है कि उन्होंने जसदन्त नगर से उनके खिलाफ खड़े बसपा कैन्डीडेट को बिठाया और उन्हें अन-कन्डीशनल सपोर्ट किया । हमारे एहसानों के कारण, बहिन मायावती और माननीय कांसीराम जी के समर्थन के कारण वह 1991 में चुनाव जीते और इस सदन में चुनकर आये । राज्य सभा के चुनावों में .....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दद्दू प्रसाद जी हमारे मित्र हैं, विद्वान साथी हैं । यह बतलाते चलें कि कांसीराम जी ने मुलायम सिंह जी के साथ रहने के अलावा कोई और चुनाव जीता भी है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनाव में हमारे 12 विधायक थे । हमने [×××] को राज्य सभा में पहुँचाने का काम किया था । हमने समर्थन किया था । 14 दिसम्बर 1992 को पहली बार प्रेस कान्फ्रेन्स में माननीय कांसीराम और बहिन मायावती ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दद्दू प्रसाद जी आप अपने विचार व्यक्त करें । अभिभाषण पर ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं वहीं आ रहा हूं लेकिन सच्ची बात कड़वी होती है और उसको यह सुनना नहीं चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 14 दिसम्बर, 1992 को समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के समझौते की घोषणा हुई । मा० कांसीराम जी और बहिन मायावती जी ने चुनाव के पहले ही इनको मुख्य मंत्री बनाने का फैसला घोषित कर दिया था । हमारा एहसान है उनके ऊपर ।

(व्यवधान)

हमने 18 महीने इनकी सरकार चलवाई । कभी भी एहसान वापस करने का काम इन्होंने नहीं किया, व्यवहार को वापस करने का काम नहीं किया । स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का एहसान वापस करने का काम नहीं किया । एहसान तो छोड़िये उनके बेटे के साथ क्या किया । बी०जे०पी० का एहसान वापस करने का काम नहीं किया और न ही हमारा व्यवहार वापस करने का काम किया । माननीय अधिष्ठाता जी यह नाइंसाफी है लाल बत्ती कृपा करके बन्द कर दें मैंने ज्यादा समय नहीं लिया है मुझे बोलने का अवसर दिया जाए । इसलिए मान्यवर, यह सरकार बनी .....

(व्यवधान)

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय को कि उन्होंने इस सूबे की लाज हमारी अस्मिता रख ली और बहन मायावती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया ।

(व्यवधान)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध आपेक्षात्मक टिप्पणी किये जाने से विपक्ष द्वारा सदन में शोरगुल करके बाधा उत्पन्न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग बैठे–बैठे किया जा रहा है यह नहीं किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बहस विषय पर होनी चाहिए ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

यह सदन आपके द्वारा संचालित होगा अगर कोई बात आप उचित समझते हैं तो कार्यवाही से निकाल सकते हैं, या कहने से रोक सकते हैं, लेकिन दूसरे सदस्यों को यह अधिकार नहीं मिला कि वह टोकाटाकी करें यह अधिकार सिर्फ पीठ को है यह आपके द्वारा निर्देश होने चाहिए भाषण के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए अगर कोई बात असंसदीय है तो उसको आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जिस तरह से हूटिंग हो रही है इस तरह से होगा तो फिर न इधर के सदस्य बोल पाएंगे न ही उधर के सदस्य बोल पाएंगे । आप निर्देशित करें अगर कोई असंसदीय बात है तो उसको आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लालजी वर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है यह बहुत गम्भीर प्रश्न है सदन के संचालन में इन सब बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है अगर गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो सदन में चर्चा कैसे करेंगे । लालजी वर्मा की मैं इस बात से सहमत हूं । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं नये सदस्य आए हैं मुमकिन है उनको नियमों की जानकारी न हो । सदस्य होते होते यहां आ गए, चर्चा होती है तो टोका टाकी की आवाज आ जाती है छींटाकशी हो जाती है । श्रीमन् ददू प्रसाद जी तो नियमों के जानकार है वह नियमों को खूब जानते हैं मैं इनके साथ रहा हूं इनको नियमों की जानकारी रही है वह अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है जाबूझकर उस पर आक्षेपात्मक टिप्पणी करना, सही नहीं है ।

(व्यवधान)

टोंके नहीं जानबूझकर कहा गया, कभी कोई बात हो जाए तो अलग बात है लेकिन जानबूझकर कहना ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना सही नहीं है यह इन जैसे वरिष्ठ सदस्य को शोभा नहीं देता है । मैं लालजी वर्मा की बात से सहमत हूं लेकिन उससे पूर्व इस मर्यादा को ध्यान रखना आवश्यक है जो नियम

परम्पराऐं हैं, मर्यादायें हैं उनका पालन किया जाए [×××] इस सदन के सदस्य नहीं है। किसी के बारे में कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अध्यक्ष पीठ से इस बात को स्वतः/स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी के बारे में प्रशंसात्मक टिप्पणी करनी है तो कर सकते हैं लेकिन आक्षेपात्मक बात कहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी शब्द, जितने भी शब्द माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेकर आक्षेपात्मक शब्द आये हैं, उनको कार्यवाही से पूरी तरह से निकाल दिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं चौधरी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मगर आपने भी मान्यवर, कांसीराम जी का नाम लेकर कहा कि क्या वह भी चुनाव जीते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय कांशीराम जी के प्रति मैंने कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कहीं। मा० दद्दू प्रसाद ने कहा कि मुलायम सिंह जी उनकी मदद से जसवन्तनगर में जीते थे इसलिये मैंने जानना चाहा कि उसके कांशीराम जी के अलावा भी कोई चुनाव जीते हैं। कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी मैंने नहीं की। यह तो बताना पड़ेगा कि उनकी मदद से वह जीते तो उनकी मदद से वह जीते कि नहीं। किसी बड़े नेता के प्रति आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहूंगा .....

श्री अधिष्ठाता–

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था मैं उस पर अपनी व्यवस्था तो दे दूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले मुझे सुन लें। माननीय अम्बिका चौधरी जी ने माननीय कांशीराम जी का नाम लेकर कहा। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के अलग उम्मीदवार थे श्री राम सिंह शाक्य इसलिए यह कहना कि उनके बल बूते पर जीते यह पूरी तरह से गलत है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने तो सिर्फ यह पूछा कि क्या वह और चुनाव जीते हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लालजी वर्मा, अम्बिका चौधरी एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को व्यवस्था के प्रश्न पर सुना। यह सदन अपनी परम्पराओं, अपने नियमों का स्वयं नियन्ता है। बहुत से सदस्य इसमें ऐसे आते जो पहली बार चुनकर आये हैं। हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अपने आचरण से ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए जिससे नये सदस्यों को सीख मिले। हम अपने बीच में टोका टाकी और परम्परा

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

को समाप्त करने का काम न करें । जब कोई सदस्य बोलते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि विषयगत चर्चा करेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा । जब विषय से हटकर बोलेंगे तो टोका टाकी होगी । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है आप इसके पक्ष या विपक्ष में अपने विचार रखें । आप अनावश्यक चर्चा न करके सार्थक चर्चा करें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया । हमारे एहसानात भारतीय जनता पार्टी के एहसानात, राष्ट्रीय लोकदल के तथा बहुजन समाज पार्टी के जो एहसानात हैं उनका रिटर्न नहीं मिला, जो मूलधन था वह वापस नहीं मिला । एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति हो गयी थी ।

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए एक लोकप्रिय सरकार के गठन का रास्ता प्रशस्त किया । इस प्रदेश की जनता की आवाज, हम सबकी लाज बहन मायावती को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आहूत किया । हमने 211 सदस्यों के समर्थन का दावा किया था परन्तु 17 तारीख को जब बहुमत सिद्ध हुआ तो हमें 217 सदस्यों का समर्थन मिला । हमने जितने समर्थन का दावा किया था उससे कहीं बढ़कर हमें समर्थन मिला । मैं धन्यवाद देता हूं राज्यपाल जी को उन्होंने इस दस्तावेज में कुशल वित्तीय प्रबन्धन की बात कही है, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने की बात कही है और बहन मायावती जी का जो पिछला कार्यकाल है वह मोहताज नहीं है किसी प्रमाण-पत्र का । मान्यवर, मेरा समय तो जाया कर लिया टोका-टाकी में । इसलिए मुझे बोलने के लिए अलग से समय दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सोशल पुलिस है वह एक सामाजिक गुण्डा का रूप ले चुकी है । सामाजिक गुण्डे के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए । यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है कि उनकी सही जगह जेल में होगी । जो भी अपराधी हैं उनको जेल में बन्द किया जायेगा । इस दस्तावेज में प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गयी है । इसमें बिजली को चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, सही सड़कें, अर्थव्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने की बात कही गयी है । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में बिजली के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है । पृष्ठ–16, 17, 18 में बिजली के संबंध में विस्तृत रूप से और बिजली के बारे में बाधाएं दूर करने के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है । शिल्पकारों को संरक्षण देने की बात कही गयी है । हमारे जो शिल्पकार हैं वे प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है, 12 मिनट हो चुके हैं ।

श्री ददद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें। पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें बात कही गयी है। हमारी सरकार न तो सम्प्रदायवाद में विश्वास करती है और न जातिवाद में विश्वास करती है। हमारी सरकार भारतीय संविधान की नीति पर विश्वास करती है। भारतीय संविधान ही हमारे लिये सर्वोपरि है, संविधान में लिखा एक-एक शब्द हमारे लिए नीति नियामक है। भारतीय संविधान ही हमारे लिए गीता, रामायण, भागवत् कुरान तथा बाईबिल है। आगे के लिए जो रीति नीति घोषित की गयी है, बी०एस०पी०, बी० जे० पी० का यह जो गठबंधन है यह आगे लोक सभा के चुनाव के लिए भी है। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं यहां पर उनकी सीटें खाली हैं अपने जहर को कम करके मिठास को पैदा करें। यह गठबंधन अगर राष्ट्रीय स्वरूप ले लेगा तो कांग्रेस की औकात नहीं होगी कि दिल्ली की ओर निगाह उठाकर देख सके। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) इसी वक्तव्य के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर साधक का दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है साध्य के प्रति तो साधनों की प्रवृत्ति और प्रकृति है उसको अपने उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुग्रह नारायण सिंह जी को बुला लिया है।

श्री ददद्दू प्रसाद–

हमारे संविधान की जो मूल भावना है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना की हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इसी के साथ यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा० नेता प्रतिपक्ष द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं वहां 7 नदियां हैं। महेन में सरयू राप्ती संगम सहित राप्ती, गौरी, बथुआ, सझने, कुर्ना नकटा आदि नदी नाले हैं हर साल जब भी बाढ़ आती है, 1998 में बाढ़ आयी दो माह तक पूरा क्षेत्र जलमग्न रहा तहस-नहस हो गया। मुख्य मंत्री जी, कल्याण सिंह जी ने वहां उस समय दौरा किया था जनता के विरोध के फलस्वरूप और लोगों को अहेतुक सहायता दी गयी। आज उस क्षेत्र में पुनः 2001 में बाढ़ आयी आज सारे बंधे सड़कें पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं जिसके फलस्वरूप तिघरां–मराछी बांध में हड़हा गांव के पास राप्ती नदी ने बांध को काटकर एक नयी राप्ती बना दी। इसी प्रकार इसी बंधे पर नगवा–डबला के पास राप्ती नदी में एक दूसरी राप्ती बना दी। इसी प्रकार नगवा गांव में जमींदारी बांध टूट चुका है। आगे इसी प्रकार गाय-घाट में राप्ती नदी के किनारे कटान हो चुका है। गौरा नदी के किनारे सरमोहना गांव के पास एक

नयी गौर्रा नदी बन चुकी है । इन नदियों के बन जाने से रुद्रपुर से पयलडी डीह–करहकोल घाट मार्ग, रुद्रपुर से नारायणपुर–नगवा मार्ग, रुद्रपुर से नकईल मार्ग, मदनपुर से नकईल मार्ग पूर्णतया ध्वस्त हो चुका है दर्जनों कटान हो चुके हैं । ऐसी परिस्थिति में कोई आवागमन का साधन नहीं है, सम्पर्क मार्ग भी ध्वस्त हो चुके हैं । रुद्रपुर से बरहज मुख्य मार्ग पर कुर्ना नाला का पक्का पुल विगत कई वर्षों से टूटा पड़ा है उस पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती । वैतालपुर में तेल डिपो है वहां से प्रतिदिन 100 टैंकर उसी रुद्रपुर के लिए गौरीबाजार, रुद्रपुर मार्ग से कपरवार घाट होते हुए बड़हलगंज, गोरखपुर जनपद के मार्ग से इलाहाबाद, बनारस जाते हैं । उस कुर्ना पुल को बनाने के लिए पूर्व में पैसे का भुगतान किया जा चुका है लेकिन वह पैसे कहां गये और पुल क्यों नहीं बना । ऐसे ही जितनी सड़कें उक्त क्षेत्र की पी० डब्लू० डी० की हैं वह भी टूट चुकी हैं । जो बनी हैं वह बनते ही उखड़ गयीं। दूसरे, बिजली की व्यवस्था जो पिछली सरकार में की गयी थी वह जाति और धर्म को देखकर की गयी है । गेहूं की खरीद पर सम्मानित सदस्यों ने काफी कहा । धान की खरीद की और गन्ना किसानों की बात कही गयी । इसमें मेरा एक संशोधन है जो जोड़ लिया है । गेहूं और धान की खरीद का भुगतान नहीं किया गया है, लाल पर्ची किसानों को दिया गया है धान की खरीद के बाद ।

दूसरी ओर जो थोड़ा बहुत लोगों ने कर्जा ले रखा है उसमें जिले में वसूली की जा रही है । मेरा अनुरोध है कि तब तक वसूली न की जाय जब तक किसानों के बकाया पैसे का भुगतान न हो जाय । तीसरी बात सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई गारण्टी नहीं है । विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन इसे पिछली सरकार के समय से ही बंद कर दिया गया है । लोग जिला प्रशासन के दरवाजे तक जा-जाकर लौट आ रहे हैं । आग लगने पर एक-एक कानून की बात की जा रही है । किसी गरीब का घर-फसल जल चुका है इसको आवासीय और गैर आवासीय कहकर वापस कर दिया जा रहा है 2001 की बाढ़ में मा० राजनाथ सिंह जी पचलड़ी-डीह में जाकर अपनी जनसभा में जाकर अहेतुक सहायता आदि की बात की थी लेकिन कोई पैसा नहीं दिया गया । उस क्षेत्र में कितने ही दलित परिवार के पिछड़ी जाति के घर बह गये उन्हें एक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ है उसकी व्यवस्था की जाय । तीसरी बात, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है । गोरखपुर में, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा टी० बी० की बीमारी, घेंघा की बीमारी, हार्ट की बीमारी और जितनी बीमारी हैं भयंकर से भयंकर वह पूर्वांचल की जनता पर कहरढाती हैं । गोरखपुर में ही मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जितनी पेटेन्ट, अच्छी से अच्छी इन्टरनेशनल कम्पनियों की दवा बिकती हैं, 10-10 करोड़ प्रतिमाह की दवा बेची जाती हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वान्चल के लोग कितनी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं । मैं कहना चाहता हूं कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलम्ब करायी जानी चाहिए । जहां तक अस्पतालों की बात है अगर वहां इसकी व्यवस्था न की गयी तो एक गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी । पिछली बार सरकार में, मैं समझता हूं कि जब पिछली बार सरकार बनी थी उसने मच्छरों के लिए छिड़काव नहीं किया था । पूर्वांचल में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है एक तो चीनी मिल की वजह से और दूसरे प्रदूषित पानी से । मान्यवर, मच्छरों के लिए छिड़काव न करके उससे 100 लालबत्ती की गाड़ियां क्रय की गयी ।

मान्यवर, मेरी मांग है कि पूर्वान्चल के लोगों को मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं उसके लिए मच्छरों के लिए छिड़काव कराया जाय । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में एक ऐसी व्यवस्था बनायी गयी थी जिसमें मुख्य मंत्री अपने यहां जनता दरबार लगाते थे और अभी तक वह परिपाटी चली आ रही है । यह सरकार बन गयी लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई कि आगे किस तारीख से जनता

के लिए जनता दरबार लगाया जायेगा । प्रदेश के जनपदों के जिलाधिकारी, एस० पी०, सारे जिम्मेदार अधिकारी अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मुख्यालय लखनऊ में गणेश परिक्रमा लगा रहे हैं । सारे जिले खाली पड़े हैं कोई सुनने वाला नहीं है । इसके साथ ही मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । (इस समय 4 बजकर 30 मिनट) मान्यवर, बहुत कुछ कहा गया इस सरकार पक्ष से, मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी सरकार का मसौदा होता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस इलाके से आये हुए हैं गोपालपुर तथा सगड़ी विधान सभा यह आजमगढ़ में हैं हर साल बाढ़ से जूझता रहता है एक तरफ घाघरा नदी काटने का काम करती है और दूसरी तरफ सरयू नदी की बाढ़ सबको डुबाने का काम करती है । पिछली सरकार ने जिसके साथ यह नापाक गठबन्धन बना है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह दिया कि हम झोपड़ियों को मकान नहीं मानते हैं जहां अनुसूचित जाति, बैकवर्ड, गरीब, मजदूर, किसान लोग रहने का काम करते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जी०ओ० निकाल कर कह दिया कि हम इन झोपड़ियों को मकान नहीं मानते हैं जबकि आप जानते हैं कि उनके सारे के सारे घर वही हैं, मकान भी वही है, सामान रखने की जगह भी वही है, शादी-विवाह में सब कुछ वहीं रखा जाता है लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर जो यह सरकार का दस्तावेज है उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि गरीब मजदूरों, किसानों के साथ अन्याय का काम किया गया है, उसको बदलेंगे । इसलिये हम इसका विरोध करते हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री आजमगढ़ के हैं, वह वहां की सड़कों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं । आजमगढ़–पटवध–बिलरियागंज–रौनापार मार्ग, आजमगढ़–कन्धरापुर–कप्तानगंज–अतरौलिया मार्ग, आजमगढ़–जामिनपुर मार्ग, जोमिनपुर–मालताड़ी–बिलरियागंज–महराजगंज मार्ग, महराजगंज–परशुरामपुर मार्ग से विदरा भटनी भवनपुर चेंवता मार्ग तथा महुला गड़वल मार्ग, इन सभी सड़कों की हालत अत्यन्त जर्जर है, इन पर एक कदम भी चलना दूभर है । आजमगढ़ से बिलरिया जाने का जो 20–25 मिनट का रास्ता है, उस पर जाने में एक से डेढ़ घंटा लगता है । पिछले दिनों गड्ढामुक्त सड़कें देने की बात कही गयी थी, लेकिन एक भी सड़क गड्ढामुक्त न होकर गड्ढायुक्त अवश्य हो गयी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वहां के विधायक चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे सरकार की तरफ के हों, सब जानते हैं कि वहां सड़कों की हालत क्या है । इस दस्तावेज में इनके बनाने के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । हमारे यहाँ आग लगती है और रोज ही कहीं न कहीं आग लग रही है , अभी पिछले दिनों रसूलपुर में 8 घरों में आग लगी इसी तरह कुड़ही में 22 घर जल गये, जजमन जोन दै० ज० कि० । सबके सब अनुसूचित जाति लोगों के घर हैं, मल्लाह जाति के घर हैं, यादवों के घर हैं, लेकिन उनको यथोचित मदद नहीं मिली । यह भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं रहने देना चाहती है । इसलिए इस तरह का दस्तावेज पेश किया गया । यही नहीं पिछली सरकार ने क्या नहीं किया । हमारे गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो गांव में पढ़ने का काम करता है, उसके लिए कह दिया कि हम शिक्षक मित्र देंगे, शिक्षक मित्र को हाईस्कूल अथवा इण्टर पास होता है, क्या इस तरह किसान-मजदूर का बेटा शिक्षा प्राप्त कर सकता है । इस तरह ऐसे गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने

से रोक दिया गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी बैकवर्ड विरादरी के हैं, इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है ।

मान्यवर, हमारे यहां 22/23 तारीख की रात को डा० सलीम साहब के परिवार को मार दिया गया । उनकी बेटी जो एम० बी० बी० एस० थी और बेटा बी० एस० सी० में अलीगढ़ में पढ़ रहा था, आज तक आजमगढ़ की नपुंसक पुलिस हत्यारों का पता नहीं लगा सकी, उस वक्त राष्ट्रपति शासन था, जिस समय यह घटना हुई । आज भी उनकी बीवी का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह जीने-मरने की स्थिति में है, आज भी उनको होश नहीं आया है, कभी यह कह देते हैं कि बावरिया गिरोह का काम है, कभी किसी और का काम बता देते हैं, इसी प्रकार की घटना फैजाबाद जिले में हुई । चूंकि राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस तरह की घटनाओं को रोकने और उनका पर्दाफाश करने की कोई बात नहीं कही गयी है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और अपने नेता विरोधी दल की कही बातों का समर्थन करते हुए, उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त किया कि सरकार गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही है और बड़े लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । माननीय सदस्य यह जान लें कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और अब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे ।

* श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, उप नेता प्रतिपक्ष एवं सभी माननीय सदस्य, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । 14 तारीख से इस सदन में हम बैठे हैं और देख रहे हैं कि चाहे सत्तापक्ष या विपक्ष के सदस्य हों, सदन की मर्यादाओं को कोई भी तोड़ने में कमी नहीं रख रहा है जबकि हम यह देखते हैं और आशा करते हैं और चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता संविधान के अनुरूप चले, अनुशासन में विश्वास रखे । अनुशासन जब यहीं से तोड़ा जायेगा तो प्रदेश के कोने-कोने में अनुशासन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए । हम देखते हैं कि कई सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं, सदन में नहीं बैठे हुए सदस्यों पर भी टिप्पणी करते हैं । लेकिन उन्हें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि जो सदस्य हमसे सीनियर हैं हम उनके साथ मर्यादित व्यवहार करें । तर्क और वितर्क का बराबर से बोलने का मौका मिल रहा है, अगर कोई बात गलत लगती है तो विधिवत् उसे तर्क से सामने रखें जिससे सदन की मर्यादा कायम रहे । मान्यवर, हमें सीख लेनी चाहिए अंग्रेजों से, नेता प्रतिपक्ष को हम सुन रहे थे, विरोध किया, विरोध की मंशा जाहिर की लेकिन इतना खुसूशी लफ्जों में दिया जो सराहनीय है । यह कहा गया कि बिजली संकट से प्रदेश को उबारने के लिए राज्यपाल महोदय ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है । मान्यवर, पृष्ठ–17 में दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 1000 मेगावाट की अनपरा सी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी । जहां तक गरीबों की बात है, गरीबों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विकलांगों के लिए योजनाएं, ग्राम्य विकास की सभी योजनाएं, ये सभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी हैं । अलग-अलग करके भले ही न की गयी हों । गेहूं खरीद के बारे में टिप्पणी आयी । मान्यवर, गेहूं खरीद पर भी विशेष ध्यान रखा गया है, बिचौलियों पर भी ध्यान रखा गया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

और कहा गया है कि सीधे किसानों से ही गेहूं खरीदा जाये । मान्यवर, तमाम सवाल आए कि यह सरकार बेबुनियाद है, सरकार बेमेल है । इस सरकार के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र की प्रणाली नहीं हो सकती, न ही यह देश राष्ट्रपति शासन में चल सकता है । यह बात अवश्य है कि प्रदेश की जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया । हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात रखी कि माननीय अटल बिहारी जी की सरकार 13 दिन में गिरी थी । इतिहास की वह चीजें नहीं दोहराई जानी चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा न रहा हो । राष्ट्रपति महोदय ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका दिया था लेकिन वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पायी । यही उत्तर प्रदेश की स्थिति होती यदि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता तो वह भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती और दो दलों के समझौते से वह समझौता शायद ज्यादा गलत होता जिसमें विधायक टूटते और खरीद-फरोख्त होती । आपको एक तर्क यह रखना चाहिए था कि आप बहुमत कैसे सिद्ध करते । समाजवादी पार्टी का सहयोग करने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है । मान्यवर, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि सरकारें बनें । उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं वरन् पूरे देश की जनता यह आशा लगाये हुए बैठी थी कि 24 फरवरी के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए । आज भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को ऊपर रखते हुए प्रदेश की जनता के हित में गरीबों और दलितों के हित में यह सरकार बनाई जिससे इस प्रदेश का भला हो और यह लोकतंत्र के मान और मर्यादाओं को रख सके । लोकतंत्र जिन्दा रह सके । प्रदेश की जनता पर बार-बार चुनाव थोपा जाना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है । आज उत्तर प्रदेश में लें चाहे हिन्दुस्तान को लें मैं समझता हूं कि जनता यह चाह रही है कि सरकारें मिलीजुली दलों की बनें । पूर्ण बहुमत में जनता भी विश्वास नहीं कर रही है । यह सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी । मान्यवर, कहा गया कि हरिजन एक्ट का आज दुरुपयोग हो रहा है । हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इसका दुरुपयोग न हो और इंस्पेक्टर राज खत्म हो ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह–

हमारा बुन्देलखण्ड वास्तव में बहुत पीछे है और बुन्देलखण्ड की जनता के साथ अन्याय हो रहा है । बिजली उपभोक्ताओं पर पूरे प्रदेश में दो माह का बिल आता है । 175 रुपये और हमारे बुन्देलखण्ड में बिल आता है पांच सौ रुपये, यह बात बड़ी बारीकी से सोचनी चाहिए । मान्यवर, यहां पांच नदियों का संगम है मैं चाहता हूं कि लिफ्ट कैनाल के जरिये यहां विद्युत उत्पादन किया जाय । बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

* श्री लाल बहादुर यादव–

श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव के विरोध में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करते हुए अभिभाषण का विरोध करता हूं और साथ ही साथ आदरणीय अधिष्ठाता जी बहुत सारी बातें सदन में पक्ष और विपक्ष की हुई हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक यह बात सत्य हो चुका है कि जो सरकार बनी है उस सरकार को बनाने का जनादेश तो नहीं था । यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सही है कि जहां इसके पहले 5 साल तक लगातार एक ऐसे दल की सरकार थी और वह सरकार 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जहां बड़े दल के रूप में थी वहीं तीसरे नम्बर के दल के रूप में आ गयी । यह जनादेश ही था कि उनको अस्वीकार करते हुए तीसरे नम्बर पर कर दिया और सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभरकर आयी । जनादेश यह था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने । लेकिन ठीक है, तालमेल के चलते यह सरकार बनी है, बेहतर होगा कि यह अच्छा कार्य करे हम इसकी आशा करते हैं । मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां मौजूदा समय की कुछ ऐसी समस्यायें हैं उसके बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । मुझे याद है कि इसके पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जनपद जौनपुर के गड़वारा विधान सभा में जा करके एक पुल का शिलान्यास की घोषणा करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि यह पुल कितने दिनों में बन जायेगा तो अधिकारियों ने यह साफ जवाब दिया था कि 3 महीने में पूरा हो जायेगा । जब उन्होंने कहा कि दिन रात मिलकर काम किया जायेगा तब कितने दिन में होगा तो अधिकारियों ने कहा कि दो महीने में पूरा हो जायेगा । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले सरकार का पांच साल बीत गया, वह पुल बना लेकिन कुछ ऐसे लोगों के चलते दोनों तरफ से सड़कें काटकर ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गयी है कि जिससे जनता जरूरत से ज्यादा त्रस्त हैं । घाट पर वसूली करने के लिए दोनों तरफ से सड़क को जोड़ा नहीं जा रहा है । मान्यवर, यह कन्धी घाट का पुल है । मेरा अनुरोध है कि इसका पहुंच मार्ग बनाकर पुल को चालू किया जाये । साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जल जमाव के चलते कई हजार हेक्टेयर जमीन इस तरह से जलमग्न हो जाता है कि बहुत से गरीब किसान प्रभावित हो जाते हैं । करैला ड्रेन दो-तीन विधान सभाओं से होकर निकलती है, बगल का मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है । इससे वारी, खोजीडीहा, मुस्तफाबाद, खरोही आदि कई गांव जलमग्न हो जाते हैं । मैं चाहूंगा कि जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कल की घटना है और बहुत ही ज्वलंत समस्या है । गड़वारा के सुजानगंज थाने में एक विशेष पक्ष के लोगों ने दलितों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा । यह घटना दो बजे दिन में हुई । रात 8.00 बजे मैं उनको लेकर थाने पहुंचा कि इसमें कठोर कार्यवाही की जाय और निश्चित रूप से इसमें न्याय हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही हुई । उनको चौराहे पर दौड़ाकर मारा गया । इसमें कार्यवाही होनी चाहिए । एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा मान्यवर, लोगों को चौराहे पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है इस तरफ ध्यान देकर कार्यवाही की जानी चाहिये । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि शादी विवाह में एक व्यवस्था लागू है जिसमें दलित वर्ग की लड़कियों की शादी के लिये सहायता दी जाती है उसी तरह पिछड़ी जातियों के बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं इनको भी शादी विवाह के अवसर पर सहायता दी जाय । इसी के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूँ ।

* श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ । जो भाषणवाजी का महौल इस सदन में बना है मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे विधायकगण हों या मंत्रीगण हों सभी लोग एक बात पर बल दे रहे हैं , केवल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब लोग एक बात की सफाई दे रहे हैं कि हमने गठबंधन की सरकार क्यों बनायी है । गांव की एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका तो कहीं न कहीं अपराध बोध से सभी ग्रस्त हैं इसलिये यहां पर बार–बार सफाई दी जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कल बोलेंगे कल आपकी चर्चा जारी रहेगी ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 20 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएँ प्राप्त हुईः–

पहली सूचना डा० विनोद तिवारी की जो जनपद पीलीभीत में शारदा नदी से हो रहे भूमि कटान एवं शारदा नदी के दोनों तटों पर तटबन्ध बनवाने के संबंध में है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है जो मेरट नगर निगम क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में एक निर्माणाधीन ऊपरी जलाशय को चालू कराये जाने के संबंध में है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी श्री द्वारिका प्रसाद एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना की है जो प्रदेश में उत्पन्न घोर विद्युत संकट के संबंध में है इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह की है जो प्रदेश में बावरिया गिरोहों की निरन्तर बढ़ती गतिविधियां तथा हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है पांचवी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है जो जनपद आगरा में सड़कों के किनारे तथा धार्मिक स्थलों एवं कालेजों के समीप खुले रूप से बेचे जा रहे मीट की दुकानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । छठी सूचना श्री उदय राज की है जो जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पूर्वा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के फेज–2 व फेज–4 के अन्तर्गत कराये गये तमाम अधूरे मार्गों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । सातवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है जो उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के केन्द्र खोले जाने की सरकारी घोषणा के बावजूद गेहूं खरीद की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है । आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप की है जो चेकरड प्लेट घोटाला के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में हैं इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 48 मिनट पर ..... अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ : **राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

दिनांक : 20 मई, 2002 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 215 विधान सभा (373)–23-8-2002–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।